

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_178972

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 8 4 S S 2 B

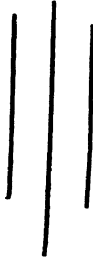
Name of Book व. इ. इ. इ. इ. इ. इ.

Name of Author इ. इ. इ. इ. इ. इ.

बाईसवीं सदी



राहुल सांकृत्यायन



किताब महल इलाहाबाद

तृतीय संस्करण, १९४३
चतुर्थ संस्करण, १९४५
पंचम संस्करण, १९४८

प्रकाशक :— किताब महल, ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद
मुद्रक :— श्री हरिवंश नारायण दुबे, गङ्गा प्रेस, दारागञ्ज, प्रयाग

प्रथम संस्करणसे

दो शब्द

सन् १९१८ ई० का अप्रैल या मई का महीना था। रात्रिके शेष प्रहरमें विश्वबन्धुका यह भ्रमण-वृत्तान्त, स्वप्न और जाग्रत दोनों अवस्थाओंमेंसे नहीं कहा जा सकता कि किस अवस्थामें, दृष्टि-गोचर हुआ। उसी समय क्रमानुसार इसका एक संक्षिप्त विवरण लिख लिया गया था; किन्तु समयाभावसे उसे विस्तारपूर्वक प्रकाशनोपयोगी न किया जा सका था। वह संक्षिप्त विवरण एक मित्रकी असावधानीसे खो गया। कितने ही समय तक प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसके मिलनेकी आशा बिल्कुल न रही, तब, स्मृतिसे जहाँ तक हो सका, बहुत संक्षेपमें यह निबन्ध हजारीबाग जेलमें ६-२-२४ से लिखा गया। यद्यपि मूल अंशोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, किन्तु बाहरी बातोंमें अनेक हेरफेर होना बिल्कुल सम्भव है।

किस अभिप्रायसे यह पुस्तक लिखी गई, एवं कहाँ तक इसमें सफलता हुई, यह पाठकों ही पर छोड़ा जाता है।

रा० सा०

तृतीय संस्करण

इस संस्करणमें भी बिना भारी परिवर्तनके कितने ही संशोधन कर दिये गये हैं। बाईसवीं सदीकी पूर्वगामिनी “सोवियत् भूमि” मौजूद है, उससे पता लगता है, कि दुनिया किधर जा रही है।

प्रयाग

राहुल सांकृत्यायन

५-८-१९४३

सूची

विषय	पृष्ठ
सूची नीदका अन्त	१
सेवग्रामका बाग	४
वर्तमान जगत्	७
बिद्यालयके विषयमें	२०
बीसवीं सदी	२१
ग्राम और ग्रामीण	२५
शिशु संसार	४४
रेलकी यात्रा	५६
नालंदामें स्वागत	८२
शिक्षा-पद्धति : शिशु-कक्षा	८७
शिक्षा-पद्धति : बाल-कक्षा	६२
शिक्षा-पद्धति : तरुण-कक्षा	६७
शासन-प्रणाली	१००
नालंदासे प्रस्थान	१०८
भारतके प्रजातन्त्र	१११
वर्तमान जगत्से उठ गई चीज़ें	११४

लम्बी नौदका अन्त

ओह, इतना परिवर्तन ! यहाँ इतने मोटे-मोटे वृक्ष पहले कहाँ थे ? यह बड़ी चट्टान भी तो यहाँ नहीं थी । तब यह आई कहाँसे ? हाँ, उस शिखरसे टूटकर आई मालूम पड़ती है; लेकिन इस ऊँची चट्टान के बीचमें आजानेसे यह वाग्मतीमें नहीं गिर सकी । पर वहाँसे आई कैसे, राहमें बड़े-बड़े वृक्ष जाँ हैं ! तो शात होता है, ये वृक्ष पीछे उगे हैं । और ये आकृतिसे सौ वर्ष पुराने मालूम होते हैं । तो क्या मेरे आये इतने दिन हो गये—ओह-हाँ ! हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है, मैं फरवरी १९२४ में यहाँ आया था । यदि तबसे १०० वर्ष बीते, तो अब २०२४ होना चाहिये ।

ओह ! अब यहाँ से उतरना भी मुश्किल है । वाग्मती हाथों नीचे चली गई । यहाँ वह किनारेवाली चट्टान भी नहीं है । जिस खुड्डोसे चढ़कर मैं यहाँ आया था, वह भी पानीके बहनेसे नाली-सी हो गई । किन्तु, हाँ, पर्वत-राजका यौवन तो और भी बढ़ गया है । चारों ओर हरियाली-ही-हरियाली उग आई है । और भरना !—अरे, यह तो एक छोटा-सा प्रपात ही हो गया ! वाह-वाह ! इधर तो और भी कई भरने आस-पास दिखाई देते हैं । पर वाग्मतीका 'कल-कल' तो वही है । दो-एक चट्टानोंके हटने और कुछ नीचे चले जानेके अतिरिक्त इसमें और कोई हेर-फेर नहीं हुआ है । किन्तु, पहलेका वह किनारेवाला वृक्ष नहीं दीख पड़ता ! सचमुच मेरे परिचित एक भी वृक्ष यहाँ नहीं हैं । जब यहाँ इतना परिवर्तन है, तो बस्तियोंमें, न जाने, क्या हुआ होगा ? बड़ा कौतूहल हो रहा है । देखना चाहिये, मानव-संसारने क्या-क्या रूप बदले हैं । रास्ता भीमफेरी होकर गया था । वहाँ कुछ लोग ज़रूर होंगे । उनसे भी कुछ पता लगेगा ।

यह विचारते हुए मैंने अपनी चिर-सहयोगिनी गुफासे बिदा ली । ३५-३६ हाथ ऊपरकी अपनी गुफासे नीचे आने में मुझे बड़ी कठिनाई मालूम

हुई। मेरे कपड़े का पता नहीं—वह कब सड़-गल गया! आदमियोंमें जाना है—बदन ढाँकनेके लिए वस्त्र तो नितान्त आवश्यक है। यह विचारकर मैंने भट एक वृत्तसे बड़े-बड़े पत्ते तोड़, जंगली बेलमें कमर में बाँध लिये। नीचे आनेपर नदी के किनारे-किनारे चलना ही मुझे उचित मालूम हुआ। क्योंकि मुझे सन्देह होने लगा कि वह नज़दीकवाला मार्ग साफ है या नहीं। गंगा-किनारे आते ही मेरी इच्छा पहले स्नान करने की हुई। सूर्य की धूप यद्यपि सामने पड़ रही थी, दिन भी दो-तीन घंटे चढ़ आया था, लेकिन अभी थोड़ी-थोड़ी पहाड़ी सरदी पड़ रही थी। तो भी मैंने खूब स्नान किया। नहा-धो चुकनेपर सामने कुछ परिचित फल लगे दिखाई पड़े। मैंने उन्हें तोड़कर खूब मतलब भर खाया। इस तरह पेट-पूजासे निश्चिन्त हो, कदम आगे बढ़ाया—

जब मैं पहले यहाँ आया था, तभी ३०-३१ वर्षका हो चुका था। बाल बहुतसे पक गये थे; लेकिन अब तो ये सर्वथा सन-जैसे श्वेत हो गये थे। चिर-काल तक निराहार रहने से शरीर सूख गया था, किन्तु, उत्साह और फुर्ती अब भी कम नहीं थी। चलते-चलते चार-पाँच घन्टे हो गये। प्रायः छः सात कोस चल पाया होगा कि ऊपर से तार जाते दिखाई पड़े। धूपमें चमकनेसे मालूम पड़ा कि तार तबिके हैं। तबिके तार तब यहाँ दिखाई न पड़े थे, इसलिये यह नया परिवर्तन मालूम हुआ। मैंने अनुमान किया, शायद इधर कहीं बिजली पैदा की जाती है, जो इन तारोंके द्वारा और जगहों पर जाती होगी। अब आगे, आस-पास, पर्वतोंपर दोनों तरफ अनार, नारंगी, और केलेके बाग दिखाई पड़ने लगे। कोसों तक चला आया, पर अभी कोई आदमी दिखाई न पड़ा। मुझे बगीचों में होकर रास्ता जाता मालूम पड़ा; विचार आया, उससे चलनेपर क्या जाने जल्दी कोई आदमी मिल जाय। मैंने अब नदी-तट छोड़, ऊपरका रास्ता पकड़ा और नारंगी के वृक्षोंकी छाया-में चलना आरम्भ किया। देखा, फल खूब लगे हैं और वह भी साधारण नहीं, बहुत बड़े-बड़े। फिर सौन्दर्यका क्या कहना है! मनमें सोचा, अगर आगे कोई रखवाला मिले, तो पूछूँ। मैं जितना ही आगे बढ़ता जाता था, मेरी उत्सुकता और बढ़ती जाती थी।

अब नारंगीके बगीचे समाप्त हो चले, सेबोंके शुरू हुये। यह बात नेपालवे

लिए मुझे नई मालूम पड़ी। सब बहुत बड़े-बड़े लदे हुए थे, और बाग भी पर्वतकी ऊँचाईके साथ-साथ ऊपर चोटी तक चले गये थे। जगह-जगह बरसाती पानीके नीचे गिरनेके लिए नालियाँ और नल्ल लगे हुए थे। मोटे-मोटे नलों से पानी सब जगह पहुँचाया गया था। कहीं-कहीं पीनेके भी नल्ल दिखाई पड़ते थे। रास्तेसे कुछ दृढ़कर एकाध छोटे-छोटे टीनके मकान खड़े मालूम देते थे। पर मैंने रास्ता छोड़कर वहाँ जाना न चाहा। सोचा, अभी आगे चले चलें, कहीं-न-कहीं रास्तेपर ही कोई मिल जायगा।

पूरे चार कास चलनेके बाद आखिर आदमियोंकी आवाज़ सुनाई दी। ज्यों-ज्यों नज़दीक आता जाता था, आवाज़ स्पष्ट होती जाती थी। जब पास आया, तो देखा, उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं। उनके वस्त्र बहुत ही स्वच्छ हैं; चेहरे खिले हुए हैं। मनमें विचारा, क्या ये नेशन राज-परिवारके स्त्री-पुरुष तो नहीं हैं, जो शायद मनोरंजनके लिए यहाँ आये हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती। ये तो डलियों में तोड़-तोड़कर फलोंको ज़मीनपर रखते जाते हैं और कुछ लाग उन्हीं फलों को सामने लिये जा रहे हैं। मालूम होता है, वहाँ वे ठेर लाते होंगे। इसके अलावे, राज-दानका बास-गजो पायजामा भी इन स्त्रियोंके पास नहीं है; यद्यपि इनका रङ्ग-रूप, वेश-भूषा, शारीरिक गठन, स्वच्छता व्यवहार उनसे कहीं ऊँचे दर्जेका है, किन्तु फर्क भी अवश्य है। ये सब-की-सब पैट पहने हैं; इनके हाथ-पैर मोजे और दस्तानेसे ढँके हैं। पैरोंमें जूते भी हैं। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। अच्छा, इनसे मिलकर ही पता लगेगा। और अब तो बिलकुल पास हो आया हूँ। काममें लगे रहनेके कारण उन्होंने मुझे नहीं देखा। लेकिन वह देखो, वहाँ एकने मुझे देखकर अपने साथियोंसे कुछ कहा। सबके-सब क्या मेरी तरफ आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे हैं? क्या मैं कोई जन्तु हूँ? कोई मेरे पत्तोंके कपड़ोंकी ओर देख रहा है, तो कोई दाढ़ीकी ओर। अच्छा, वह एक आदमी इधर आ रहा है, उसीसे सब बातें मालूम होंगी।

हालाँकि आनेवाला व्यक्ति संधे आ ही रहा था, पर मेरी उत्सुकता मुझे अधीर बना रही थी।

सेवग्रामका बाग

उस पुरुषने धीरे-धीरे मेरे पास आ, 'स्वागत' कहा। यद्यपि उसने मुझसे एक ही बार यह शब्द कहा, लेकिन मेरे कानोंमें, न जाने कितनी बार, उसकी आवृत्ति होती रही। इसके बाद ही वार्तालाप शुरू हुआ।—

“आप कहाँसे आ रहे हैं ?”

“कहीं दूरसे तो नहीं; करीब दो घंटे दिन चढ़ा था, तब मैं अपने स्थानसे चला हूँ।”

“अब,” झट घड़ी देखकर—“तीन बजकर बीस मिनट हो चले हैं। हमें क्षमा करेंगे, अगर मेरी बातोंमें कुछ ढिठाई हो, क्योंकि आपके दर्शनने ही जिज्ञासा-तरंगोंसे हृदयको डाँवाडोल कर दिया है।”

“जो कहना हो, निस्संकोच हाँकर कहो। मेरे कुतूहल भी कुछ कम नहीं हैं। यद्यपि, इस स्थानसे मेरा निवास बहुत दूर नहीं, लेकिन समयसे कुछ अवश्य दूर है। अच्छा, यह तो बताओ, आज सन्-संवत् क्या है ?”

“सन् १००”

“कौनसा सन् ?”

“सार्वभौम। आप कौन सन् पूछते हैं ?”

“ईसवी।”

“वह है, २१२४।”

“ओ-हो ! तो क्या मुझे गुफामें बैठे दो सौ वर्ष हो गये ? तभी तो सब जगह परिवर्त्तन-ही-परिवर्त्तन दिखाई पड़ता है। अच्छा, पूछो जो कुछ पूछना हो।”

“क्या आपको गुफामें बैठे दो सौ वर्ष हो गये ? और बैठते समय अवस्था क्या रही होगी ?”

“६० वर्ष।”

“२५० वर्ष बहुत होते हैं। मेरी अवस्था अभी ६० वर्षकी है। वृद्ध-पुरमें १०० और १२० वर्षके भीतरके कई पुरुष हैं। किन्तु आपकी अवस्थाका

पुरुष अभी तक सुननेमें नहीं आया। यह सब बातें मुझे और भी आश्चर्यमें डाल रही हैं; साथ ही, बहुत-कुछ पूछनेकी उत्सुकता भी उमड़ रही है। किन्तु, वहाँ जो मेरे साथी स्त्री-पुरुष हैं वे भी मुझसे कम उत्सुक नहीं हैं। इसलिये क्या ही अच्छा हो, अगर उनके सामने ही आप अपनी आत्म-कथा कहें। × × × हाँ, एक बात और। अब ऐसे बच्चोंका स्वाज नहीं रहा; अनुचित तो न होगा, यदि आपको पहननेके लिए वस्त्र ला दूँ ?”

“नहीं, कुछ अनुचित नहीं। इसकी आवश्यकता मैंने भी महसूस की थी।”

उस भद्रपुरुषने, मेरा वाक्य खतम होते ही ‘अर्जुन ! अर्जुन !’ पुकारा; और आवाज़ सुनते ही एक युवक दौड़ा आया। उसने स्मितमुख हो मेरा स्वागतकर अपने साथी से पूछा— ‘क्या है ?’

यहाँ, इस मकानमें धोती-जोड़े रखे होंगे। दौड़कर उनमेंसे एक यहाँ लाइये...आपके पहननेके लिए।”

“बहुत अच्छा,” कहकर अर्जुन दौड़ गया और दो मिनटमें निहायत साफ एक धोती ले आया।

मैंने धोती लेकर कहा—“पहली बात तो यह कि चूँकि हमें बातें बहुत करनी हैं, अतः नामसे परिचित होना चाहिये। मेरा नाम विश्वबन्धु है और आप अपना नाम बतलाइये।”

“मेरा नाम सुमेध।”

‘तो सुमेध जी ! सहायताके लिए धन्यवाद !”

“नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अब हम लोगोंके जलपानका भी समय हो गया है। आप भी थके-माँदे होंगे—भूख लग जाना भी स्वाभाविक ही है। अभी चलकर जल-पान करें और इसके बाद आत्म-वृत्तान्तसे हमें कृतार्थ करें।”

“सुमेध ! सचमुच तुम्हारे थोड़ेसे वार्तालापने मुझे बहुत आकृष्ट कर लिया है। इस समय मेरे आनन्दका ठिकाना नहीं। अच्छा, चलो।”

अब सुमेध मुझे साथ लेकर उस मकानकी ओर चले। इतने में यका-बक तोपके गोले-की-सी आवाज़ हुई। पहले तो मैं चौंक गया, पीछे पूछनेपर

मालूम हुआ; यह जलपानकी सूचना है। मेरी अनेक जिज्ञासाओंमें एककी और वृद्धि हुई। मैंने देखा, उधरसे वे स्त्री-पुरुष भी—जो काममें लगे थे—काम छोड़कर इसी मकान की ओर चले आ रहे हैं। मकानके पास जाकर क्या देखता हूँ, साफ पानाके कितने हाँ नल लगे हुए हैं। नहानेके लिए साँफ जलके टब हैं। मकान बहुत स्वच्छ है। तान-चार बड़े-बड़े कमरे हैं। एक हॉल है, जिसमें डेढ़-दो-सौ आदमी बैठ सकते हैं। कमरोंमें बहुत-सा कुर्चियाँ हैं।

मैंने बड़े हॉलमें देखा, पाँतीसे कुर्चियाँ और मेज लगे हुए हैं। मेजों पर एक-एक तश्तरीमें सेब, केले, अंगूर आदि कितने हाँ फल रखे हुये हैं और गिलासोंमें भरकर दूध। हम सब स्त्री-पुरुषोंकी संख्या कराव एक-गो था। मैंने उतनी ही थालियाँ वहाँ देखकर पहले आश्चर्य किया। क्या स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी बगल में बैठकर नाश्ता करेंगी? इतने हीमें वे सब स्त्री-पुरुष भी आ गये। सबने स्मितमुख हो स्वागत किया। महाशय सुमेधने उन्हें सम्बोधित करके कहा—

“माथियो, हमारे आजके अतिथिको देखकर सबका बड़ा जिज्ञासा है। फिर हमारे जैसाकी—जिनने एकाध बात सुन ला है—उत्फुल्लताका ता कोई हिसाब नहीं। इसीलिये मैंने अकेले ही सब सुन लेना अच्छा नहीं समझा। अभी ता सिर्फ इतना जान पाया हूँ, कि हमारे विश्वबन्धु जाँ १६-२४ से ही, यहाँ से १०-१२ कांसकी दूरीपर जमे हुए थे, जहाँसे आज ही आ रहे हैं।”

इतना सुननेपर नर-नारियोंका कौतूहल और भी उत्तेजित हुआ, पर जलपान करनेका समय बीत रहा था। इसलिए सबने हाथ-मुँह धोकर अपना-अपना आसन ग्रहण किया। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अर्जुनने मेरे जलपानकी थाली परोसनेको धाँती ले जाते समय ही कह दिया था। सुमेधने मुझे एक कुर्सीपर बैठाया और पास ही स्वयं भी बैठ गये। उनके समीप ही एक महिला बैठी थी, जो, आगे चलकर मालूम हुआ कि, उनकी साथिन सुमित्रा थीं। परोसनेवालोंने अपना काम समाप्तकर, स्वयं भी एक-एक आसन ग्रहण किया। अब सबका नाश्ता शुरू हुआ। मैंने भी एक कतरा सेब मुखमें डाला। मुझे उसकी मधुरता और सरसता अद्भुत मालूम हुई। मैंने तो उस समय यही समझा कि शायद चिरकालके बाद खानेसे यह इतना स्वादिष्ट

मालूम हो रहा है, किन्तु पीछे मालूम हुआ कि, यह वैज्ञानिक रीतिसे फलोंका खेती होनेका परिणाम है। मुझे अधिक भूखा समझकर कुछ ज्यादा फल दिया गया था। उसमें नारंगीकी भी कुछ फाँकें थीं। नेपालकी नारंगी पहिले भी खाई थी, लेकिन इनकी मधुर और सुस्वादु नहीं। बीजका तो पता ही नहीं था, रेशे भी नदारद। अंगूरोंके दाने बनारसी बेरोंके बराबर थे। मैंने पूछा—
“ये अंगूर कहाँके हैं?”

सुमेधने बतलाया—“यहाँसे चार कोसके फासले पर इसका बाग है।”
“क्या नेपालमें भी अंगूर होता है।”

“बहुत। इसको तां सैकड़ों वर्ष हो गये। सारे बिहार, उड़ीसा, आंध्र, बंगाल, काशी और कोसल को यहींसे अंगूर जाता है।”

अब जलपान समाप्त हो गया। सबने हाथ-मुँह धो, एक कमरेकी ओर मुँह किया। वहाँ बहुत-सी कुर्तियाँ पड़ी थीं। सुमेधने मुझे ले जाकर एक आरामकुसोपर बैठाया। मैं तो मन-ही-मन कह रहा था कि ये लोग ज़रूर मुझे बीसवीं सदीका जंगली समझते होंगे। और उममें भी इन्होंने मुझे पत्ते पहने भी देख लिया है। दूसरे, इनमेंसे किसीको दाढ़ीका भी शौक नहीं है और मेरे रीछके-से बाल!

मैंने इन लोगोंको बागमें काम करते देखा था, इसलिए समझ बैठा था कि ये ज़रूर मज़ूर हैं। लेकिन अब उत्सुकता हुई कि पूछूँ इन बागोंका मालिक कौन है? पर हिम्मत नहीं हुई।

वर्तमान जगत्

“आपकी बातें सुननेके लिए हम सभी बड़े उत्सुक हैं।”

“आपसे ज्यादा आपकी बातें जाननेके लिए मैं उत्सुक हूँ। सुमेधजी, मेरी कहानी बहुत बड़ी नहीं है। उक्त गुफामें आनेसे पूर्व मैं बिहार प्रान्तके नालन्दामें रहता था। उस समय वहाँ एक विद्यालय था, जिसमें मैं पहले पढ़ता-पढ़ाता था।”

“ओ-हो ! आप नालन्दा विद्यालयके अध्यापक विश्वबन्धु हैं ! सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन कर सके ! मैं भी तीन वर्षसे बीस की अवस्था तक आपके ही विद्यालयकी गोदमें पला हूँ । वहाँ के ‘वसुबन्धु-भवनमें’ मैंने आपकी प्रस्तर-मूर्ति भी देखी है !”

“तो हमारा प्यारा विद्यालय अब भी जीवित है ?”

‘जीवित ही नहीं, बल्कि आज उस विद्यालयके मुकाबलेमें संसारमें शायद ही कोई दूसरा विद्यालय हो । दर्शन, ज्योतिष, भाषा-विज्ञान, इतिहास और राजनीतिके लिए नालन्दा अद्वितीय है ।’

मैं जिस समय नालन्दा विद्यालयके उत्कर्षको सुन रहा था, मेरे आनन्द की सीमा न थी, हृदयमें आनन्दका सिन्धु तरंगों मार रहा था । ओतागण भी इस परिचयसे बहुत प्रभावित दीख पड़े । सब-के-सब मेरी ओर एक ऐसी दृष्टि से देख रहे थे, जिसमें प्रेम और सम्मानका भाव था । अब मेरी ज्ञातव्य बातें उन्हें मालूम ही हो चुकी थीं । मैंने उनकी बात जाननेके लिए अपनी राम-कहानीका यों शीघ्र अन्त कर दिया—

“कोई तीस वर्ष तक विद्यालयकी सेवा करनेके बाद मैं उत्तराखंड घूमने आया । उस गुफामें, जो यहाँसे १२-१३ कोसपर है, पहुँचकर मुझे मूर्छा या नींद आ गई, और अब तक वहीं पड़ा रहा । बस, यही मेरी संक्षिप्त कथा है । अब आप लोग बतलायें, आपकी जन्मभूमि कौन-सी है, आपको भाषा तो नेपाली नहीं मालूम होती ?”

“अब उस नेपाली भाषाको तो आप कहीं बोली जाती न पायेंगे । हाँ, पुस्तकालयोंमें उसकी पुस्तकें अवश्य पाई जायँगी । अब सारे भारतवर्षमें एक ही भाषा बोली जाती है । हम सबका जन्म एक ही जगह नहीं हुआ है । यद्यपि मेरे पिताका जन्म काठमांडोका था, लेकिन नालन्दा विद्यालयमें शिक्षा समाप्त करनेपर उन्होंने गया जिलेके शाक-ग्रामको अपना कार्य-क्षेत्र बनाया । मेरा जन्म वहींका है । अभी मेरे पिता जीवित हैं और आज-कल माताके साथ हजारीबाग के वृद्ध-ग्राममें रहते हैं । उनकी अवस्था सौ वर्षसे ऊपरकी है । इसी तरह यहाँके हमारे सभी साथियोंके बारेमें समझिये । मेरी साथिन सुमित्राका [पासमें बैठी महिलाकी ओर संकेत करके] जन्म काशीका है,

किन्तु इनको शिक्षा भी नालन्दा विद्यालयमें ही हुई है। विवाहके बाद हम दोनोंने यहीं काम करना निश्चित किया। साथी अर्जुनका जन्म लङ्काके अनुराधपुरका है, किन्तु जब यह एक ही वर्षके थे, तो इनके माता-पिता बोध-गयामें आ बसे और इन्होंने भी नालन्दामें ही शिक्षा पाई। इनकी सांयिन प्रतिभा काश्मीर की है, लेकिन शिक्षा इनकी उसी विद्यालयमें हुई है। इसी तरह यहाँ जितने साथी उपस्थित हैं इनकी संख्या १०० है और इनके जन्म-स्थान भी एक सौसे कुछ ही कम होंगे। हमारे सेवग्राममें पाँच हजारकी आबादी है, जिसमें आधे स्त्री-पुरुष दूसरी जगहके हैं। बात यह है कि तीन सालकी उम्रमें ही लड़के शिक्षाके लिए विद्यालयमें चले जाते हैं और बीस वर्षकी अवस्थामें शिक्षा समाप्त होनेपर इनमेंसे बहुत कम अपने जन्मके गाँवको लौटते हैं। जिनकी जिस विद्या और शिक्षाकी ओर रुचि हुई, वे उसी तरहकी बस्तीमें जा बसते हैं।

“तां जान पड़ता है, अब सभी बातोंमें पुराने जमानसे अन्तर हो गया है। अच्छा, यह तो बताओ, इस समय नेपालका राजा कौन है?”

“नेपालका राजा! ‘राजा’ शब्द तो अब पुस्तकोंकी ही शोभा बढ़ाता है। अब राजा कहाँ?”

“अच्छा, ये बाग किसके हैं?”

“अब तो सभी चीजें राष्ट्रीय हैं, सिर्फ बाग क्या! यह घर कुर्सी, पलंग, लड़के, स्त्री-पुरुष सब राष्ट्रके हैं।”

“तो राष्ट्रका संचालन कैसे होता है?”

“हमी लोगों द्वारा चुने गये पंचोंकी पंचायतोंसे। ग्राम, जिला, प्रान्त, देश, आखिल भूमण्डल सबका संचालन इसी तरह होता है।”

“क्या भूमण्डलका एक ही राष्ट्र है?”

“हाँ, आज सौ वर्षसे। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग भी अपना बचा काम समाप्त कर आवें। (घड़ी देखकर) चार बज गये, पाँच बजे हम लोग यहाँसे चलेंगे। मैं अभी ग्रामणीको आपके मिलने की सूचना देता हूँ। शामकी वहीं विभाम करना होगा।”

“हाँ, आप लोग अपना काम करें। मैं मजेमें यहाँ बैठा हूँ।”

सुमेधके उठते ही सभी लोगोंने बागका रास्ता लिया। सुमेधने टेलीफोन की घंटी बजाई। जिसका उत्तर भी तुरन्त मिला। उन्होंने चुपकेसे, न जाने क्या, कहा। फिर कुछ सुनकर वह मुँहसे बाँले - हमारे ग्रामणी देवमित्र आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं तो अब कामपर जा रहा हूँ। यह कह वह भी कामपर चले गये। मैं 'रेडियो-फोनके' पास गया। वहाँ देखता हूँ, एक शीशेपर एक मनुष्यका प्रतिबिम्ब है। मैं चकित होकर देखने लगा। वह मेरा प्रतिबिम्ब तो है ही नहीं; साँय ही वहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं; फिर यह कोई चित्र भी तो नहीं है। मैं स्तब्ध और चकित हो रहा था इतने हीमें उस प्रतिबिम्बका होठ हिला और टेलिफोनसे आवाज आई—'स्वागतम्! मैं देवमित्र हूँ। अभी साथी सुमेधने आपके शुभागमनकी सूचना दी थी। सबसे बड़ा काम तो यह है कि अभी आपके चित्र और समाचारका पटना भेज रहा हूँ। वहाँ से छः बजेके भीतर-ही-भीतर सारे भूमण्डलमें आपका चित्र और समाचार पहुँच जायगा। आपके यहाँ आनेपर मैं तो स्वागतके लिए हाजिर रहूँगा ही, इस समय आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। आप थके-माँदे होंगे—विश्राम करें।'

मैंने देवमित्रकी बातोंको यद्यपि आश्चर्यसे सुना, किन्तु मनको समाधान किया, यह सब विज्ञानके चमत्कार हैं। बहुत दिनके बाद चलनेसे सचमुच मेरे पैरोंमें थकावट मालूम होती थी, किन्तु निद्रा नहीं। अभी लेटनेका विचार कर ही रहा था, कि खुले किवाड़से दूसरे कमरेमें देखा, एक आलमारीमें, और उसके पासके मेजपर कुछ किताबें हैं। मेरी उत्सुकताने मुझे पलंगकी ओर कदम बढ़ाने न देकर उधर आकृष्ट किया। जाकर देखता हूँ आलमारी में बहुत ही सुन्दर जिल्दोंसे सज्जित किताबें रखी हुई हैं। पासकी एक कुर्सीपर बैठकर, मैंने मेजसे एक किताब उठाकर देखी। किताबमें मामूलसे कुछ अधिक वजन मालूम हुआ। खोलकर देखा तो चाँदीके रंगके-से किसी धातुके पन्ने हैं। छुपाई-सफाई अतीव सुन्दर। मेरे दिलमें इच्छा हुई, देखूँ, कहाँकी छपी है। देखनेपर ज्ञात हुआ, नालन्दा प्रेसमें २०२४ में छपी है। आज १०० वर्ष छपे हो गये, लेकिन देखनेसे मालूम होती है, विलकुल अभी प्रेससे आई है! खालनेपर, उसके पन्ने निहायत बारीक दीख पड़े। एक इंचमें प्रायः तीन

हज़ार पृष्ठ रहे होंगे । मुझे पग-पगपर वर्तमान जगत् की सभी घटनायें आश्चर्यजनक मालूम होने लगीं । मैंने विचारा, पहले यह देखना चाहिये कि कौन-कौन-सी पुस्तकें हैं । मेजपर एक ओर मोटे अक्षरोंमें सूचीपत्र अंकित एक गुटका देखी । देखनेसे ज्ञात हुआ, इतिहास, वनस्पति-विज्ञान, साहित्य और भूगोल-सम्बन्धी यहाँ दो-सौ पुस्तकें हैं । भाषाके विचारसे अधिकतर पुस्तकें हिन्दीकी थीं । कुछ पुस्तकें सार्वभौम भाषामें भी थीं और एक-दो अंग्रेज़ीकी भी । मैंने जिसे उस समयके लिए सबसे उपयुक्त समझा, वह था—सार्वभौम राष्ट्र-संगठनका इतिहास । उसे उठाकर मैं कुर्सीपर जा बैठा । पुस्तककी छपाई आदि अद्वितीय थी । छपी भी इसी वर्षकी थी । लेखक नालन्दा-विद्यालयके एक इतिहासज्ञ, अध्यापक विश्वामित्र थे । मैंने विचारा दो-ढाई हज़ार पृष्ठोंवाली इस पुस्तकका एक घन्टेमें पढ़ना मुश्किल है, अतः विषय-सूची ही देख लूँ ।

सूची देखनेसे, १९२४ के बादकी मोटी-मोटी बातें जो मालूम हुईं, वे यह हैं—ब्रिटिश छत्र छायामें भारतको स्वराज्य १९४० तक, संयुक्त एशिया राष्ट्र १९६० तक, संयुक्त एशिया-अफ्रीका-आस्ट्रेलिया राष्ट्र २००० तक, संयुक्त यूरोप-अमेरिका राष्ट्र २०१० तक, भूमंडलका एक राष्ट्र २०२४ तक । मैंने कहा, देखूँ, आजकल अखिल भूमंडलका राष्ट्रपति कौन है । मैंने इसके लिए पुस्तकका अन्तिम अध्याय देखा; जिसमें नामों के साथ उन व्यक्तियों के चित्र, जन्मस्थान और शिक्षास्थान भी दिये गये थे । सम्पूर्ण भूमंडलके राष्ट्रपति अगले तीन वर्षोंके लिए श्री दत्त चुने गये हैं, जिनका जन्मस्थान भारत ही है । शिक्षा उन्होंने तत्कालीन पार्सल में पाई । अवस्था चौदहत्तर वर्षकी है । प्रधान मन्त्री ओहारा जापानी हैं । शिक्षा-मंत्रिणी मोनोलिन एक रूसी महिला, स्वास्थ्य-मन्त्री डेविड अमेरिकावासी, इसी प्रकार और-और विभागोंके भी मन्त्री भिन्न-भिन्न देशोंके लोग हैं । मैंने खूब गौर करके देखा, ती भी वहाँ सेना-मन्त्री कोई नहीं दिखाई पड़ा । विचारमें आया, कदाचित् छापेकी भूलसे नाम छूट गया हो । भला ऐसा महत्त्वपूर्ण पद रिक्त कैसे रह सकता है ? पीछे मैंने देश-देशकी राष्ट्र-सभाओंमें देखा, सभी जगह सेना-मन्त्रीका अभाव था । मैंने अन्तुकी शब्दसूची उलटकर देखी, जहाँ सेना, सेनापति, सेना-मन्त्री शब्द आये

ये उन पृष्ठोंके पढ़नेसे ज्ञात हुआ, २०२४ ई० हीमें प्राचीन संसारका यह महत्त्वपूर्ण पद उठा दिया गया। अब न तो सेना कहीं है न सेनापति ही।

मैंने अभी इतना ही देख पाया था कि इतनेमें सभी लोग कामपरसे चले आये। आते ही सुमेधने मुझे चलनेके लिए कहा। मैं उठ खड़ा हुआ। मकानसे बाहर जानेपर, केवल किवाड़ लगाकर जब सबको ही चलते देखा, तो मैंने पूछा—

“क्या छहाँ कोई नहीं रहेगा ?”

“काम क्या है ?”

“चीज़ोंकी रखवालीके लिए; और नहीं तो मकानमें ताला ही लगा चलते ?”

०

“अनजान आदमीद्वारा भूल-चूकसे पुर्जा छू जानेके डरसे तालेको बिजलीके कारखानों में लगाते हैं। यहां किताबों के छूनेसे कौन मर जायगा ? कोई जीव-जन्तु भीतर जाकर कोई चीज़ खराब न कर दे, इसके लिए दर्वाजे तो लगा ही दिये हैं।”

जानवरका नाम आते ही स्मरण आ गया, कि यहाँ तो पहले बहुत बन्दर थे; पूछा—

“अच्छा, यह तो मालूम हुआ कि अब चोरीकी सम्भावना नहीं है। परन्तु, यह तो बताओ, पहले यहाँ बहुतसे बन्दर रहते देखे थे, अब वे क्या हुए—एक भी नहीं दीख पड़ते ?”

“आप यह सौ वर्षसे पूर्वकी बात पूछ रहे हैं। मैंने पुस्तकोंमें पढ़ा है, पहले जिन-जिन स्थानोंपर बन्दर बहुत थे, फसतका नुकसान देखकर सरकारने बड़े यत्नसे पकड़-पकड़कर उनमेंसे बन्दरियोंको तो हज़ारों पिंजड़ोंवाले घरोंमें रख छोड़ा और बन्दरोंको एक टापूमें छोड़ दिया। इस प्रकार २०-२५ वर्षके अन्दर सारे बन्दर स्वयं नष्ट हो गये, क्योंकि उनकी सन्तान-वृद्धि रुक गई।”

“तो क्या अब बन्दर हैं ही नहीं ?”

“कुछ हैं, जो प्राणि-विद्याके उपयोग के लिए बड़े-बड़े संग्रहालयोंमें रक्खे गये हैं, जहाँ उनकी संतति आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जाती है। बन्दर

ही नहीं, और भी ऐसे अनेक जीव हैं, जो अब केवल संग्रहालयोंकी ही शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनको कि पहले लोग बड़े चावसे पालते थे ।”

• मैंने स्मरण करके पूछा—“कुत्ते-बिल्ली तो ग्रामोंमें हैं न ?”

“नहीं, उनसे ग्रामको लाभ क्या ? उनकी जाति भी अब आप संग्रहालयों हीमें पाइयेगा ।”

मोटरे सड़कपर लगा दिखलाई पड़ीं, हमने भी बात करते-करते अपना-अपना स्थान ग्रहण किया । एक-एक मोटरमें बीस-बीस आदमियोंके बैठने का खुला स्थान था । मैंने पूछा—तोड़े हुए फल कट्वाँ गये ?

“वे तो उसी समय तोड़े जाते और मोटरोंपर लादे जाते थे । आपके आनेके समय ज्ञात होता है मोटरे बौझ लेकर चली गई थीं । यहाँ देर तक रखकर सुखानेसे तो फलोंकी हानि होती, इसलिए स्टेशनपर जाते ही, उन्हें बर्फ लगी हुई गाड़ीमें रखकर माँगवाले स्थानोंपर भेज दिया भी गया होगा ?”

“तो आपके गाँवमें केवल फल ही पैदा होते हैं ?”

“हाँ केवल फल; उसमें भी सेबके बगीचे ही ज्यादा हैं । यही कारण है, कि हमारे ग्रामका नाम ही सेब-ग्राम पड़ गया है । हमारे यहाँ से १५ मील-पर नारङ्गी-ग्राम है, जहाँ नारङ्गीके ही बगीचे हैं । आपने पोछे बागमतीके उस पार कैलोंका वन देखा होगा ।”

“हाँ, देखा था ।”

“वह कदली-ग्रामकी हदमें है । वहाँ प्रायः केले-ही-केले उत्पन्न होते हैं, हमारे ग्राममें थोड़ा नारङ्गीका भी बगीचा है । आपने जलपानमें जो केला खाया था, वह वहींका था ।”

“मैंने सभी फलोंमें एक विशेष प्रकारका स्वाद और मिठास पाई । आकृति भी उनकी बड़ी देखी, क्या इसमें भी कोई बात है ?”

“हाँ अब वनस्पति-विज्ञान आपके समयसे बहुत उन्नत हो गया है । फलोंमें विचित्र रूप, रस, गन्ध, आकृति पैदा करना मनुष्यके हाथमें है ।”

हमारा वार्तालाप जारी था । मोटरें सर्राटेके साथ आगे भागती जा रही थीं । दोनों ओर सड़कके किनारे सेबोंके बगीचे थे । हमारी सड़क यद्यपि

कहीं-कहीं दस-बीस हाथ ऊँचे-नीचे चली जाती थी, किन्तु वह चूड़ाई-उतराई ऐसी थोड़ी थोड़ी थी, कि मालूम नहीं पड़ती थी। दाहिनी ओर बागमती थी और बाईं ओर पर्वत। बागमती कहीं-कहीं ४०० गज नीचे है, कहीं इससे कम; किन्तु बगीचा तट तक चला गया है। भूमि एक रस कर दी गयी है। चट्टान, जो भूमिको ऊभड़-खाभड़ बनाती रहीं, या तो टाँक दी गई हैं या तोड़कर गंगामें फेंक दी गई हैं। मुझे मनुष्यकी इस शक्तिको देख आश्चर्य और आनन्द, दोनों होता था।

विचार करते-करते मेरे दिलमें आया, सेब-नारङ्गीकी फसल सदा तो नहीं होती। दूसरे दिनोंमें ये लोग क्या काम करते होंगे? उत्तर पानेसे पहले ही आसपासके बागोंमें छोटे-छोटे फल लगे दिखाई पड़े। मैंने पूछा—“यह क्या दूसरी जाति के सेब हैं, जो इतने छोटे हैं?”

“जातिमें भेद तो अवश्य है, किन्तु कदमें नहीं। ये तो बढ़कर उनसे भी बड़े और लाल हांते हैं, इनकी फसल अभी दो मासमें तैयार होगी। हमारे यहाँ फसल बराबर ही लगती और टूटती रहती है।”

अभी यह बात ही ही रही थी कि मोटरें रेलकी सड़क पार कर गईं। मैंने पूछा—“यह रेल कहाँ जाता है?”

“यह चन्द्रागढ़ी होता हुई काठमांडो और वहाँसे और आगे बहुत दूर तक फैली हुई है।”

मैंने आश्चर्यसे पूछा—“क्या रेल इन पहाड़ोंपर चली गई। मैंने तो उस समय चन्द्रागढ़ीपर बोफे ढोनेके लिए, ‘रोप-लाइन’का प्रबन्ध होते देखा था। उस समय उसके लिए फर्पिंगके बिजली-घर से बिजलीके खम्भे गड़ गये थे।”

“अब तो फर्पिंगमें वैसा कोई बिजलीका कारखाना नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, पहले नेपालमें चन्द्र शमशेर नामका एक राजा था, उसने अपने देशको लाभ पहुँचानेके लिए ही वहाँ एक बिजलीका कारखाना बनवाया था, किन्तु, आज डेढ़ सौ वर्षोंसे भी ऊपर हुए, वह बन्द कर दिया गया।”

“क्या मालूम है, क्यों बन्द कर दिया गया?”

“वहाँ आसपासके पहाड़ी भरनोंके पानीको एक तालाबमें जमा कर उससे बिजली तैयार की जाती थी, यद्यपि इससे कुछ बिजली तैयार होती

थी, जो शायद उस समयके खर्च के लिए पर्याप्त भी समझी जाती हो, किन्तु भरनोंके पानीका इस प्रकार विनियोग करनेसे, फर्पिंगके आसपासके पर्वत सूखते चले गये। चन्द्रने अच्छे ही विचारसे इन दोनों कामोंको क्यों न किया हो —”

“दूसरा काम कौन-सा ?”

“दूसरा काम पहाड़ों और आसपासके जंगलोंको काटकर खेत बनवा डालना ।”

“उससे हानि क्या थी ?”

“उससे भी पहाड़ धीरे-धीरे सूख चले—वृष्टि कम होने लगी। आखिर पचास वर्षके भीतर-ही-भीतर पानीके अभावसे उन खेतोंको छोड़कर लोगोंको भाग जाना पड़ा ।”

“तो क्या उस कारखानेको बन्द करनेसे कुछ फायदा पहुँचा ?”

“हाँ, बहुत। अगर आप अब जाकर देखें, तो फर्पिङ्गके आसपासके पर्वत रम्य उद्यानोंसे हरे-भरे मिलेंगे। चारों तरफ सेब, नास्पाती, अंगूर और अनारके बाग लहलहाते पायेंगे। ये सब फल वहाँ होते भी हैं बहुत बड़े और मोठे। इस तरह बगीचोंका जंगल लग जानेसे पहलेसे अब कई गुना ज्यादा लाभ है। पहाड़ फिर तर हो गये हैं; भरने भी बहुत हैं ।”

“तब तो, सभी जगह भारी क्रान्ति हो गई ! अच्छा, अब शायद आपका गाँव भी करीब है । वही मकान तो दिखाई दे रहे हैं ?”

“हाँ, वही; किन्तु अभी तान मील है—यही दस मिनटका रास्ता ।”

“क्या आपने नेपालकी सैर की है ?”

“हाँ, बहुत। मेरा वार्षिक विश्राम बहुधा वहाँ और तिब्बतकी सैर हीमें कटा है। मुझे तीस वर्ष यहाँ रहते हों गये। प्रति वर्ष दो मासका विश्राम मिलता है। मैंने ०१-१२ छुट्टियाँ वहाँकी ही यात्रामें बिताई हैं। भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिसे भी मैंने वहाँके विषयमें बहुत अध्ययन किया है ।”

इस पुरुषकी इस प्रकारकी बातें सुनकर मुझे और भी आश्चर्य होता था। बीसवीं शताब्दीमें ऐसा पुरुष किसी अच्छे कालेजका प्रोफेसर होता। किन्तु आज यह सामान्य जनोमें है। क्या विद्याकी कदर कम हो गई, या

पूछा—“क्या आप ‘सार्वभौम राष्ट्र के संगठन का इतिहास’ के लेखक अध्यापक विश्वामित्र हैं ?”

उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—“हाँ, वही ।”

“तो मुझे आपकी मुलाकात से बहुत प्रसन्नता हुई ।”

“उससे कहीं अधिक मुझे हमारा नालन्दा-परिवार आपको सदा याद रखता है । आपने जो बीज वहाँ बोया था, उसे देखकर आज आप प्रसन्न होंगे । आपके और ग्रामणो महाशय के वार्तालाप के बाद ही आपके शुभागमन की मुझे खबर लग गई थी । वहाँ सारा विद्यालय-परिवार बड़ा उत्सुक है । हमारे आचार्य वशिष्ठ ने अभी मुझसे कहा है कि, सबसे प्रथम आपके दर्शनों का अधिकारी नालन्दा-परिवार है ।”

“आपने क्या टेलीफोन-द्वारा यह वृत्तान्त जाना है ?”

“हाँ । अभी तो पुस्तकालय में टेलीफोन पर बात ही कर रहा था । आपके इस जगह आने का समाचार भी उन्हें मैंने दे दिया । उन्होंने कहा है, यदि कष्ट न हो, तो इसी समय वार्तालाप और दर्शन देने के लिए कहें ।”

“नहीं, कुछ नहीं । मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है । कौन पैदल आया हूँ ! चलो, चले । यह मेरे लिए भी कम आनन्द का विषय नहीं है ।” यह कह, हम दोनों उठकर पुस्तकालय में गये । यहाँ सौ-डेढ़ सौ आदमियों के बैठने लायक एक खुला हाल है । दो आलमारियाँ किताबों की हैं । बिजली की रोशनी जल रही है । बीच में बड़े-बड़े मेज और बैठने के लिए बहुत-सी कुर्सियाँ पड़ी हैं । विश्वामित्र ने जाकर टेलीफोन में घन्टी दी । मैं वहाँ ही कुर्सी पर बैठ गया । वह कुछ क्षण के बाद मुझसे बोले—“हमारे, आचार्य आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं ।”

मैंने जाकर देखा, शीशे में एक वृद्ध पुरुष का प्रतिबिम्ब है । प्रतिबिम्ब ने होठ हिलाकर सिर फुकाया और टेलीफोन से आवाज आई—“स्वागतम्” । मैंने भी शिर फुकाकर उत्तर दिया ।

विश्वामित्र ने कहा, यही हमारे आचार्य हैं । आप सत्तर वर्ष से विद्यालय की सेवा कर रहे हैं, जिसमें बीस वर्ष से आप आचार्य के पद पर वर्तमान हैं ।

मैंने कहा—“वशिष्ठजी, आपके मिलने से मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ।

बास्तवमें आप सब धन्य हैं, जो इस प्रकार अनवरत विद्या-दान द्वारा जगत् का उपकार कर रहे हैं।”

“यह हमारा कर्तव्य है।...हाँ, नालंदा-परिवारकी ओरसे मेरी प्रार्थना है, कि अन्यत्र कहीका निमंत्रण स्वीकार करनेसे पूर्व, पहले अपने विद्या-लयमें पधारें।”

“यह मेरी स्वयं ही इच्छा है, इसके विषयमें और कुछ कहना न होगा। मैं यहाँसे सीधे वहाँ ही आऊँगा।”

“अध्यापक विश्वामित्र आपकी सेवामें हैं ही, यही भी खुशीकी बात है। वह अब विद्यालयको लौट रहे हैं; उन्हींके साथ पधारें। आपका शरीर अत्यन्त कुश है। इसलिए हमारा यह आग्रह नहीं, कि आप तुरन्त आवें।”

“अवश्य यहाँ से वहाँ ही आ रहा हूँ। सभी बालक-बालिकाओं और अध्यापक-अध्यापिका-परिवारसे मेरी मंगल-कामना कहें।”

“यहाँ शब्दप्रसारकसे सभी सुन रहे हैं। अच्छा, तो अब आप विश्राम करें।”

इस वार्तालापने एक अद्भुत आनन्द मेरे हृदयमें पैदा कर दिया। मैं विश्वामित्रका हाथ पकड़े वहाँ से अपने कमरेमें आया। मैंने कहा—

“विश्वामित्र ! मेरे समयके और अबके संसारमें बड़ा फर्क है। तुम तो इतिहासके अध्यापक ही हो—इन बातोंको जानते हो। किन्तु यह मुझे अधिक आश्चर्यमय इसलिए मालूम होता है, कि मैंने दो सौ वर्षोंके पूर्वका संसार इन्हीं आँखोंसे देखा था। मुझे वे बातें कलकी-सी दोख पड़ती हैं। उस समय समानताकी धीमी-सी आवाज उठी थी; किन्तु यह रूप-रेखा स्वप्नमें भी कहाँ मालूम होती थी ? मैं आज ही तुम्हारे संसारमें आया हूँ। अभी तो मैंने इसका शतांश भी देख-समझ न आया। किन्तु, इतने हीमें आश्चर्य-समुद्रमें डूब रहा हूँ। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे संसारने आशा-तीत उन्नति की है।”

विद्यालयके विषयमें

“अच्छा, यह तो बताओ, नालन्दा विद्यालयकी इस समय क्या स्थिति है ?”

“अब नालन्दा बहुत विशाल विद्यालय है। पुराने बड़गाँवसे राजगृह तक विद्यालयके ही भवन और छात्रालय चले गये हैं। सारे भूमंडल में दर्शन और इतिहासके लिए ऐसा दूसरा विद्यालय नहीं। वहाँ अध्ययनके लिए यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया सभी जगहोंसे विद्यार्थी आते हैं। प्राचीन वस्तुओंका संसारमें सबसे बड़ा संग्रहालय यहींपर है। प्राचीन लिपियों और भाषाओंके पढ़ने-पढ़ानेका यहाँ सर्वोत्तम प्रबन्ध है। ‘सार्वभौम संघ’की आज्ञासे, सिर्फ भारतकी इतिहास-विषयक सामग्री ही नहीं, बल्कि रोम, यवन, मिश्र, असुर कल्दान, मेक्सिको आदिके विषयकी कितनी ही सामग्रियाँ वहाँ संग्रहीत हैं। नालन्दाको अभिमान है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय इतिहासके प्रस्तुत करनेमें बड़ी सहायता की है। दर्शनका अध्ययन नालन्दा-में उत्तम रीतिसे होता है। नव्य, प्राचीन, पौरस्त्य, पाश्चात्य सभी दर्शनोंके अध्ययनका प्रबन्ध है। हमारे आचार्य दर्शनके महान् विद्वान् हैं। संस्कृत, पाली, जन्द, प्राकृत, यवनानी, लातीनी (रोमक) इत्यादि बहुत-सी भाषाओंके वहाँ अध्यापक हैं। भाषाओंके अध्ययनमें अब सचमुच बड़ी कान्ति हो गई है। प्रत्येक भाषाके अध्ययन के उपयुक्त वातावरण बना हुआ है। विशेष-विशेष भाषाओंके जिज्ञासुओंको यहाँ रखकर एक प्रकारसे दूसरी भाषासे उनका नाता ही तुड़वा दिया जाता है। उनका सभी समालाप उसी भाषामें होता है। वस्तुओंका नाम आदि अध्यापकगण आंकृति-प्रदर्शन-पूर्वक उसी भाषामें बतलाते हैं। इस प्रकार तीन वर्षमें छात्रोंका उस भाषापर अधिकार हो जाता है। ज्योतिषशास्त्रका अध्ययन भी भारतमें सबसे अच्छा नालन्दामें होता है। राज-गृहके वैभार-गिरिपर यहाँ की महान् वेध-शाला है। ज्योतिष-साहित्यकी वृद्धिमें भी हमारे विद्यालय ने भाग लिया है। भारतके ‘नालन्दा’ और ‘तक्षशिला’के विद्यालय भूमंडलके प्रमुख विद्यापीठोंमेंसे हैं।

‘तत्त्वशिला’ने आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणि आदि शास्त्रोंमें बड़ी कीर्ति अर्जित की है।’

“पठन-काल विद्यालयमें क्या है ? नियम तथा परीक्षा-क्रम कैसा है ?”

“१७ वर्षका अध्ययन तो सब हीके लिए अनिवार्य है। यह नियम भारतके ही नहीं, सारे भूमंडलके विद्यालयोंके लिए एक-सा है। तीसरे वर्ष बालक वालोद्यानमें ले लिया जाता है। उसके बाद ६ वर्ष तक शिशु-कक्षा, ६ से १४ तक बाल-कक्षा और १४ से २० तक युवा कक्षा में शिक्षा पाता है। साधारणतया यहीं पढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके बाद लड़के अपनी प्रवृत्ति और योग्यताके अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवसायोंमें लग जाते हैं। किन्तु, जिनकी प्रवृत्ति विद्या-व्यवसायमें देखी जाती है, उन्हें अपने विषयमें योग्यता बढ़ानेका और भी अवसर दिया जाता है। यह समय प्रायः ४ से ६ वर्ग तकका है। किन्तु इसमें अवधि नहीं है। इसके बाद भी अध्ययन करते उन्हें आगे बढ़नेका पूर्ण अवसर प्राप्त है।

इस प्रकार अनेक विषयोंपर हमारा वार्तालाप चलता रहा। अभी बात चल ही रही थी कि आठ बजनेका समय हो गया। इसी बीचमें अतिथि-शालाकी श्री पद्मावतीने आकर अभिवादन कर दिया था, किन्तु हमारी गम्भीर बात छिड़ी देख वह और कुछ बोलना उचित न समझ, चली गई थीं। अब फिर उन्होंने आकर सूचित किया कि आठ बजनेवाले हैं भोजनका गोला दगनेवाला है। चलनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए।

बीसवीं सदी

मैंने विश्वामित्रसे पूछा—“यह गोला क्यों दगता है ?”

“बात यह है कि हर आदमी के पास घड़ी रखनेकी फजूल-खर्ची राष्ट्रने उचित नहीं समझी। इसीलिए समयकी सूचना इस प्रकार दी जाती है। दिन-रातमें जलपान और भोजनके लिए चार समय हैं—सबिरे सात बजे प्रातः-राश, ग्यारह बजे दोपहरको मध्याह्न भोजन तीस-साढ़े तीस बजे जलपान और

फिर रात्रिमें आठ बजे ब्यालू। इन चारों समयोंपर तथा प्रातः जागनेके समय तोपका गोला छोड़ा जाता है।”

“किन्तु, मैंने बागमें सुमेधजीके पास तो घड़ी देखी थी ?”

“हाँ, बाहर कामपर जानेवालोंमें एक मुख्य पुरुषके पास घड़ी रहती है सबके पास नहीं। अच्छा, तो अब हमें चलना है। यह लोजिये, गोला भी—अररर-धम्।”

हमलोग जल्दी ही वहाँसे निकल पड़े। देव, पद्मावती और हम दोनों चार आदमी थे। सड़कपर चारों ओर चाँदनीकी भाँति बिजलीकी रोशनी फैल रही थी। सड़क प्रशस्त और स्वच्छ थी। उसके दोनों ओर एक समान पक्के मकानोंकी पंक्तियाँ थीं। हर एक मकानके सम्मुख सड़क तक फूलोंके पौधे थे, जो अपनी शोभा और सुगन्धसे चलनेवालोंके चित्तको प्रफुल्लित कर रहे थे। प्रत्येक घरके सामने बरांडा था, जो सौ-सौ घरोंके लिए एक ही था। विश्वामित्रजीने बताया कि प्रत्येक पुरुषके रहनेके लिए तीन-तीन कमरे हैं, जिनमें से सामनेवाला बैठकका कमरा उतना ही बड़ा है जितना कि वह कमरा, जिसमेंसे अभी हम आये हैं। इनमें दस कुर्नियाँ आसानीसे बिछाई जा सकती हैं। पीछेकी ओर चौड़ाईमें इससे ड्योढ़े, किन्तु लम्बाईमें आधे, दो कमरे हैं—एक सोनेके लिए, और दूसरा स्नानके लिए। यही तीनों कमरे मिलकर एक घर कहलाता है। ऐसे ही सौ घरोंकी एक श्रेणी है। हर श्रेणीके लिए एक-एक निर्वाचित प्रधान हाते हैं, जो स्वयं भी उसी श्रेणीके एक घरमें रहते हैं। मुझे पीछे मालूम हुआ, कि सुमेध ऐसी ही एक श्रेणीके प्रधान हैं। प्रत्येक श्रेणीका एक विभूत हाल होता है। जिसमें कुछ पुस्तकें, वाद्य तथा और मनोरञ्जनकी वस्तुयें रहती हैं। यहाँ हाँ टेलीफोन भी लगा रहता है। इस सेब-ग्राम में ऐसी पचीस श्रेणियाँ हैं।

नर-नारी सड़कपर आपसमें वार्तालाप करते चलते रहे थे। सबकी बातोंका लक्ष्य मेरी ही ओर दिखाई पड़ता था। मैंने हजारों नर-नारियों को मार्गमें देखा, किन्तु उनमें एक भी बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। मैंने समझ लिया, तीन वर्षके बाद तो बच्चे ले ही लिए जाते हैं। सर्दिके कारण छोटे बच्चोंको शायद इस समय साथ न ले जाते हों। अब मैंने पासके वृहद् भवन पर मोटे अक्षरोंमें

‘भोजनागार’ देखा। अपूर्व विद्युच्छटा चारों ओर छिटक रही थी। मकानमें प्रविष्ट होनेके लिए बहुत-से द्वार थे। प्रविष्ट होनेसे पहले लोगोंने बरांडेमें गर्म जलके नलोंसे हाथ धो, लटकते रुमालोंसे हाथ पोछे। फिर भीतर प्रविष्ट हुए। भोजन रखनेकी मेज-कुर्सियाँ वैसी ही थीं, जैसी कि बागमें देखी थीं। हाल बहुत ही लम्बा-चौड़ा था। उसमें पाँच सहस्र आदमी आरामसे बैठकर भोजन कर सकते थे। स्वच्छता और भीतरी सुन्दरता अपूर्व थी। रसोई-घर, ज्ञात होता है, उससे पृथक् पीछेकी ओर था। मेरे वहाँ पहुँचनेके साथ ही ग्रामीण तथा अन्य पूर्व-परिचित पुरुष और महिलायें आ गई थीं। मुझे एक कुर्सीपर बैठाया गया। मेरी दाहिनी ओर देवमित्र और बाईं ओर विश्वामित्र थे। भोजन पहलेसे परोसकर तैयार रक्खा हुआ था। भोजन के पदार्थोंमें रोटी, मांस और दो तरकारियाँ थीं। एक कटोरी में हलवा भी था। साथ ही एक तस्तरीमें थोड़ा फल और एक गिलास जल। अभी आकर दो मिनट हमें बैठना पड़ा, तब घन्टा टनन्-टनन् हुआ, जिसपर देवमित्रने कहा, अब भोजन आरम्भ होना चाहिए। यह इतनी प्रतीक्षा इसीलिए की जाती है कि भोजन करने वाले सभी आ जायँ। मुझे वह भोजन-मंडली बड़ी विचित्र मालूम होती थी। बीच-बीच में पुरुषोंके साथ स्त्रियाँ भी बैठी निस्संकोच भोजन कर रही थीं। मैंने अपने दिलमें कहा, बीसवीं शताब्दीके भारतीय ऐसा स्वप्न कब देख सकते थे। यद्यपि मैंने अभी पूछा नहीं था और देखनेमें शिज्ञा, सभ्यता, शुद्धतामें सभी स्त्री-पुरुष उच्च वर्णकेसे ज्ञात होते थे, तो भी मेरे मनमें होता था, कि क्या ये सब ब्राह्मण-क्षत्रिय होंगे। कुछ ताँ मैंने पहले ही सुना था—अजुनके माता-पिता लंका-निवासी थे। यद्यपि वेष-भूषा सबका एक-सा था, किन्तु बहुतसे स्त्री-पुरुष यूरोपवालोंकी भाँति गोरे मालूम होते थे। इन सब बातों में मेरे दिलमें निश्चित-सा हो गया कि ‘एक वर्णमिदं सर्वम्’।

भोजन करके सब लोगोंने उठ-उठकर अपने-अपने द्वारसे निकल गये नलोंपर हाथ धोया। मुँह पोछनेके बाद, अब सब लोग वहाँसे चले। ग्रामीणीने पहले ही कहा था कि संस्थागारमें जमावड़ा होगा। अतः वहाँ हीको प्रस्थान किया गया। हाँ, एक बात यह भी देखी कि यद्यपि हाथ-मुँह सबने धोया

किन्तु जूतेको किसीने खोलकर पैर नहीं धोया और न दूसरे कपड़ोंको भी किसीने उतारा ।

अब हम लोग वहाँसे संस्थागारको चले; यह भव्य भवन थोड़ी ही दूरपर था ।

मकान बहुत ऊँचा, सुन्दर था—बाहरसे बिजलीकी रोशनी जगमगा रही थी । यहाँपर भी मोटे-मोटे प्रकाश अक्षरोंमें मुख्य द्वारपर 'संस्थागार' लिखा हुआ था । भीतर प्रविष्ट हुए ।

देवमित्रने कहा—“जब तक सब लोग आ जाते हैं, तब तक आप रंगमंचके पिछले कमरेमें बैठें ।” जाकर अभी थोड़ी ही देर वहाँ बैठे होगे कि इतनेमें रंगमंचसे घंटोका शब्द हुआ, जिसे सुनकर ग्रामणीने चलनेका संकेत किया । मेरे पहुँचते ही मुझे देखकर सारी आँखें मेरी ओर हो गईं । ‘संस्थागार’की आभ्यान्तरिक शोभा अत्यन्त मनोहारिणी थी । रंगमंचपर तरह-तरहके रंगीन चित्र विचित्र प्रखर विद्युत्प्रदीपोंका प्रकाश था । भवनकी छत बहुत ऊँची थी । बड़े-बड़े झरोखे लगे हुए थे । विद्युल्लताके प्रकाशसे रातका दिन हो रहा था । यद्यपि सर्दी पड़ रही थी, झरोखे और द्वार चारों ओर खुले थे, किन्तु अन्तर्हित तापकयन्त्रों की गर्मीसे भीतर किसी प्रकारकी सर्दी मालूम नहीं होती थी । दीवारों और छतोंपर भी बहुत अच्छे रंग-बिरंगे बेल-बूटे बने हुए थे । जहाँ-तहाँ महापुरुषोंके बड़े-बड़े चित्र लटक रहे थे, जिनमें विचारक कवि सभी प्रकारके पुरुष थे । कहीं बुद्ध थे, तो कहीं रूसो, कहीं मार्क्स तो कहीं एंगेल्स; सुकात, प्लेटो, लेनिन, न्यूटन आदि अनेक जगन्मान्य पुरुषोंके चित्र उस विस्तृत भवन में शोभा दे रहे थे । बीच-बीचमें बहुत से सुभाषित टँगे थे ।

मैंने जन-समाजकी ओर देखा, वहाँ न कोई कृश था, न मलिन । स्त्री-पुरुष सब गद्दीदार बेंचोंके ऊपर बैठे थे । उस विस्तृत भवनमें पाँच सहस्र आदमी बैठे होगे, तो भी पीछेकी ओरकी बेंचोंपर और भी आदमी आसानीसे बैठ सकते थे । इस भवनका उपयोग राजनैतिक, साहित्यिक सभी कामोंके लिए होता है । ग्राम-सभाकी बैठकें यहाँ ही होती हैं । मनोरंजनार्थ, बाहरी या अपने यहाँ के प्रवीण लोग संगीत और नाट्याभिनयसे यहाँ सबको प्रसन्न

करते हैं। इतिहास, विज्ञान आदिपर व्याख्याताओंके व्याख्यान भी यहीं होते हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा सामाजिक महोत्सव यहाँपर मनाये जाते हैं।

लोगोंके शान्त बैठते ही, देवमित्रने उठकर आजकी सभाका सभापति होनेके लिए श्री इस्माइलका नाम प्रस्तावित किया। प्रस्ताव करते समय उन्होंने कहा—“यद्यपि हम सबोंके लिए साथी इस्माइल हृदयसे परिचित है, किन्तु आजके अपने श्रद्धेय अतिथिकी जानकारीके लिए इतना कह देना आवश्यक मालूम होता है, कि साथी इस्माइल अनेक बार हमारे ग्रामके ग्रामणी, तथा नेपाल प्रजातंत्रके सभापति रह चुके हैं। यद्यपि आप साठ वर्षके ही हैं, किन्तु गुणोंसे हम सब उन्हें वृद्ध समझते हैं। एक बात और है, जो आजके हमारे अतिथिके सम्बन्धमें आपको समीपतर बनाती है। यही नहीं कि वह नालन्दा विद्यालयके पुत्र हैं, बल्कि हमारे अतिथिको महा-पुरुष शफीका नाम स्मरण होगा; आप उसी वैशाली-वासी महापुरुषके पौत्र हैं। आपकी गणना संसारके बड़े-बड़े राजनीति-विशारदोंमें है। हमारे प्रान्त, विशेषकर हमारे सेव-ग्रामको इनपर अभिमान है, जहाँपर कि शिक्षा-समाप्तिके बादसे ही आप रहते हैं।”

लोगोंने करतल-ध्वनि-पूर्वक प्रस्तावको स्वीकृत किया और इस्माइल उठे। वास्तवमें देखने मात्रसे उनके चेहरेपर महापुरुषका तेज झलकता था। यथार्थमें उनको ६० वर्षका युवक कहना चाहिये। इनको ही क्या, ६०-७० वर्षका अबका आदमी बीसवीं शताब्दीके ३५-४० वर्षके दृष्ट-पुष्ट आदमी-सा मालूम होता है। जैसे और बातोंमें आजके संसारने उन्नति की है वैसे ही इस बातमें भी। श्री इस्माइलने कहा—

“साथियो! अनेक ज्ञान-वयोवृद्धोंके सम्मुख मुझे इस सेवाके लिए स्वीकार करनेका कारण आपकी निष्कारण दयाके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे ही महापुरुषके शुभागमनका सन्देश पा आनन्दमें मस्त हो रहा था। मुझे गर्व है कि मैंने विद्या-द्वारा ही नालन्दामें जन्म नहीं लिया बल्कि मेरा जन्म भी वहींका है। पितामह, आप लोगोंका विदित है, पूरे डेढ़ सौ वर्षके होकर मरे थे। वे सुनाया करते थे कि कैसी कठिनाइयोंमें नालन्दाका

पुनरुद्धार किया गया। जबकि उनकी अवस्था पन्चीस वर्षकी थी, तभी उन्होंने विद्यालयके लिए अपना जीवनदान दिया, और अन्तमें वहीं अग्नि-समाधिस्थ भी हुए। वह कहते थे कि हमारे साथ अनेक महापुरुष उस समय नालन्दाकी सेवा करते थे। उस समय विद्यालयकी भूमिपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर छोटे-छोटे ग्राम बसे हुए थे। विद्यालयके पुरातन भवनोंके ध्वंसावशेष भीटों-जैसे थे। उस समय बुद्ध-पोखर आदिकी यह शोभा न थी। बड़गाँव नामका एक छोटा-सा ग्राम वहाँ था, जहाँ अब भी सूर्यका मन्दिर है। कार्तिककी सूर्य-पञ्चमीका मेला अलबत्ता एक दिनका होता था, जिसमें महिलायें ही अधिक सम्मिलित हुआ करती थीं। आपको ज्ञात है, उस समय स्वाथान्धताका साम्राज्य था। पुरुष स्त्रियोंकी शिक्षामें धर्मकी हानि समझते थे। हमारे मुसलमान भाइयोंने धर्मके नामसे स्त्रियोंको जकड़बन्द किया जिसकी देखा-देखी समस्त उत्तरीय भारत स्त्री-जातिका एकान्त कारागार हो गया था। यह बड़ी भारी कृपा समझिये, जो स्त्रियाँ उस मेलेमें धर्मके सम्बन्धसे जाने पाती थीं। यह तो सभीने सुना था कि आचार्य विश्वबन्धु ३० वर्ष तक विद्यालयकी सेवा करके उत्तराखण्डको चले गये; और तबसे कुछ पता नहीं लगा। किन्तु यह किसको आशा थी कि हम लोगोंका ऐसा सौभाग्य उदय होगा। आज तीन पौड़ियाँ प्रतीक्षा करती चली गईं। हम सब जब इन बातोंको सुनते थे, तो स्वप्न देखते थे—यदि महापुरुषका फिर दर्शन होता, यदि वह फिर पधारते, तो उन्हें अपने सिर-आँखोंपर रखते। हमलोगोंने स्त्रियोंके ऊपर वह अत्याचार होते जन्मसे ही नही देखे। हम लोगोंने तो जन्मसे मनुष्योंका ऊँच-नीच होनेके शब्द ही नहीं सुने। हमने तो धर्मके नामसे कट मरनेकी चर्चा भी न सुन पाई। किन्तु इतिहासमें आपने पढ़ा है—आपके देशका मुख उज्ज्वल करनेवाले अध्यापक विश्वामित्र यहीं हैं। इतिहासोंमें अब जब हम लोग धर्मके नामपर मार-काट पढ़ते हैं, तो हँसते हैं—वैसे ही हँसते हैं, जैसे एक राजाकी बातके कारण सहस्रों पुरुषोंको पतंगोंकी भाँति युद्ध-अग्निमें जलते सुनने पर। जिन्होंने उस अन्धकार-युगमें मनुष्य-जातिके कल्याणके लिए भगीरथ-प्रयत्न किया, वे धन्य हैं। आज महापुरुष विश्वबन्धुकी पवित्र मूर्ति हमारे मध्यमें है। (महापुरुषोंकी तस्वीरोंको ओर इशारा करके) आज हम समझते हैं, ये सारे देवगण मूर्ति-

मान्, सजीव हमारे मध्यमें हैं। वास्तवमें क्या हमारे हृदयका भाव, हमारा भक्ति-उद्गार वाणीद्वारा प्रकट किया जा सकता है ?

“साथियो ! हमारे गाँवका सबसे अधिक सौभाग्य है कि आप पहले यहीं पधारे। आज वस्तुतः अनिर्वचनीय आनन्दका समुद्र हमारे हृदयोंमें तरंगित हो रहा है। हम पूजनीय महात्माको किस प्रकार पूजें, किस प्रकार स्वागत करें, यह समझमें नहीं आता। ऐसे अपूर्व महापुरुषके लिए हमारे पास कौन-सा द्रव्य है ? अधिक कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही—महात्मन् ! हम सब आपके कृतज्ञ हैं, आपके ऋणोंका हमसे परिशोध नहीं हो सकता। साथियो, यद्यपि हम सब लालायित हैं, कि आपका मुँहसे कुछ सुनें; किन्तु यह लोभ हमारा बन्नात्कार होगा। दो सौ साठ वर्षका शरीर, उसमें भी दो सौ वर्षका लम्बा उपवास। अस्तु। अब मैं अधिक आप सबकी ओरसे महात्माकी सेवा में और क्या कह सकता हूँ, सिवाय इसके कि सत्पुरुष ! हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपसे उन्मृण होने योग्य नहीं।”

मैंने यह सब कथन बड़ी सावधानीसे सुना। सुनते समय कितने ही अतीत-दृश्य मेरे मानस-नेत्रोंके सम्मुख आते-जाते थे। कथन-समाप्तिके बाद ही मैंने खड़े होकर कहा—

“बन्धुओं ! मैं जो कुछ देख रहा हूँ, यही एक स्वप्न था, जिसको जागृतमें लानेके लिए लाखोंने अपना जीवन-सर्वस्व अर्पण किया। तुम समझ सकते हो, उस स्वप्नरो जीते-जागते देखते हुए मेरे हृदयमें कैसा आनन्द होता होगा। अभी आजके जगत्का कितना अंश मैंने देख ही पाया है; किन्तु जो कुछ देखा है, वही क्या कम है ? मान लो, आज मैं यदि १६२३ के किसी गाँवमें जाता, तो क्या यह सेव-ग्राम मिलता ? आपका पाँच हजार की आबादीका यह गाँव है, ऐसे ही ग्रामोंकी उस समयकी अवस्था सुनाता हूँ। मिट्टीके कच्चे मकान, जिनमें कहीं-कहीं मकानकी मिट्टी गिर गई है। कहीं एक कोना खिसक पड़ा है। फूसकी छत और खपड़ैल टूटी-फूटी पड़ी हुई है। दस घरमें शायद दो घर ऐसे होंगे, जिनमें बरसातकी बूँदें भीतर न टपकती हों ! जगह-जगह पतली-पतली गलियोंमें कूड़ा-ककट फैका हुआ है, वहीं नाबदानका सड़ा पानी बह रहा है। लड़के वहीं पाखानेके लिए बैठ जाते हैं।

बरसातके दिनोंमें तो और भी सड़-सड़कर कीचड़ और दुर्गन्धकी भरमार हो जाती थी। बस्तीके चारों ओर लगे हुए खेत ही लोगोंके पाखाना जानेकी जगहें थीं। कुत्ते जगह-जगह फिरते रहते थे। किसी प्रकार मुश्किलसे, जिस रास्तेसे गाड़ी जा सके, वही उस समयकी सड़क थी। आज-कल वे बैलगाड़ियाँ और एक्के कहाँ हैं ? प्राचीन वस्तुओंके संग्रहालयों में उन्हें आप लोगोंने देखा होगा। वही उस समयकी सवारी थी। धनी लोग अच्छे-अच्छे घोड़ों की गाड़ियाँ रखते थे। हाथी भी सवारीके लिए रखे जाते थे। अब तो आपके यहाँ, मोटर ही सवारीके लिए, मोटर ही लादनेके लिए, गाँवके सभी काम मोटर हीसे होते हैं। उस समय यह सभी काम आदमी या बैलगाड़ीसे होते थे। मैंने भी कई बार रात-रात भर बैलगाड़ीपर चढ़कर ८-१० कोसकी यात्रा पूरी की थी।

“हाँ, मैं उस ग्रामका वर्णन कर रहा था। बीच में गाँवकी उसी पतली सड़ककी दोनों बगल दूकानें होती थीं, जिनमें हलवाई बत्तासे और लड्डू बेचते थे, बजाज कपड़े, पंसारी रंग मसाले; कोई साग-तरकारी, कोई सूई-धागा, कोई नून-तेल। हफ्तेमें एक या दो दिन बड़े हाट लगते थे, जबकि आस-पासके गाँवोंसे आवश्यक चीजोंका खरीदनेके लिए ज्यादा आदमी आया करते थे। कोई पैसोंसे चीज़ें खरीदता था। कोई अनाजसे बदलता था। दूकानदार इस खरीद बेचसे कुछ प्राप्तकर अपना निर्वाह करते थे। लोगोंकी अवस्थाकी क्या पूछते हो ? आप लोगोंको तो उस समयका बड़े-से-बड़ा धनिक भी देखता, तो देवता कहता। पाँच-छः वर्षके लड़के चार अंगुल कपड़ेकी लँगोटी लगाये फिरा करते थे। कुछ धनिकोंको छोड़कर, साधारणतया सभी एक अँगोछा और धोती हीसे काम चलाते थे। सो भी मैले-कुचैले, और बहुतोंके तो फटे चीथड़े। स्त्रियाँ भी एक-एक मैली साड़ियोंसे गुजारा करती थीं, जिन्हें चिथड़े-चीथड़े हो जानेपर भी पेवेंद लगाकर पहनती ही जाती थीं। मैंने बुन्देलखण्डमें ऐसी अनेक स्त्रियाँ देखी थीं, जिनका लहँगा एकदम जर्जर हो गया था और घिरावेकी सुनावटके कारण ही आर-पार दिखाई नहीं पड़ता था; अन्यथा शायद वहाँ कहीं एक अंगुल साबित कपड़ा हो। वे क्या करें, गरीबी ही ऐसी थी।

“फिर अत्याचार कैसा ! स्त्रियोंका जूता पहनना उस समय बहुत-सी जातियोंमें एक तो पाप समझा जाता था; दूसरे, पहननेके लिए नसीब भी कहाँसे होता । जाड़ेके दिनोंमें फटे चीथड़ोंको सीकर, अगर किसीने एक गुदड़ी बना पाई, तो समझ जाओ, उसने बड़ा ऐश्वर्य पा लिया । पुवाल बिछाकर लड़के-बाले सब उसी गुदड़ीके नीचे दबकर सो जाते थे । सोनेके लिए चारपाइयाँ सबको नसीब न थीं । कपड़ोंकी तल्लीसे बहुतांको जाड़ा भी पुवाल ओढ़कर काटना पड़ता था । लकड़ियाँ कहाँ नसीब थीं कि आग तापने ! यदि घास-फूस इकट्ठा कर पाया, तो बड़ी प्रसन्नतामें उसके किनारे बैठकर परिवारने थोड़ी देर धुआँ लिया ।

“मुझे खूब याद है । एक समय मैं जाड़ेके दिनोंमें बहुत सबेरे ही रास्तेसे जा रहा था । उसी रास्तेपर फटी-पुरानी, मैली-कूचैली साड़ी पहने एक बुढ़िया सूपमें कुछ लिये आ रही थी । उसक पाछे-पीछे दो लड़के चार-पाँच वर्षके थे । उनमेंसे बड़ेके पास एक लँगोटी थी, छोटेके बदनपर एक सूत भी नहीं था । माँ-पूसका जाड़ा पड़ रहा था । सर्दिके मारे दोनों बच्चे ठिठरे जा रहे थे । उन्होंने अपनी मुट्ठियोंको पल्ल कड़ी बाँधकर कमर भुका ली थी । ऐसे लड़के एक-दो नहीं, लाखों उस समय भारतमें थे ।

“सड़ा-गला, खराब अन्न भी उस समय करोड़ों आदमियोंको पेट-भर न मिलता था । कितने ही लोग पेटके लिए गाँव-गाँव भाँख माँगत फिरते थे । मैंने अपनी आँखोंसे अनेक स्थानोंपर ऐसे लड़कों और आदमियोंको देखा था जोकि, फँके जाते जूटे टुकड़ोंको कुत्तोंके मुँहमें छौनकर खा जाते थे । यह बात नहीं कि लोग परिश्रममें खराब थे । दो-चार जगह पैसे भी हों; किन्तु अधिकतर ऐसे थे, जो रातके चार बजेके फिर रात भर आठ-आठ दस-दस बजे तक भूख-प्यासे ज्वेली, दूकाना, कारखानोंमें काम करते थे; फिर भी उनके लिए पेट-भर अन्न और तनके लिए अत्यावश्यक भाँटे-भाँटे वस्तु तक मुयस्सर न होते थे । घामार पड़ जानेपर उनका और आक्रंत हो । एक तरफ़ तबीयतीकी मार, दूसरी ओर औपधु और वैद्यका अभाव और तिसपर खानेका कहीं ठिकाना न था । १९१८ के दिसम्बरका समय था, जब कि सिर्फ इन्फ़्लुएन्जाकी एक बीमारीमें, और सो भी ४-५ सप्ताहके अन्दर, ६० लाख आदमी भारतवर्षमें मर गये ।

मरनेवाले अधिकतर गरीब थे, जिनके पास न सर्दीसे बचनेके लिए कपड़ा था, न पथ्यके लिए अन्न; न दवाके लिए दाम था, न रहनेके लिए साफ़ मकान। वह पशु-जीवन नहीं, नरकका जीवन था। आदमी कुत्ते-बिल्लीकी मौत मरते थे। मुझे आज-कलकी भाषा-परिभाषाका बोध नहीं। अतः उसी पुरानी भाषा हीमें बोल रहा हूँ। संभव है, आम लोगोंको कहीं-कहीं समझनेमें कठिनाई हो।

“महिलाओं और सज्जनों! जिस समय देशके अधिकांश मनुष्य इस प्रकारका जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय बहुत थोड़े आदमी थे, जो इनसे कुछ अच्छी दशामें थे; जिन्हें उस समयकी परिभाषामें खाता-पीता कहते थे। हाँ, अँगुलियोंपर गिनने लायक ऐसे आदमियोंका भी समूह था, जिन्हें सब प्रकारके भोग सुलभ थे। ये लोग धनिक थे और नवाब, राजा, बाबू, तालुकेदार, बड़े-बड़े जमींदार, सेठ-साहूकार, महाजन, कारखानेदार के नामोंसे पुकारे जाते थे। यद्यपि एकाध उनमेंसे कोई निकल आते थे, जिन्हें उपरोक्त दुखियोंका कष्ट प्रभावित करता था। परन्तु ऐसीकी संख्या नहींके बराबर थी। धनी लोग बड़े-बड़े महलोंमें रहते थे, जो दो-महले चौ-महले पंच-महले होते थे। उन्हें केवल अपने शरीरकी सेवाके लिए बहुत-से स्त्री-पुरुष परिचारकोंकी आवश्यकता थी। किन्तु ही राजाओंके पास तो दो-दो स्त्री-तीन सौ लौंडियाँ थीं; दो-दो, चार-चार सौ स्त्रियोंसे उनका रनिवास भरा रहता था। इसपर भी ये लोग धर्म धुरन्धर कहे जाते हैं। किसीकी इज्जत बिगाड़ देना, किसीका स्वत्व अपहरण कर लेना, इनके इशारोंका काम था। जब ये चलते थे, तो इनके आगे-पीछे सैकड़ों आदमी इनकी शरीररक्षाके लिए चलते थे। कितने ताँ पालकियोंपर चलते थे, जिन्हें आदमी ही ढाँते थे। गाली ताँ सदैव इनके मुखारबन्दोंकी शोभा थी। ज़रा-ज़रा बातमें अपने आदमियोंका वह उसासे मत्कार किया करते थे। आप सो रहे हैं—दूमरे उनके पैर दबा रहे हैं, पंखे झूल रहे हैं। ये लोग अपने हाथसे कोई भी काम करना अप्रतिष्ठा-जनक समझते थे। एक आदमीके लिए कितनी ही मोटरें, घोड़े-गाड़ियाँ, टमटम, सवारीके घोड़े, हाथी रहते थे। उनमेंमें बहुत तो दिन-रात शराब, भङ्ग, अफ़ीम के नशोंमें मस्त रहते थे। स्वयं परिश्रम कुछ भी न करते

हुए, दूसरेकी मिहनतकी कमाईमें आग लगाना ये लोग खूब जानते थे। दूसरे-के ज़खमपर 'सी' करनेवाले तो कम, पर नमक लगानेवाले अधिक थे। सिर्फ अपने एक शरीरके खाने-रूपड़ेपर ये लोग कितना खर्च करते थे उतने-से हज़ार आदमी सानन्द जीवन व्यतीत कर सकते थे। इनको अकेले रहनेके लिए, सैकड़ों आदमियोंके रहने लायक मकान होते थे। सबसे असह्य बात तो यह थी कि, दुर्ग-चार और अत्याचारकी साकार मूर्ति होनेपर भी, ये लोग धर्मके स्वरूप बनकर संसारमें ध्रुव-पद ग्रहण करना चाहते थे, जिसमें कुछने यदि सफलता पाई हो, तो भी सन्देह नहीं। वह अपने सामने मनुष्यताका मूल्य नहीं समझते थे। इनका जादू न्यायाधीश, धर्माध्यक्ष पंडित-मौलवी-पादरी, सभीपर था। सभी इनकी 'हाँ-में-हाँ' मिलाते तथा इनके लाभकी बातके लिए अपने-अपने ग्रन्थों में प्रमाण देनेको तत्पर थे। पंडित कहते—“धनी-गराब, राजा-प्रजा अपने-अपने पूर्व जन्मकी कमाईसे होते हैं। यह सनातनमें चना आया है। यही भगवान्‌का इच्छा है। वेद-पुराण सब इसके साक्षी हैं।” मौलवी कहते थे—“खुदाने दुनियाकी भलाई हीके लिए अमीर-गरीब, बादशाह-रैयत बनाया, नहीं तो दुनियाका काम कैसे चलता ? सारे रसूल, पैगम्बर इस बातके कायल और अपनी किस्मतपर सन्तुष्ट थे। बादशाह और मालिकपर खुदाका साया है।” ऐसे ही सभी एक ही सुरमें अलापते थे। असल बात तो यह थी कि लाखों परिश्रमी दीनोंका भाग छीनकर धनी लोग अकेले ही सब न खाकर कुछ टुकड़े इन लोगोंको भी फेंक देते थे, जिनपर ये लोग 'हाँ-में-हाँ' मिलाना अपना कर्त्तव्य समझते थे। धन्यवाद है कि अब वह जादू उतर गया।

“अब तो आप सबको यह बातें सुन-सुनकर आश्चर्य होता होगा—क्या वे लाखों आदमी सचमुच भेड़ थे, जिन्हें एक धनी अपनी अँगुलीके इशारेपर नचाता था ! यदि लोग ज़रा भी अपनी बुद्धिसे काम लेते तो क्यों गुलामीमें पड़े रहते ? सचमुच आज यह तर्क बहुत सरल है, किन्तु उस समय यह सोचना असम्भव मालूम होता था—शेम्ब-चिस्लीका महल कहलाता था। आजकी अवस्थाके शतांशका भी विचार रखनेवाले उस समय पागल, खत्ती, अधर्मी, मनुष्यताके शत्रु समझे जाते थे। शिक्षा लाभ करके प्रत्येक आदमी

उसी धनिक श्रेणीका बनना चाहता था, चाहे हज़ारमें कोई एक ही हो पाता हो। इस प्रकार शिक्षित और धनिक तो इस तत्त्वकी ओर ध्यान न देते थे और गरीब इसे असम्भव समझते थे। वह अपने ही कमज़ोर ख्यालोंसे इस प्रकार जकड़े हुए थे कि सचमुच उन्हें ऐसा होना असम्भव मालूम पड़ता था। आप कहेंगे—कैसी मूर्खता है। अपनी मिहनतकी कमाई दूसरेको खाने न देकर हमी खायेंगे, इतनी बात समझना कौन कठिन था? किन्तु, उनके लिए तो यही लोहे का चना था। उधर धनी लोगोंकी ओरसे कहा जाता था—ऐसा होनेसे धर्म नहीं रहेगा; जाति-मर्यादा चली जायगी, कलयुग आयगा। अभाव्यवस्था श्रमजीवी लोग भी अनेक ऊँच-नीच श्रेणियोंमें विभक्त थे। विहारका ब्राह्मण श्रमजीवी कहता था—गरीब है तो क्या, खानेको नहीं मिलता तो क्या, किन्तु चमार, अहीर, राजपूत 'पा-लगी' तो करते हैं—'महागज' तो बोलते हैं! भला चमार, अहीर हमारे बराबर हो जायेंगे? सचमुच बड़ा अधर्म होगा! भूखा मरना अच्छा; अपनी कमाई दूसरा खाय, वह भी अच्छा; किन्तु चमारको अपने ही ऐसा मनुष्य समझना ठीक नहीं। ऐसे ही, अपनेसे ऊँची जातिके पठान-सैयदके अभिमान को, चाहे गाँवका मोमिन जुलाहा दिलसे न अच्छा समझता हो, किन्तु, अपनेसे नीचे गिने जानेवाले भंगीको अपने बराबर होने देना उसे भी अर्भाष्ट न था।

“अब अन्त में, आपलागोंके वर्तमान ध्येयके विषयमें कुछ कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबसे प्रथम तो यह कि यह न समझ बैठो कि हम अब अन्तिम स्थानपर आ गये; अब हमारी सभी बातें पूर्ण हैं, अब हममें कोई त्रुटि नहीं। जिस समय यह विचार आ जायेगा, उसी समयसे आप पोछेकी ओर खिसकने लगेंगे—आपका हास होने लगेगा। मनुष्य कदाँ तक उन्नति कर सकेगा, यह असीम है। जिस प्रकार कुछ दिनों पूर्व ज्योतिषमें अति दूर एक सितारा आविष्कृत हुआ था, आगे उससे भी दूर दूसरा मिला है; उसी प्रकार, लाखों वर्षों तक दूर-से-दूर सितारोंका पता दूरबीनों और फोटो-चित्रोंसे लगता जायगा। वैसे ही हमारी उन्नति, हमारे सशोधनका क्षेत्र अनन्त दूर तक विस्तृत है। दूसरी बात ज्ञानकी वृद्धि है। इसमें सन्देह नहीं, उस समय शिक्षामें जो उन्नतताकी अवधि थी, अब वहींसे उसका आरम्भ है।

आपका समाप्त बहुत सुशिक्षित, और सम्य है; किन्तु आप उन्नति करके आजके अन्तर्का कलका आरम्भ बना सकते हैं। आपके उत्तराधिकारियोंको भी ऐसा अधिकार है। यह बड़े आनन्दकी बात है कि आज विद्या सारे मानवके हितके लिए पढ़ी जा सकती है। आज विद्याका वह पारितोषिक नहीं, मूल्य नहीं जो दो शताब्दियों-पूर्व रखा जाता था। आजकी सभी समृद्धिका मूल वही ज्ञान—वही विद्या—है, जिसकी कमीके कारण पहिले लोग मनुष्यता-से गिर गये थे। इसकी वृद्धिमें उपेक्षा और इसके प्रचारमें असावधानी होना सभी खराबियोंकी जड़ है। उन्नतिकी आकांक्षा और ज्ञानका अधिक-से-अधिक प्रसार यही दो मूल बातें हैं; जिनसे आपने अब तक उन्नति की है और आगे भी इसके लिए असीम क्षेत्र पड़ा हुआ है। मैं आपके प्रेममय भाव-से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ। और बस।”

मेरे व्याख्यानकी समाप्तिपर साथी इस्माइलने एक बार उठकर फिर मुझे धन्यवाद दे, सभा विसर्जित की। मैं विश्वामित्र, इस्माइल, देवमित्र, इस्माइलकी पत्नी प्रियम्बदा, तथा दूसरे सज्जनोंके साथ विश्राम-स्थानपर आया। रात्रिके दस बज चुके थे, मैंने उनकी सूचना और प्रार्थनाके उत्तरमें संक्षेपमें कहा—कल-परसों और चौथे दिन मैं यहाँ ही रहकर आस-पासका तथा आपके ग्रामका अध्ययन करूँगा। इसके बाद अध्यापक विश्वामित्रके साथ यहाँसे सीधे नालन्दा जाऊँगा। वहाँमे भारतके प्रधान-प्रधान स्थानोंकी स्थितिका अध्ययन करके फिर कहीं बाहर कदम रखूँगा। आप सार्वभौम संघपति श्रीदत्तको भी इसकी सूचना दे दे। देवमित्रने कहा आपके साथ, साथी इस्माइल और साथिन प्रियम्बदा भी बराबर रहेंगी, और यहाँकी बातोंके समझनेमें सहायता पहुँचायेंगी। मैंने इसके लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद सब लोग अपने-अपने स्थानका चले गये। विदा होते समय इस्माइलजीने भी सलाम नहीं किया। मुझे पहले हीसे इन लोगोके मजहबसे दूर हो जानेकी भलक दिखलाई पड़ती थी, और पूछनेकी इच्छा होती थी। अब वह दू-आ और बलवती हो गई। विश्वामित्र पास ही बैठे थे। मैंने पूछा —

“विश्वामित्र! यद्यपि मैंने लोगोके नाम हिंदू मुसलमान जैसे सुने; किन्तु,

उनकी पोशाक, बात-चीत, सलाम-दुआमें कोई फ़रक नहीं मिलता, क्या सभी मजहब मिल गये ?”

“मिल नहीं गये; प्रगति-विराधी इन मजहबोंको हमने निकाल फेंका ! नामोंमें भी बहुत परिवर्तन है, तो भी लोग जैसी इच्छा होती है वैसा नाम रख लेते हैं ।”

“और भाषा ! इस समय सारे भारतकी मातृभाषा ‘भारती’ है । जिसे आपके समयका हिन्दी-उर्दूको प्रतिनिधि कहना चाहिये । यही एक भाषा सर्वत्र बोली जाती है, लिपि भी नागरी है । अब भाषाकी कठिनाइयाँ नहीं हैं । भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें साहित्यिक-धार्मिक जिज्ञासासे दूसरी भी भाषायें पढ़ी जाती हैं; किन्तु वे ‘भारती’ भाषा ही सर्वे-सर्वा । चाहे किसी भी प्रान्तका भारतीय क्यों न हो, उसकी भाषा भारती होगी । अब पुराने पक्षपात तो रहे नहीं, इसलिये सबके भाषा, भाषा, भेद एक हो गये हैं ।”

मैंने अब अधिक देर तक विलम्ब करना उचित नहीं समझा । समयकी व्यवस्थाओंमें मुझे अनुमान हो गया था कि शयन आदिका भी अवश्य कोई नियम होगा । विश्रामभवन भी अपने कमरेमें सोने चले गये । मैं भी अपने पिछले सोनेवाले कमरेमें पलंगपर जा लेटा । अभी मेरी आँखोंमें नींद नहीं थी । सामने दीवारसे लगा हुआ बिजलीका शूंडाकार प्रदीप अपना प्रकाश फैला रहा था । तापक मकानको गर्म किये हुये था और वहाँ सर्दिका नाम न था । आज पष्ठी तिथि मालूम होती थी । चन्द्रमा अभी वृद्धोके शिखरसे मेरी कांठरीमें भाँकने लगा है । सामनेका पर्वत कुछ दूर है । चाँदनी चारों ओर छिटीकी हुई है । रात्रि स्तब्ध है । मेरे बिस्तरपर आनेके साथ ही रेलका घरघराना सुनाई दिया था । रात्रिकी इस नीरवता में, एक-एक करके आजके प्रत्येक दृश्यकी फिर एक-एक बार आवृत्ति होने लगी । साथ ही मनने सबपर एक-एक स्वतन्त्र टिप्पणी भी करनी आरम्भ कर दी । स्त्री-जातिकी स्वतन्त्रताका दृश्य सम्मुख आते ही कहा—तब तो एक-एक हाथके घूँघट और बुकों का बोरा-बन्दी अब काहेको दिखाई देने लगी ! अब दो बीस, चार बीस करके गिननेवाली स्त्रियाँ कहाँ मिलेंगी ! अब लड़कोंके पूछनेपर, चन्द्रमाके धन्वे, तारा, आकाश-नागाकी विचित्र कथा सुनानेवाली मातायें

कहाँ मिलेंगी ? धनियोंका ख्याल आते ही सोचा—तो अब राजावहादुर, महाराजावहादुर, रायबहादुर, खानबहादुर, नवाबबहादुर, होंनेके लिए कोई न भरता होगा। अब इन पदोंके दाता प्रतिगृहीता भूमण्डलसे रुदाके लिए विदा हो गये। आजके गाँवका दृश्य सम्भव आते ही पुराने गाँवका चित्र दिलसे भागने लगा। शायद इसीलिए कि आसानासे उमका ज्ञान न हो जाय। मैंने भी मनसे कह दिया—तो इसकी पर्वाह क्या, तुम न दिखलाओगे, तो जादू-घरमें देखनेसे तो रोऊ न सकोगे ?

एक-एक करके सब टिप्पणियाँ समाप्त हुईं। इसी बीच ग्यारह बजनेका घण्टा भी बज गया। मैंने कहा, अब बाग़्ग म थोड़ी देरमें बजेगा; कलके कर्त्तव्यका थोड़ा-सा विचार करके सो जाना अच्छा है। सोचा—सेब-ग्रामकी बागोंकी बातें तो देख-सुन लीं। घरोंऔर श्रेणियोंकी भी बात मालूम हो गई। संस्थागार-भाजनागार भी देख ही लिया। सुमेधने कहा था कि तीन वर्षके होते ही बालक विद्यालयोंमें भेज दिये जाते हैं। देखना है कि त न वर्ष तकके बालक कैसे रहते हैं, चिकित्सालय भी देखना है, गाँवकी सफाई आदिकी बातें जाननी हैं; यही मुख्य बातें हैं। इस्माइल और विश्वामित्र दोनों ही विस्तृत अनुभववाले पुरुष हैं। इनके साथ सबका देखना और भी अच्छा होगा। इस प्रकार विचारेकर मैंने आज निद्रा-देवीकी गोद में विश्राम किया।

ग्राम और ग्रामीण

पाँच बजनेसे पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। मैं उठकर उस समय खिड़कीसे आकाशकी ओर देख रहा था। चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। चन्द्रमा मेरे सम्मुख नहीं था, किन्तु चाँदनी नज़र आती थी। चाँदनीमें खिड़कीके बाहर तताओं पर लदे हुए फूल खूब दिखाई पड़ते थे। गुलाबकी भीनी-भीनी सुगन्ध दब-गाँव मेरे कमरेमें आ रही थी। अभी दस पाँच मिनट ही बीते होंगे, कि गोलेकी आभाज़ हुई। पाँच बज गये। थोड़ी ही देरमें देव

भी आ गये। उन्होंने पहले भाँककर देखा; जब मुझे बैठा पाया, तो भीतर आये। पूछा—क्या स्नान अभी होगा; यदि अभी, तो क्या यहाँ घरके नल-पर स्नान-पात्रमें, या स्नानागारके गर्म-कुंड में ?

मैंने कहा, मैं यहीं स्नान कर लूँगा। कल तो मुझे शौचकी आकांक्षा ही नहीं हुई थी। अब देवने बतलाया कि पीछेकी ओर बह पाखाना है। और प्रत्येक घरका अलग-अलग पाखाना है जिसमें नल लगा हुआ है। पाखाना हो लेने पर नल घुमा देनेसे पानीकी बड़ी तेज़ धारा आती है। मलको नलोंके द्वारा बहा ले जाती है। पीछे यह भी मालूम हुआ कि पाखानों-पर भंगी नहीं रखे हुए हैं। भंगी तो अब कोई जाति ही नहीं है। हाँ, नल बिगड़ जानेपर काँई भी आदमी, जो नलोंके सुधारनेपर नियुक्त है, उसे ठीक कर देता है। सारे गाँवका मैला बड़े-बड़े नलों-द्वारा दो-तान कोसकी दूरीपर जाता है। वहाँपर बड़े-बड़े गड्ढे, कलों-द्वारा खादे हुए तैयार रहते हैं। मिट्टी नीचे भी खुदी, और बाकी आस-पास लगी रहती है। इधर मैला गिरता जाता है, और उधर मशीन मिट्टी उसपर फेंकती जाती है। मशीनें बिजलीके जोरसे चलती हैं और चलानेवाले भी दूर रहते हैं। यद्यपि मिट्टीमें ढँके रहने तथा खुली हवाने मैलेका सम्पर्क न होनेसे, वहाँ दुर्गन्ध नहीं मालूम होती, तो भी संचालक लोग मशीनोंके बिगड़ जानेपर वहाँ जाते हैं। एक गड्ढेके भर जानेपर पहलेसे दूसरा गड्ढा तैयार रहता है। इसी तरह एक भरा गड्ढा चार वर्ष तक बन्द छोड़ दिया जाता है। पीछे खोदकर, उसमें और कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर, वह ज़ूँजमें खादकी भाँति उपयुक्त होता है।

मैं अपने विस्तरमें फट उठ खड़ा हुआ। पहले शौच गया। पाखाना स्वच्छ था—बह पाखाने-का मालूम हा नहीं होता था। अभी मैं मकानको पिछली ओर नहीं गया था। देखा, घरसे दस-दस हाथ तक भूमिमें वैसे ही फूल, बेल-बूटे लगे हुए हैं जैसे कि सामनेका ओर। 'अतिथि-विश्राम'की सम्पूर्ण श्रेणियोंके आगे-पीछे, एक पार्क-की लगे यह फुलवारी बड़ी सुन्दर मालूम होती है। मैंने पीछे देखा, सभी श्रेणियोंका प्रबन्ध ऐसा ही है। अपने-परोके आमने-सामने फुलवारियोंको ठीक रखना, अपने-अपने घरोंका स्वच्छ-शुद्ध रखना घर-वालोंका अपना काम है। मैं शौचसे आकर स्नानके कमरेमें गया। जाकर

देखा, ठंडे और गर्म जलके दो नल लगे हुए हैं। सफेद दूधकी भाँति चीनी-मिष्टी का, पत्थर-सा मज़बूत, दो हाथ लम्बा, डेढ़ हाथ चौड़ा, दो हाथ गहरा स्नान-पात्र क्या एक कुण्ड ही ज़मीनमें मड़ा हुआ है ! नलकी बगलमें दीवारसे लगे एक स्थानपर साबुनकी टिकिया तथा उससे ऊपर खूंटियोंपर एक सफेद तौलिया और एक धुली हुई लुंगी रखी है। गर्म पानीका नल खुला हुआ है, और हौज लबालब भरा हुआ है; तो भी पानी ऊपरसे नहीं निकलता है। मैंने हाथ-पैव धोया। विचार किया कि अब दतुवन करना चाहिये। दतुवन तो दीख नहीं पड़ी; हाँ, साबुनकी टिकियाके पासमें एक चाँदीकी डिब्बोपर एक दाँतका ब्रूश देखा। सोलनेपर डिब्बोके अन्दर सुगन्धित दाँतकी लेई मिली। मैंने विचारा, मालूम होता है, अब दतुवनका रेवाज ही नहीं रहा। पीछे विश्वामित्रने बताया, एक ही सेवग्रामके लिए पाँच हजार दतुवन चाहिये। अब फज़लके पेड़ तां यहाँ हैं नहीं। अच्छे पेड़ोंसे दतुवन तोड़ी जाने लगे, तो नित्य ही एक-दो पेड़ सिर्फ एक गाँवके लिए सराब हो जायँ। फिर भूमंडलकी जन-संख्या तो डेढ़ अरब है। इसीलिये ब्रूश और मंजनका प्रचन्ध किया गया है। अनार, बादाम आदिके छिलकोंको क्या हम लोग बेकार जाने देते हैं ? सबसे मंजन या कोई-न-कोई और कामकी वस्तु बनाई जाती है।

मैंने ब्रूश और लेईसे दाँत-मुँह साफ किया और कुण्डमें प्रविष्ट होकर, साबुनसे मल-मलकर खूब नहाया। इस प्रकार नहा-धो, कपड़े बदलनेपर, देवने आकर एक कल घुमाई और स्नान-पात्रका सब जल निकल गया। उसी कमरेमें एक और खिड़कीके पास एक ऊँचे स्थानपर स्वच्छ आसन बिछा हुआ था। मैंने वहाँ जाकर कुछ व्यायाम किया। इसके बाद बैठनेके कमरेमें आया। अब सूर्यकी रक्तिमा प्राची दिशामें फैली हुई थी। सूर्य-किश्वकी एक पतली सुनहली रेखा ही अभी दिखाई पड़ती थी। जगह-जगह पक्षियोंका मधुर कलरव अब भी जारी था। हवाके झोंके सामनेके फूलोंको हिला रहे थे। सड़क और सामनेके घरोंकी शोभा और स्वच्छता बिखरी हुई थी। मेरा भी चि, अत्यन्त शान्त और प्रसन्न था।

इसी समय विश्वामित्र भी आ गये। उनके बाप पञ्चावती भी थीं। मेरे कहनेपर वे दोनों भी, पाठ ही रखी कुर्चियोंपर बैठ गये। यद्यपि चेहरा

छोड़, सभी का सारा शरीर ढँका हुआ था; तो भी गर्म मकान में सर्दी कहाँ थी ? सहस्रों वर्णनीय बातें हैं। सबका वर्णन कैसे हो सकता है ? पुरुषों और स्त्रियोंकी पोशाक, देखनेमें यही नहीं कि बड़ी सुन्दर थी, बल्कि उसमें कोई वस्तु व्यर्थ, अनुपयोगी और हानिकारक भी न थी। मैंने कामके समय तो पुरुष-स्त्रियाँ, दोनोंको, ऊनी जाँघिया, नीचे लम्बा मोजा और सारा पैर ढँके हुए एक प्रकारका जूता पहिरे हुए देखा। मैंने आश्चर्य से देखा कि वहाँ चमड़ेकी कोई चीज़ न थी। जूते भी ये एक तरहकी मोटी जीनके (जो देखनेमें चमड़ेसी मालूम होती थी) और जिनके तल्ले दृढ़ रबरके थे। कुर्तोंके नीचे एक गर्म कोट और सबके सर पर एक ही प्रकारकी टोपियाँ थीं। किन्तु मालूम होता है, यह पोशाक कामके वक्तकी थी, क्योंकि रातको भोजनके समय तथा संस्थागारमें वह पोशाक न थी। सबके सिर पर एक प्रकारकी गोल टोपी, पैरों तक लम्बे गर्म कोट और नीचे पतलून थी।

स्त्रियोंके पहरावे, जूता, मोजा, साड़ी और कुर्ती हैं। अधिक सर्दी पड़ने-पर वे एक लम्बा गर्म कोट भी पहनती हैं, तथा सिरपर टोपी भी लगाती हैं। स्त्री या पुरुष कोई किसी प्रकारका भी जेवर नहीं पहनता। कलाई या पाकेट की घड़ियोंका भी चलन नहीं। निर्वल दृष्टिवाले जिन्हें उसकी आवश्यकता है, चश्मा भालगाते हैं। हरएक व्यक्ति के पास एक-एक फौटैन पेन और एक-एक रोजनामचा भी देखा। कलका वृत्तान्त लिखनेकी जब मेरी इच्छा हुई, तो मुझे भी एक बड़ा रोजनामचा, और एक फौटैन-पेन मिली। निब प्रायः बिलकुल ही सोनेकी थी, शायद कड़ाईके लेहांज से कुछ इरिडियम नोकपर लगाई गई हो। क्लिप भी सोनेकी है। बाव यह है, अब लोगोंके लिए सोनेका और उपयोग ही क्या हो सकता है ? पौंड और मुहर तो चलते ही नहीं ? न लोग आभूषण पहनते हैं, न गाढ़कर रखने हीका काम है। अतः इन्हीं सब चीजोंमें उसका उपयोग होता है।

विश्वामित्र और पद्मावतीके आनेके थोड़ी ही देर बाद इस्माइल भी अपनी साधिन प्रियम्बदाके साथ आ पहुँचे और कहा “अध सात बजने ही वाला है, आज जलपानके बाद ‘शिशु-उत्थान’ देखना अच्छा होगा। प्रियम्बदा वहाँकी सहायक अधिष्ठात्री हैं। अभी यह, मुख्याधिष्ठात्री साधिन फातिमाको

इस बातकी तैयारी भी दे आई है।” मैंने भी कहा, बहुत अच्छा, इस समय ‘शिशु-उद्यान’ देखा जाय, और दोपहरके बाद चिकित्सालय। इसी बीच गोले की आवाज़ आई और हम लोग भोजनागारकी ओर चले।

सड़ककी दोनों ओर आस-पासके मकानोंकी शांति और ही थी। सब मकानोंकी बनावटमें दृढ़ता, स्वच्छता और सुन्दरताका पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है। पूर्ववत् ही हमलोग हाथ-मुँह धो कुर्सियोंपर बैठे, जलपानके लिए एक-एक जलेबी, दो-दो चाँडे और एक-एक गुलाब-जामुन एक तश्तरीमें रखे थे। दूसरी तश्तरीमें ताज़े तथा सूखे कुछ फलोंके कतरे और एक गिलास साफ जलके अतिरिक्त एक गिलास खाली भी रखा था, जिसमें पच्छेसे गर्म दूध दिया गया। पूर्ववत् घण्टीपर खाना आरम्भ हुआ। अब हम लोग—विश्वामित्र, इस्माइल, प्रियम्बदा और मैं—वहाँसे शिशु-उद्यानकी ओर चले। मालूम हुआ कि शिशु-उद्यान गाँवके अन्तमें है।

रास्तेमें पलूनेपर विश्वामित्रजीने कहा, पान हीका नहीं, अब बहुतसी चीज़ोंका स्वाज उठ गया है। तम्बाकू खाना-पीना, बीड़ी-मिगरेट, शराब-गाँजा, भङ्ग-अफीम किसानोंका अब पता नहीं। बात यह है कि जो नशीली चीज़ें हैं, वे तो हैं ही वर्जनीय। उनका रोकना तो ठमकी हानिकारिताके कारण ही आवश्यक था; किन्तु, जो अनावश्यक हैं उन्हें भी राष्ट्रने बन्द कर दिया। कोई चीज़ एक आदमीके लिए बिना विशेष स्वास्थ्यदिष्टि के नो दी नहीं जा सकती। सबके लिये नियम एक होना चाहिये। बिना तब्ले आवश्यक कपड़े साल भरमें एक आदमीको मिलते हैं, सारे राष्ट्रमें उसी तब्ले ही प्रत्येकको मिलते हैं। यदि पानका प्रबन्ध किया जाय, तो सारे राष्ट्रके लिए प्रबन्ध करना होगा। भारतमें २५ करोड़ आत्माएँ रहते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि इतने आदमियोंके पान, छाली, सूत, कपड़ा, तैयार करनेमें लाखों आदमियोंको लगा रहना पड़ेगा। इतनी कष्टकर चीज़ें करना आज राष्ट्र कैसे ग्वारा कर सकता है? जो लाखों बीघे खेत पान, तम्बाकू पैदा करनेमें फँसे रहते, आज उन्हींके अन्य उपयोगी पदार्थ उत्पन्न करने में लागे हैं।

मैंने कहा, तुम्हारी आजकी राष्ट्रीय प्रगतिने तो सारे ही दुर्बलोंके लिए एक ही पर्याप्त कुल्हाड़ी ढूँढ निकाली है। फिर मैंने पूछा—“अब किन्तु,

मुसलमान, पारसी, ईसाईके पृथक् भोज आदिका भगड़ा तो रह नहीं, किन्तु मांस खानेवालोंका कैसे निपटारा होता होगा ?' इसपर विश्वामित्रने कहा — “अब असली मांस मिलता ही नहीं। नकली मांस जितना चाहे उतना मौजूद है।”

“और अंबा ?”

“वह तो परम सात्विक कलाहार है ?”

“अब क्या यूरोप-अमेरिकामें सूअर आदि नहीं पाले जाते होंगे ?”

“नहीं, बिन्दुल नहीं। बस्तीमें यहीं न देखिये, कहीं कोई जानवर है ? पहले जैसे मैंने बन्दरोके बारेमें बताया था, उसी जाति-उन्मूलन-प्रक्रियासे सूअर, कुसा, बिल्ली सबका जाति-उन्मूलन हो गया है। केवल प्राणि-विद्याके विद्यार्थियोंके उपयोगके लिए कहीं-कहीं उन्हें पालकर रखा गया है।”

“चमड़ेका तुम लोगोंने तो व्यवहार छोड़ दिया, इसलिए मांस छोड़नेसे छुपर तकलीफ नहीं उठानी पड़ती होगी; किन्तु इतना जो दूधका खर्च है, उसके लिए गाएँ तो बहुत पालनी पड़ती होंगी ? खैर, मारनेसे नहीं तो अपनी मौतसे तो उनमेंसे हजारों मरती होंगी ? उनका चमड़ा भी क्या मशीनोंके ‘बेस्ट’के लिए काममें नहीं लाया जाता ?”

“मशीनोंकी बेस्ट भी चमड़ेसे कहीं मजबूत कानविसकी बनती है। चमड़ेको अलग करना, उसको सिभाना इत्यादि बड़ा गन्दा काम था। जिससे वायु बहुत दूषित हो जाती थी। अतः वह काम ही एकदम छोड़ दिया गया। पशुके मारनेपर उसे खांदकर गाड़ दिया जाता है। पीछे खाद हो जानेपर उसे व्यवहारमें लाया जाता है। ऐसे बेकार तो, जहाँ तक हो सकता है, कोई भी चीज़ जाने नहीं पाती। हड्डियोंका हम लोग पूरा उपयोग लेते हैं, मोबर आदि भी खादके लिये उपयुक्त होते हैं।”

हम लोग बातें करते जा रहे थे। रास्तेमें मिलनेवाले सभी नर-नारी मेरी ओर देखते चले जाते थे। ग्राम, पहाड़के नीचे और नदीके किनारे होनेसे लम्बाईमें अधिक है। चौड़ाईमें तो पाँच सड़कें ही हैं। सड़कें अच्छी चौड़ी हैं, जिनके दोनों ओर घने वृक्ष लगे हुए हैं। प्रत्येक सड़कके दोनों ओर गह-श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीका पिछला भाग अगली श्रेणीके पिछले भागसे मिला

है, अर्थात्, दोनोंके बाग एक हीमें जुड़े हैं। इस प्रकार चौड़ाईमें लुः श्रेणियाँ हैं। ग्रामकी लम्बाई पूर्व-पश्चिम है। एक श्रेणीकी समाप्ति पर उत्तर-दक्खिन जानेवाली एक-एक सड़क है। यदि कोई आदमी ग्रामणी-कार्यालयमें चले, तो एक चौराहेपर अतिथि-ग्रामकी श्रेणी मिलेगा। इसके बाद साधारण श्रेणियाँ हैं। तीन चौराहे पारकर चौथेपर 'संस्थागार' पड़ेगा, जो दो श्रेणियोंके बराबर जगह घेरता है। यही ग्राम-पुस्तकालयमें लगा हुआ और साथ एक बड़ा हाल है। यहाँसे आवश्यकतानुसार पुस्तकें श्रेणी-पुस्तकालयोंमें भी आती-जाती रहती हैं। 'संस्थागार' और भोजनागारमें एक ही सड़कका अन्तर है। गाँवके नये और बड़े-बड़े सिलाई आदिके काम तो दोनों-ग्रामों आदिसे बनकर आते हैं, किन्तु फिर भी कोई बीचमें मरम्मत या जल्दीके कामके लिए ग्रामणी-कार्यालयके सामने रँगने, बिजलीके शीशोंके रखने बदलने आदिका काम होता है। उसकी उत्तर और उससे लगा ही हुआ धोबीखाना है, जहाँ मशीनके द्वारा कपड़ों की धुलाई, कलप आदि होती है। कपड़ोंके सुखानेके लिए यहीं बड़े-बड़े गर्म हाल हैं। उसमें एक सड़क लपिंकर भोजनकी वस्तुओंका गोदाम है। उसीसे खगी मोटरोंके ठहरनेकी जगह, तथा अन्य वस्तुओंका गोदाम है। अंतमें सामान मरम्मतके कामके लिए मिछोखाना है, जहाँ लोहार-बढ़ईका भी काम होता है। इन सभी जगहोंपर मरम्मतका वही काम होता है, जिसकी जल्दी रहती है। नहीं तो, वे चीजें उन ग्रामोंको भेज दी जाती हैं, जहाँ केवल उन्हींका काम होता है। इस प्रकार मालूम हो सकता है कि ग्रामके सभी कार्यालय पश्चिम और उत्तर-दक्खिनकी सड़क पर पड़ते हैं। संस्थागार, भोजनागार बीचमें, और शिशु-उद्यान तथा चिकित्सालय ग्रामसे बाहर पूर्व तरफ हैं। लम्बाईकी सड़कें अधिक चौड़ी हैं तथा उनपर सामादार वृक्ष लगे हुए हैं।

इच्छा हुई, पहले शिशु-उद्यान देखूँ, पर भोजनका समय हो गया था, इसलिए भोजनागारकी ओर मुड़ा। जब भोजनागार बीस गज़ रह गया, तभी ग्यारहका गोला दगा। सब लोग पुनः पूर्ववत् हाथ-पुँह घों भोजनके लिए बैठ गये। इस वक्तका भोजन वही था, जिसे पहिले सम में लोगों कच्चा भोजन कहा करते थे। रोटी, दाल, भात, मांस, साग, कढ़ी, पकौड़ी, सभी चीजें

परोसी गई थीं। मेरी दाहिनी ओर बिश्वामित्र और बाईं ओर इस्माइल बैठे थे। हम लोग ज़रा पहिले गये थे, इसलिए दो एक मिनट अभी देर थी। मैंने कहा, इतनेमें पाकशाला ही देख आयें। भोजनागारके दक्षिण तरफ पाकशाला थी। जाकर देखा; सभी चीजोंके बनानेके लिए बड़े-बड़े बर्तन हैं, जिन्हें उतारने-चढ़ानेका काम मशीनों हीसे लिया जाता है। आटा गूँथना, रोटी बनाना भी मशीनों ही द्वारा होता है। आगका काम बिजली देती है। इतनी बड़ी पाकशाला, जिसमें पाँच हजार आदमियोंका भोजन बनता है, किन्तु कहीं कालिस नहीं, धूआँ नहीं। हर-एक वस्तुके डालने और उतारनेका भी समय है। आँचका भा माप है। अतः किसी वस्तुमें गड़बड़ी होनेकी गुस्ताइश नहीं। यद्यपि सभी वस्तुयें स्वच्छ, शुद्ध ही आती हैं; तब भी भोजनके गुण-अवगुणके विशेषज्ञ जब तक किसी वस्तुके लिए अनुप्राप्त नहीं दे देते, तब तक वह नहीं बन सकती। यह पहले ही बतला चुके हैं कि असली मस अब नहीं मिलता; किन्तु कई ऐसे पदार्थ रसायनिक योगमें तैयार किये गये हैं, जिनमें स्वाद भिन्न-भिन्न साँसोंका आता है, और गुण भी बड़ी। पाकशालामें पुरुष और स्त्री दोनों ही भाँतिके पाचक हैं। परोसकर थालियों-कटोरियोंका लकड़ीके तख्तोंपर सजाया जाता है, जिनके पूरा हो जानेपर भोजनागारमें बिजली हीसे घुमाया जाता है। उसपरसे दो-तीन आदमी उतार-उतारकर मेजोंपर रखते जाते हैं। भोजन समाप्त होनेपर फिर उमी भाँति उन्हीं तख्तोंपर थालियाँ और दूसरे बर्तन रखकर, धोनेके कमरेमें पहुँचाये जाते हैं, जहाँ गर्म जल और शोधक पदार्थद्वारा मशीन हीसे उनको माँजा जाता है। बचा हुआ जूठा भोजन मोटरपर लादकर बाहर एक जगह गाड़ दिया जाता है, जिसकी खाद बनती है। किन्तु बहुधा लोग उतना ही लेते हैं, जिसमें अधिक जूठा न छूटने पड़े।

घण्टी बजनेसे पूर्व ही, हम लोग अपने आसनपर बैठ गये थे। पीछे प्रेस-पूर्वक स्नान भोजन हुआ। सुँह-हाथ धोकर सब हमलोग चिकित्सालयकी ओर चले, तो हमारे साथ देवमित्र भी थे। हमें लोग चिकित्सालयमें पहुँचे। साधिन मन्त्री तथा उनके अन्य सहायकोंने द्वार हीपर हमारा स्वागत किया। एक मुख्यक चिकित्सकको छोड़कर चिकित्सालयके सभी कार्य-कर्त्ता महिलायें ही थीं। सहायक चिकित्सक कोई दूसरे नहीं, मनोरमा के पति श्री रहीमबक्श थे।

दोनों ही दम्पतिने तत्क्षितिमें चिकित्साका पूरा अध्ययन किया था। जन्म आप लोगोंका काश्मीरका है। मैंने समझा था, पाँच हजारकी जब आवादी है, तो रोगी भी उसीके अनुगतसे होंगे, किन्तु यहाँ विलकुल ५० रोगी दिखाई पड़े। मालूम हुआ कि अधिक-से-अधिक एक बार सौ तक बीमारोंकी संख्या पहुँची थी। कोढ़, बवासीर, उपदेश, रजयक्ष्मा, मृगो, दमा आदि रोगोंका जब संसारसे ही नाम उठ गया, तो वे यहाँ कहाँने मिलें ? मामूली ज्वर, सिर-दर्द, अजीर्ण, कोई चोट-काढ़, यही साधारणतया रोग होते हैं। मनोरमाने कहा—
“अब चिकित्साशास्त्रकी बहुत-सी पढ़ाई सिर्फ पढ़ने हीके लिए होती है; औषधि-चिकित्साका तो बड़ा हाल है ही, शल्य-चिकित्सा भी और भी कम आवश्यकता पड़ती है; आजसे दो सताब्दियों-पूर्वके चिकित्सकोंको ही इसका बहुत प्रयोग करनेका अवसर मिलता था; तरह-तरहकी नई बीमारियाँ, राजरोग, बुद्ध आदि किसने कारण थे, जो सदा उनके पास रोगियोंकी भीड़ लगाये रखते थे। मैं इसकेलिए अफ़सोस नहीं करती; यदि कभी ऐसा दिन आवे, कि कोई रोग ही न हो तो कैसा अच्छा होगा ! कालान्तरमें चिकित्साशास्त्रका प्रचार भी दृढ़ हो जाय, तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं; किन्तु हाँ, यदि एक ओर रोगियोंकी चिकित्साका काम कम पड़ा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य-विषयक अनेक नियमोंके प्रचारके लिए पूरा समय मिला है। भोजन-आच्छादन, रहन-सहन, सभीमें स्वास्थ्यदायक और पोषक गुणोंका अधिक समावेश होनेका प्रयत्न करना अब चिकित्सकका आवश्यक कर्तव्य हो गया है।”

रहाम और मनोरमाने चिकित्सालयके सभी स्थानोंको भली प्रकार दिखाया। रोगियोंके रहने, खाने-पीनेके प्रबन्धके विषयमें क्या कहना है ? चारों ओर स्वच्छता-ही-स्वच्छताका साम्राज्य था। रोगी-सुश्रूषक महिलाएँ रोगकी आधी पीड़ाको अपने सहानुभूतिपूर्ण मधुर-वचन और सरस बर्तावसे दूर कर देती हैं। औषधोंका कोष बहुत भारी है। नण्णोगी इधियार और बंत्र भी पर्याप्त रखे हुए हैं। चिकित्सालयकी पाकशाला आदि सभीका निरीक्षण करते-करते हम छोटा वहाँसे विश्राम-स्थानको लौटे। मैंने बिचार किया, कल और आजकी बहुत बातें मुझे रोजनामचेमें ही लिखनी हैं। अभी एक बच्चा है तब तक यह काम कलंगा ! शामको आनेके लिए कहकर

इस्माइल और प्रियंवदा तो चली गईं, किन्तु देव विश्राम-स्थानपर पहुँचाकर लौटे। मैंने विश्वामित्रसे रोजनामचा लिखनेकी बात कही। वह भी अपने कमरेमें चले गये। मैं अकेला कलम निकालकर लिखने बैठा। लिखने-योग्य बातोंका तो ठिकाना नहीं था, किन्तु मेरे पास समय और स्थानका संकांच था। मैंने, जहाँ तक हो सका, मुख्य-मुख्य अंशोंका ही संक्षेपमें लिखना निश्चित किया। कोई प्रधान बात कहीं छूट न जाय, इसलिए मैंने निश्चित किया कि दिन-भरके लेखनीय विषयको रात्रिमें सोनेके पहले अवश्य लिख डालना चाहिये।

शिशु-संसार

दूसरे दिन हम शिशु-उद्यानकी ओर चले। पहले फाटक मिला। उद्यानको आप यह न समझें कि कोई चार-दीवारी या लोहेके सीकचोंसे घिरा क़रीबचा होगा। इसको वहाँ कुछ आवश्यकता ही नहीं है। न पशु है, जो भीतर घुसकर नुकसान करेंगे और न कोई चीज़ चुरानेवाला। द्वार बड़ा सुन्दर और विशाल है; इसके ऊपर दो-महला मकान है। भीतर जाते ही सश्विन क़ातिमा—जो हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं—मिलीं। यद्यपि आपकी अवस्था अस्सी वर्षकी है, तब भी अपने कामको जवानोंकी भाँति करती हैं। आप २० वर्षसे विधवा हैं। शिल्पा समाप्तकर ब्याह करनेके बाद आपके पति श्रीहृषीकेश द्विवेदी यहाँ ही आकर बसे। दोनों ही दम्पती तत्कालशिलाके विद्यार्थी थे। पतिने चिकित्साका काम अपने ऊपर लिया था, और क़ातिमा दस वर्ष तक चिकित्सालयमें ही रोगि-परिचर्याका कर्तव्य-पालन करती थीं। आपका बालकोंसे अगाध प्रेम था, इसीलिए पीछे आप शिशु-उद्यानमें चली आईं। तबसे आप इन स्वर्गीय पुष्पोंकी सुगन्धिका आनन्द ले रही हैं। नाम से आप यह न समझ जायँ कि क़ातिमा मुसलमान हैं। मैं लिख ही चुका हूँ कि घम अब उठ गया है।

अब हम लोग आगे बढ़े। उद्यान बहुत ही विस्तृत और दूर तक फैला

हुआ था। 'फूलोंमें शायद ही ऐसा कोई छूटा हो जो वहाँ न हो। बेला, चमेली, नाना भौतिके गुलाब, चम्पा, जूही, मोगरा, कुन्द और गेंदा सभी। उनमेंसे बहुत-से फूल हँस रहे थे, और बहुत-से चुप-चाप हरी पोशाक पहने केवल तमाशा देख रहे थे। बीच-बीचमें कितने ही अनार, नारंगी, सेब, आम, जामन, लीची, कटहल, बैर और अमरुद आदिके पेड़ भी थे। टट्टियों-पर अंगूरकी लता फैली हुई थी। यहीं बीचमें एक बहुत भारी पीपलका वृक्ष है, जिसके नीचे लड़के गर्मियोंमें खेलते हैं। यद्यपि धूप निकल आई थी, किन्तु अभी घासोंपर ओस पड़ी हुई थी इसलिए लड़के उस बड़े पक्के चबूतरे-पर थे, जोकि उनके शयनागारके सामने था। धूप वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी मुश्रूषा करनेवाली महिलायें, उन्हें बतला रही थीं कि आज एक बहुत बृद्ध महात्मा आनेवाले हैं। कोई-कोई बड़ा बालक—किन्तु तीन वर्षसे अधिकका नहीं, क्योंकि तीन वर्षके बाद तो वे विद्यालयमें भेज दिये जाते हैं—पूछ उठता था—'अम्मा ! क्या वह महात्मा हमारी बड़ी अम्मासे भी बूढ़े हैं !' तब वह बतलाती—'मेरे कलेजे ! तुम्हारी बड़ी अम्माका तो जन्म भी न हुआ था, जब वह महात्मा तुम्हारी अम्मासे भी बूढ़े हो गये थे।'

एक शिशु—'तो किसके बराबर हैं ? हमारे गाँव में किसीको बताओ।'

माता—'मेरे बच्चे ! तुम्हारे गाँवमें क्या, पृथ्वी भरमें कोई उतना बूढ़ा नहीं।'

दूसरा—'अच्छा, इस पृथ्वीपर नहीं सही, मङ्गलकी पृथ्वीपर तो होगा, बुधकी पृथ्वीपर तो होगा ?'

माता—'कोई होगा, किन्तु उसको तुमने देखा तो नहीं ?'

दूसरा—'तो इसी पृथ्वीको कहाँ हमने सारा देख लिया ?'

माता—'मेरे प्यारे ! देख लोंगे। अभी तो चलने लायक हुए हो, अभी तो बोलने लायक हुए हो। जब पृथ्वीका रास्ता; बोली-वाणी खूब सोख लोंगे, तब सब देख लोंगे।'

इतनेमें दूसरी महिलाने कहा—'अब काहे इतनी मायापच्ची करते हो विजय ! देखो, वह तुम्हारी बड़ी अम्माकी बाईं ओर-सूँकेद दाढ़ीवाले वही महात्मा आ रहे हैं। देखो, अपना-अपना सितार हाथमें ले लो; आज देखना

हे, बूढ़े बाबाको कौन अच्छा गाना सुनाता है। मैं भी सुनाऊँगी, जानकी अम्मा भी सुनावेगी, जैनब अम्मा भी सुनावेगी।”

इतनेमें ध्रुव बोल उठा—“मैं भी सुनाऊँगी।” इसपर सब हँस पड़ी। जानकीने कहा—“ध्रुव ! मैं भी सुनाऊँगी नहीं मैं भी सुनाऊँगा’ कहो।” ध्रुवने जानकीके पैरोंको कौलीमें भर मुँहको साड़ीमें छिपाकर कहा—“मैं भी सुनाऊँगा’।” इसपर रोहिणीने कहा—“और अम्मा, मैं भी सुनाऊँगा’।” जैनबने कहा—“लो यह दूसरी आकृत आई।” रोहिणी ठाई बर्षकी लड़की थी, जैनबने उसे गोदमें ले मुँह चूमकर कहा—“मेरी बिटिया ! लड़कियाँ ऐसे नहीं बोला करतीं। कह, मैं भी सुनाऊँगी’।”

रोहिणीने कहा—“हूँ ! ध्रुव भैया यही तो कहता था, तब जानकी अम्माने टोका।”

जैनब—“तू बेटी है न !”

रोहिणी—“हाँ, तेरी बेटी हूँ, जानकी अम्माकी बेटी हूँ, बड़ी अम्माकी बेटी हूँ कि ! कमाल भैयाकी तो बहिन हूँ। शफा भैया भी, देख, रोहिणी बहिन—रोहिणी बहिन कहता है। ध्रुव भैया भी बहिन कहता है। तो स्वामी बेटी कैसे हूँ, बेटी भी हूँ, बहिन भी हूँ।”

जैनब—“अच्छा बूढ़ी दाई। तुम बेटी भी हो, बहिन भी हो, लेकिन बेटा और भैया तो नहीं हो ?”

रोहिणी—“हाँ ! नहीं हूँ।”

जैनब—“अच्छा ! तो बेटा, भैया, ‘सुनाऊँगा’ कहें तो ठीक, और बेटी, बहिन ‘सुनाऊँगी’ कहें तो ठीक। इतना ही नहीं, बूढ़े बाबा, पिता, चाचा ‘सुनाऊँगा’ कहें तो ठीक और बूढ़ी अम्मा, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा सब ‘सुनाऊँगी’ कहें तो ठीक।”

इतनेमें हमलोग पहुँच गये और बात यहीं समाप्त हो गई। सब माताओं ने अभिवादनके लिए पहले हाथ उठाया, जिसे देख बच्चोंमें भी छोटी गान्ड़ियों में रखे अत्यन्त छुटे तन्नोंको छोड़कर सबने हाथ उठाये।

मुझे वे बच्चे उचमुच खिले हुए स्वर्गीय फूलसे जान पड़े; उनमें लाल-लाल होठ और गुलाबी गालोंपर अस्फुट हँसीकी रेखा थी। सबके

शरीरपर एक प्रकारके गुलाबी रंगके फलालैनेके कपड़े थे। सबके पैरोंमें छोटे-छोटे मोजे और छोटे-छोटे सुन्दर जूते थे। सिर मुलायम टोपीसे ढँका था। स्वागत समाप्त होनेके साथ ही मैंने देखा, बालक-बालिकायें सभी—जिनकी वहाँ पहिचान होनी कठिन थी—अपने छोटे-छोटे तीन तारवाले खिलौने-सितारको लेकर बैठ गये। कीई मिश्रावको उल्टा पहिन्ता और वह अँगुलीमें नहीं जाती, तं पासके बड़े लड़केसे कहता—

‘मोहन भैया ! जल्दी इसे अँगुलीमें लगा दे तो ।’

मुतुजाने एक बार कानके पास ले जाकर, तारको मारा तो ‘दिम’सी आवाज़ आई, बस क्या था। उसने समझा, मैं ही बाजी मार ले जाऊँगा। तुरंत प्रसन्नतासे फूला हुआ प्रियवदाके पास दौड़ा गया, हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले जाकर बोला—

“अम्मा ! ज़रा गोदी तो ले ।”

जब गोदी चढ़ गया, तो अपने बाजेको कानके पास ले जाकर एक बार तारपर मारा, किन्तु अबकी तार हाथसे दवा था, अतः आवाज़ नहीं हुई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या उसकी आशा हीपर पानी फिर गया ! तो भी कहा—“माँ ! अभी नहीं न सुना; खड़ी रह, सुनाता हूँ न ।” प्रियवदा तो अभिप्राय जान गई थी। उसने तारपरसे अँगुली जरा खिसका दी। मुतुजाने अबकी मारा, तो ‘दिम’-से हुआ। बड़ा खुश होकर बोला—“देख ! मैं अच्छा बजाता हूँ न !” प्रियवदाने कहा—“हाँ बेटा ! तू बड़ा अच्छा बजाता है। आज पितामहको सुना तो ।”

इसपर मुतुजाने पूछा—“अम्मा ! पितामह कौन हैं ?” इसपर प्रियवदाने बताया—वही बूढ़े-बूढ़े सफेद दाढ़ीवाले। अब मुतुजाने एक बात चालाकीकी कही—“माँ ! अब चुन-से बैठ जाता हूँ, नहीं तो विजय भैया कहेगा—अम्मासे सीख आया है ।” यह कह मुतुजा जाकर एक जगह बैठकर, खूब आलाप लेने-जैसी शकल करके कुछ गुनगुनाते सितार छेड़ने लगा। देखा-देखी और कई बच्चोंने भी ऐसी ही करना आरम्भ किया।

मैं गाड़ियोंपर बैठे बच्चोंकी ओर देखने लगा। कोई पासमें खड़ी माताकी

झँगुली पी रहा है, कोई 'आगूँ' 'आगूँ' कर रहा है। कोई हँसकर अपनी नई सम्पत्ति दोनों अगली दँतुलियोंको दिखा रहा है। सभी बच्चे दृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ थे। कोई दुबला, कुरूप और रोदून था। मैं एक छः-सात मासके बच्चेके पास गया, तो मेरे हाथ बढ़ाते ही वह हाथ बढ़ाकर मेरी ओर आनेकी इच्छा प्रकट करने लगा। फिर क्या था, उसको मेरी गोदमें देख बहुत-से बारी-बारीसे गोदमें चढ़े। सभी लड़कोंकी संख्या डेढ़सौकी थी। देर होते देख मुतुंजाने अबकी प्रियंवदाके पास जाकर कहा—“माँ ! अब सुनाऊँ न—अब क्या देरी है ?” इसपर प्रियंवदाने कहा—“हाँ ! रह जा; अभी बुनाकर पितामहको बैठाती हूँ, तब सुनाना।” सबको देखने के बाद क्रातिमाने बैठनेके लिए कहा। लड़कों हीमें हमारे बैठनेके लिए फर्शपर थोड़ी जगह मिली। हमारे बैठते ही, सब बालक और करीब-करीब हो गये। शिशु-उद्यानमें सब मिलकर तीस मातायें हैं। सभी अपनी-अपनी गोदमें तथा आसपास बच्चोंको लिये बैठ गईं। डेढ़ वर्षके ऊपरवाले लड़कोंने हाथमें सितार लिया था, और छोटोंमेंसे किसीने बिल्ली, किसीने कुत्ता, किसीने खरगोश, किसीने सीटी, किसीने गुड़िया, किसीने लकड़ीके अक्षरोंके कटे अंश, किसीने कोई खिलौना, किसीने कोई खिलौना। अब बड़ी अम्मा बोली—

“बच्चे साथियो ! हमारे सबके पितामह यहाँ अपने बच्चोंको देखने आये हैं। अब उन्हें सब लोग अपना-अपना गुण दिखाओ। पितामह बाबा बहुत दिनपर आये हैं। पहले जानकी अम्मा भजन सुनावेगी, तब जैनब अम्मा सुनावेगी, तब देखो कौन सुनावेगा ? विजय भट-से बोल उठा—‘मैं !’ मुतुंजा पहलेसे सँपर रहा था, किन्तु धोखेसे पहले न बोल सका, तो भी जल्दी-जल्दी उसने कह डाला ‘मैं’। जानकीने हाथमें बीणा ले गीत गाया।

गानेका कहना ही क्या था ! यद्यपि भाषा बालकोंकी थी, भाव भी बालकोंका था, किन्तु स्वर लय, तान सबसे निराला था। बीच-बीच में मैं देखता था, कई एक बच्चे बड़े ध्यानसे सितारको हाथसे छेड़ते कुछ गुन-गुनाते हुए तन्मय थे। अब जैनबने बीणाको हाथमें लिया। विजय—उसका

शागिर्द—पास बैठा था। ऐसे भी वह सावधान ही बैठा था, किन्तु अब विशेष तौरसे एक बार खड़ा हो आनधी-पानधी मार, ठीक जैनबकी तरह उसकी दाहिनी ओर बैठ गया। जैनबने मीठे स्वरमें एक गीत सुनाया।

गीत समाप्त होते ही क्योंही जैनबने बीणा अलग रखी, विजय गोदमें जा बैठा और धीरे-से कानमें बोला—“माँ, वही उस दिनवाला गीत न सुनाऊँ ?” जैनबने कहा—“कौन सा ?” इसपर विजयने कुछ फुसफुसाया। जैनबने कहा—“हाँ बेटा, हाँ वही।” अब विजय धीरे-से मेरे पास आया, और बोला “पितामह। अब एक गीत मैं सुनाऊँगा।” मुतुजाने कहा—“नहीं पितामह। पहले मैं सुनाऊँगा, तब विजय भैया सुनावेगा।” विजयने कहा—“नहीं पहले मैंने कहा था, पहले मैं सुनाऊँगा।” मुतुजाने फिर अपना पहला आग्रह दुहराया। अब बड़ी अम्माने भगड़ेका जल्दी निपटारा होते न देख, कहा—“अच्छा, दोनों भाई मेरे पास आओ।” दोनों दौड़कर क्रातिमाकी गोदमें चले गये। तब क्रातिमाने विजयसे पूछा—“उस दिन, विजय, जब तुम और शक्रा मेरे पास थे, मैं सेबका टुकड़ा तुम्हें जब देने लगी, तो तुमने क्यों लेनेसे इन्कार किया ?” विजयको अम्माके हाथके फलसे इन्कारका शब्द कड़ा मालूम हुआ। भट गलेसे लिपटकर कहने लगा—“अम्मा ! तू तो यों ही कहती है; इन्कार थोड़े ही किया ? यही तो कहा था कि पहले शक्राको दे, तो फिर मुझे दे।” क्रातिमाने पूछा—“अच्छा, ऐसा ही क्यों कहा ?”

विजयने कहा—“तैने ही नहीं बताया था, कि पहले छोटे भाईको देकर तब अपने खाओ। शक्रा छोटा भैया है, मैं बड़ा भैया हूँ तो पहले कैसे खा जाता ! प्रह्लाद भैया, इब्राहीम भैया, जमशेद भैया, जब विद्यालय नहीं गये थे तब मेरे या श्याम भैयाके बिना खाये कहाँ खाते थे ?”

क्रातिमा ने कहा—“हाँ ! मेरे लाल। ठीक तो कहता है। अच्छा तो मुतुजा छोटा भैया है, या बड़ा भैया ?”

विजय—“छोटा भैया।”

क्रातिमा—“तो फिर उसकी बात पहले ही कि तुम्हारी ?” विजयकं अपनी गलती समझपें आ गई। उसने हँसते हुए कहा—“हाँ। मुतुजा

पहले तू गा, तब मैं गाऊँगा ।” बड़े भैया छोटे भैयाकी बात हो। देख, अब मुतुंजाके मनने भी पलटा खाया । उसने कहा—“विजय भैया बड़ा भैया है, पहले यह गा लेगा, तब मैं गाऊँगा ।” विजयने कहा—“मुतुंजा छोटा भैया है, पहले वह गायेगा, तब मैं गाऊँगा । “अब एक दूसरा अड़ङ्गा खड़ा देख, बड़ी अम्माने कहा—मुतुंजा ! बड़े भैयाकी बात छोटे भैयाको माननी चाहिये न ?”

मुतुंजा —“हाँ, अम्मा ! माननी चाहिए ।”

फातिमा—“तब जैसा विजय भैया कहता है, वैसा करो ।” अब मुतुंजा दौड़कर प्रियंवदाके पास गया और बोला —“अम्मा ! मेरे तारोंको ठीक तो कर दे ।” प्रियंवदाने लेकर जरा तारको इधर-उधर खींच दिया । अब मुतुंजा दाहिने पैरसे पालथी मार और वार्येके सहारे सितारको हाथमें पकड़े, ऐसे बन बैठा; मानो तानसेन ही उतर आया हो । थोड़ी देर खींचने-खाँचनेके बाद बोला —“अभी गीत मैंने नहीं सीखा है, खाली बाजा सुनाऊँगा ।” मैंने और विश्वामित्रने कहा—‘हाँ ! बाजा ही सुनाइये ।’ अब मुतुंजाने एक बार अंगुली तारपर मारी, किन्तु वह तारतक न पहुँचकर पहले ही रुक गई । बगलवाले लड़के हसना ही चाहते थे कि उसने फिर एक बार खूब साधकर अंगुली मारी और अब ‘दम’-सी आवाज़ आई । प्रियंवदा, फातिमा, मैंने और सभीने इसपर शाबाशी दी । मुतुंजाबहुत प्रसन्न हुआ और बोला—“अच्छा, अब विजय भैयाका गीत हो ।” विजय ने अब तक बड़ी अम्माके पास बैठा था, उठकर जैनबके पास जाकर बोला—“माँ ! तू जरा बजा, तो मैं गाऊँ ।” विजयने एक-दो गीत खूब मिहनतसे याद किये थे । वह बहुधा जैनबकी गोदमें बैठकर उसके सितार बजानेपर गाया करता था । इसी-लिए अबकी फिर उसने बजानेको कहा । जैनबके दानादिर करते ही विजयने अपना गाना आरम्भ किया

शिशुके मधुरस्वर और अकृत्रिम कंठसे निकले सरल गानने प्राणोंको प्रकुश्लित कर दिया । बारी-बारीसे दो-चार और गवैयोंने अपने-अपने करतब दिखलाये । इसके बाद अक्षरके खिलाड़ियोंका नम्बर आया । मरियम और रुक्मिणी सबसे पहले आईं । प्रियंवदाने लकड़ीके अक्षरोंके बक्सको हाथमें लेकर उसमेंसे

एक नीचे रखकर कहा—बूझो यह क्या है। रुक्मिणी के आभाष्यसे उसकी ओर अक्षरकी ऊपरी लकीर पड़ी थी, जिसमें जब तक वह विचार करे तब तक मरियमने बोल दिया—‘क’। अब क्या, मरियम के आनन्दको कोई सीमा नहीं। प्रियंवदाने कहा—बेटी रुक्मिणी, कोई परवाह नहीं, आओ तुम दोनों एक सीधमें पाँतसे खड़ी होकर अबकी बूझो। अबकी प्रियंवदाने फिर एक अक्षर फेंका। गिरते-कैसे साथ दोनोंने एक साथ ‘र’ कहा। बड़ी अम्माने दोनोंको गले लगाया। अब बड़ी अम्मा सबके कुत्ते, बिल्ली, बत्तक, गुड़िया आदि खिलौनोंको लेकर पाँतसे रखकर कहने लगी—प्रियव्रत ! खरगोश ले आओ तो। प्रियव्रतने झट खरगोश उठाकर हाथमें दे दिया। ऐसे ही वह एक-एक जानवर का नाम लेती जाती और बच्चे ला-लाकर देते जाते थे।

इसके बाद सारा समाज वहाँसे उठ खड़ा हुआ। अत्यन्त छोटे बच्चे भी इस तमशेमें शामिल थे। मातायें गोदमें उन्हें लिये थीं। फूलोंके पास जाकर इसकी परीक्षा ली गई कि कौन कितने फल-फूलोंका नाम जानता तथा पहचानता है। वहाँ मौलसरीकी डालियोंमें बहुत-से पालने लटक रहे थे; जिनके बारेमें बताया गया कि छोटे-छोटे बच्चे इन्हींपर सोते और झूलते रहते हैं। पालनोंके गद्दे बहुत ही मुलायम थे। एक कल सब झूलनोंको धीरे-धीरे झुलाती रहती थी। हमलोग यह देख ही रहे थे कि इसी समय नौका घंटा बजा। आज हरी घासपर भोजनका प्रबन्ध था। इसी समय बाहरसे और भी बहुत-सी स्त्रियाँ आती दीख पड़ीं। ये लड़कोंकी जननियाँ थीं। वस्तुतः यहाँ ‘माता’ शब्दसे उन सभी महिलाओंका ग्रहण किया जाता है जो बालककी रक्षा, शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध करती हैं। सब प्रकारकी अनुकूलता देख, छोटे-छोटे बच्चोंको भी जननियाँ, प्रायः शिशु-उद्यान हीमें रख आती हैं। रात्रिमें वर्ष दिन तकके बच्चोंको जननी अपने पास रखती हैं। दिनमें नव-जात शिशुओं-वाली मातायें यदि काम करती हैं, तो ग्राम हीमें, सो भी दो घन्टे; बाकी समय शिशु-उद्यान हीमें बालकोंका मन-बहलाव करती हैं। शिशु-उद्यान ग्रामवासियोंका कीड़ाद्यान है, जहाँके पुष्पों और मनोरंजनकी और सामग्रियोंमें कामल शिशु भी शामिल हैं। उनके मधुर-आलापके सुनने, उनके मनोमोहक खेजोंको

देखनेकी इच्छासे कितने ही नर-नारी अपने अवकाशके समयको वहाँ व्यतीत करते हैं।

आजके राष्ट्रका ध्येय तो यद्यपि मनुष्य-मात्रके जीवनको आनन्दमय बनाना है, और ऐसा करनेमें उसे अच्छी सफलता भी हुई है; किन्तु बालकोंके लिए प्रस्तुत की गई सुखकी सामग्रियाँ तो पुराने सम्राटोंके राजकुमारोंको भी शायद नसीब न थीं। साधारणतया बालकोंको थोड़ा-थोड़ा दिन रातमें तीन-तीन घन्टेपर सात बार जलपान और भोजन कराया जाता है। पहला कलेवा उनका ६ बजे होता है, जबकि दूधके साथ श्रुतके उपयोगी कुछ मिष्ठान्न दिये जाते हैं। इस वक्त नौ बजेके लिए खीर, कुछ फल, ऐसे ही पदार्थ ये। बारह बजे भात-दाल, रोटी-तरकारीका प्रबन्ध रहता है। ३ बजे फिर फल, दूध। ६ बजे भी कुछ फल। ६ बजे नमकीन और मोठी चीजोंके साथ कुछ दूध भी और बारह बजे रातको फिर दूध और कुछ फल। भोजनका सिलसिला तीन-तीन घन्टेपर बराबर रहता है। परन्तु तीन समय—प्रातः, मध्याह्न और रात्रिके नौ बजे—छोड़कर, पेटभर नहीं खिलाया जाता। खाना हज़म होने के लिए लड़के दौड़ धूप किया करते हैं। आँख-मिचौनी आदि पुराने खेल-कूद भी खेले जाते हैं। छोटे-छोटे फुटबालोंको लेकर लड़के खूब खेलते हैं। हरी-हरी दूबपर इन छोटे-छोटे जवानोंकी कंबड्डी भी बड़ी भली मालूम होती है। बागमें एक अखाड़ा भी इनके लोट-पोट और पहलवानीके लिए है। सारांश यह कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा और शारीरिक श्रम सभीपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। हाँ! जो मातायें मैने आते देखी थीं, उन्होंने अपने नवजात शिशुओंको दूध पिलाना शुरू किया, और कितनी ही लड़कोंके पानमें खिलाने बैठ गईं। खाना खा सकनेवाले लड़कोंकी मातायें अपने-पराये सभी बच्चोंको साथमें लेकर समान भावसे खिलाने लगती हैं। वास्तवमें इस समयके नर-नारियोंके हृदयसे संकीर्णता निकल गई है। उनके हृदय विशाल हैं।

जन्म देनेवाली माताओंहीके लिए नहीं, उन माताओंके लिए भी जो कि ठगानमें बालकोंकी रात-दिन सेवा-सुश्रूषा करती हैं, यह बहुत भारी मानसिक बलेशकी बात है, कि तीन वर्ष बाद लड़के दूर-दूरके बड़े-बड़े विद्यालयोंमें भेज

दिये जाते हैं। किन्तु राष्ट्रके कल्याणके लिए, और उन अपने बालकोंके हितके लिए वे सब सहन करती हैं।

• भोजनके समाप्त होनेपर अब हम लोग कांठेपरके वस्तु-संग्रहालयकी ओर चले। कुछ बालक तो स्वयं छोटी-छोटी सीढ़ियों-द्वारा चढ़ आये और कुछको माताओंने ऊपर पहुँचाया। विजय सभी बालकोंमें होशियार था। उसका शरीर भी दृष्ट-पुष्ट था। वह जैनबकी अंगुली पकड़े हमारे साथ-साथ था।

संग्रहालयमें घुसते ही देखा, नीचे तरह-तरहके जीव-जन्तु, अन्न आदि वस्तुएँ रखी गयी हैं। धनुष, बाण, फरसा, गँड़ासा, लाठी, बंदूक, तमंचा, भाला, कवच और खोद दीवारोंमें टँगे हैं। छोटी-छोटी तोपें भी रखी हैं। दीवारोंके ऊपर मनुष्य-जातिके बड़े-बड़े नेताओंकी जीवन-घटनाओं सम्बन्धी बड़े-बड़े चित्र हैं। कहीं सुक्रात प्रसन्नतापूर्वक विषके प्यालेका पान कर रहे हैं। कहीं बुद्ध रक्तके प्यासे 'अंगुलि माल' के प्रहारका कुछ भी खयाल न करके प्रसन्न बदन खड़े हैं। कहीं गाँधी सड़कपर कंकड़ कूट रहे हैं। कहीं इब्राहिम लिंकन विपत्तियोंकी धमकीका कुछ भी खयाल न करके मनुष्योंकी दासता हटानेके लिए बलिदान हो रहे हैं। कहीं जोन स्वतन्त्रताके लिए निष्ठावर हो रही है। कहीं अशोक युद्धके बाद साम्राज्यसे विरक्त हो रहे हैं। इसी तरह अनेक प्रकार के चित्र हैं।

मुझसे यह भी कहा गया कि बालकोंको बोलते फिल्मों-द्वारा भी बहुत-वा ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक बातोंका ज्ञान कराया जाता है। ग्रहोंका भ्रमण, रात-दिनका होना, चन्द्रमाका घटना-बढ़ना भी उसके द्वारा दिखाया जाता है। बालकोंको ये सारी शिक्षायें मनोरंजन और खेलके रूपमें ही मिल जाती हैं। दूसरोंका काम जिज्ञासा उत्पन्न करनेकी सामग्री एकत्रित कर देना है। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो बालक अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिए सब कुछ सहन करनेको तैयार हो जाता है। तब हर एक बात उसे जल्दी स्मरण तथा हृदयंगम भी होती जाती है। उस समय ज्ञानको धूलकर पिलाने या ठूसनेकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने वस्तुओंको देखते समय बीच-बीचमें कभी-कभी किसी लड़केसे किसी वस्तुका नाम पूछा, या नाम बोलकर वस्तु

दिखानेको कहा, तो बालक बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक सन्तोष-जनक उत्तर देते थे। क्रातिमाने बताया—“लड़के स्वयं अंगुली पकड़कर माताओंको खींच लाते हैं। कभी किसी वस्तुका नाम पूछते हैं, कभी किसी चित्रको देखकर चित्रित घटनाकी कथा सुनने बैठ जाते हैं। कहनेवालेसे अधिक उनको उन्हें देखने-सुननेमें आनन्द होता है। इसी समय यदि कभी भोजनका समय आ जाता है, तो बड़ी अरुचि-पूर्वक वहाँसे भोजन करने उठते हैं। यद्यपि तीन वर्ष तक उनको कोई पुस्तक पढ़ने को नहीं दी जाती, न लिखाया ही जाता है, किन्तु ज्ञान के साथ-साथ, उन्हें बहुतसी संख्या तथा अक्षरों और अक्षरोंका बोध स्वयं ही खेलते-खेलते हो जाता है। प्र व, सप्तर्षि आदि कई तारोंको वह पहिचानने लगते हैं। वस्तुओंकी संज्ञाका कोष उनका बड़ा हो जाता है। माता, पिता, अभिभावक, और आस-पासके वायु-मण्डलको भी शुद्ध भाषाका प्रयोग करते देख उनकी भाषा बहुत शुद्ध होती है।”

जब वहाँसे देखकर हमलोग उतरे, तो बालकोंके शयनागारकी ओर चलनेके लिए कहा गया। जाकर देखा—छोटे-छोटे बालकोंके लिए जगह-जगह मूलने टँगे हुए हैं। बालकोंके सोने के लिए पर्लंगपर अच्छे-अच्छे मुलायम गद्दे बिछे हुए हैं। सदीमें कमरेको गर्म करनेका पूरा प्रवन्ध है। रात्रिमें बालक बहुत कम यहाँ रह जाते हैं। अधिकतर अपनी जननियों हीके पास सोते हैं। कुछ जो रहते हैं, वह अपनी उद्यानकी माताओं की गोदमें सोते हैं। शयनागारकी बगलमें भोजनागार है। बगलमें पाकशाला है, जहाँ बालकोंके लिए ताजा-ताजा भोजन बनता रहता है। अब ग्यारहका समय नजदीक आ रहा था, अतः उद्यानका और अवलोकन करना न हो सका। दूरसे छोटी-छोटी छतरियोंके नीचे कुछ मूर्तियाँ सी दिखाई पड़ीं। पूछनेपर मालूम हुआ कि वहाँ बालकोंके इष्ट-देव ऐतिहासिक महापुरुषोंकी संगमरमर की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पहुँचते ही बालक ‘कथा’-‘कथा’ की धुन लगा देते हैं। बिना उस महापुरुषकी एक दो जीवन-घटना सुने चैन नहीं लेने देते।

जानकीने घड़ी देखकर बतलाया कि अब ग्यारहमें पॉन मिनट बाकी है। हम लोग उद्यान-परितर से विदा हुए।

उस दिन उतना ही देखना था। दूसरे दिन अब यहाँ से नालन्दाको

प्रस्थान करना था। विश्राम-घर लौट आनेपर विश्वामित्रके साथ यात्राके समय तथा मार्ग आदिपर विचार हुआ। विश्वामित्रने पूछा—“क्या यहींसे सीधे नालन्दा चलना होगा?”

“सीधे तो चलना होगा, किन्तु सीधे इसी अर्थमें कि रेलमें चढ़कर फिर बीचमें उतरना नहीं।”

“रेलसे चलनेमें समय कुछ अधिक लगेगा; यदि विमानसे चलना हो तो आध घन्टेका रास्ता है।”

“इतनी जल्दी चलना भी अभीष्ट नहीं है। रेलसे चलो, तिसमें भी जो ट्रेन सब स्थानोंपर खड़ी होती जाय। उससे और जाना भी उस लाइनसे चाहिये, जिसके द्वारा मैं आया गया हूँ, क्योंकि मैं रास्तेके आस-पासकी बस्तियोंके परिवर्तन आदिको देख सकूँगा। अब इधर जल्दी तो आना नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि यहाँ से रक्सौल, सुगौली, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, पटना और बख्तियारपुर होते नालन्दा चलें, किन्तु रास्तेमें कहीं विश्राम नहीं लेना है—केवल जहाँ गाड़ी बदले, वहाँ बदलने भरको उतरना है।”

“गाड़ी भी पटना ही बदलेगी। बख्तियारपुर जानेका काम नहीं, पटनासे सीधी नालन्दाको लाइन गई है। रेलवे लाइनोंमें भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब भारतमें क्या, पृथ्वी-भरकी लाइनें एकसी ही चौड़ी हैं। वह चौड़ाई आपके समयके ई० आर्इ० रेलवेसे कुछ कमकी है। इसलिए अब बी० एन्० डब्ल्यू० रेलवेकी छोटी लाइन, और बख्तियारपुर-बिहार वाला ‘रेलका बच्चा’ नहीं मिलेगा।”

“विश्वामित्र! ‘रेलका बच्चा’ तुमने कैसे जाना?”

“किताबोंमें देखनेसे।”

“किन्तु, इसके सम्बन्धकी कथा तुमको न मालूम होगी; सुनो। द्रुम तो इतिहासके पंडित ही हो। उस समयके लोगोंमें मूर्खता बहुत थी। कितने गाँवोंमें कोई चिट्ठी आनेपर दूसरे गाँवोंमें बँचवानेको जाना पड़ता था। जब मर्द ही अक्षरशून्य थे, तो स्त्रियोंके लिए क्या पूछना? कोई देहाती आदमी बख्तियारपुरकी उस समयकी बड़ी लाइनकी गाड़ीपर सवार था। उसने ऐश्वर्यकी दूसरी और छोटे-छोटे रेलके ढंग देखे, जो उसकी गाड़ीके सम्मुख

वैसे ही थे, जैसे बापके सामने उसका छोटा बच्चा। ऐसी छ्वांटी रेलमाड़ी अब तक न देखी थी। अपने पासके किसी आदमीसे पूछा, जो स्वयं भी निरन्तर—किन्तु तर्क कुशल—था, कि यह क्या है। उसने कहा—‘रेलका बच्चा’। पहले ने पूछा—क्या रेल भी बच्चा देती है ? उसने कहा—देख ही रहे हो; हाथीका बच्चा हाथी नहीं देखा है ! उसने कहा—हाँ, सच कहते हो, बिलकुल शकल-सूरत भी मिलती है; खाली छुटाई-बड़ाई हीका तो फर्क है। अच्छा, तो बेचारा ‘रेलका बच्चा’ भी गया, उसके बोलनेवाले भी। पटना तक जब गाड़ी नहीं बदलेगी तब तो गंगामें पुल बंध गया होगा।”

“१९५० हीमें।”

“अच्छा तो कल किस समय चलना चाहिये ?”

“कल साथी इस्माइलसे बात हुई थी। कहते थे कि मांढनपुर स्टेशन-पर चढ़ना है। वहाँ वाले भी बहुत उत्सुक हैं। उनका आग्रह तो एक रात आतिथ्य करनेका था, किन्तु आपकी दूसरी इच्छा देखकर उसमें बाधा नहीं डालना चाहते। कल जलपानके बाद यहाँ वालोंकी अन्तिम फूल-माला लेकर आठ बजे चलना चाहिये। साढ़े आठ बजे वहाँ पहुँच जायेंगे। ग्यारह बजे मध्याह्न भोजन करके वहाँसे बारह बजे रेलपर सवार होना चाहिये।”

“ठीक है, यही प्रबन्ध करो।”

विश्वामित्रने, इन बातोंको इस्माइलसे कहा। और इसकी सूचना उसी दिन मोहनपुर, तथा बीचके स्टेशनों एवं नालन्दाको भेज दी गई। रेलका समय देखकर ज्ञात हुआ कि गाड़ी सवारी-गाड़ी है, जो सब जगह ठहरती जाती है। हमलोग इस तरह चलकर परसों सबेरे साढ़े छः बजे नालन्दा पहुँच जायेंगे।

रेलकी यात्रा

आज जलपानके पहले मेरे निवास-स्थानपर प्रियंवदा और इस्माइल के अतिरिक्त देवमित्र, आचार्य विश्वामित्र आदि अनेक व्यक्ति आ गये थे

हमलोग साथ ही भोजनागारको गये। संस्थागार में गाँवकी ओरसे फूल-माला देकर मेरी विदाईका प्रबन्ध हुआ था। जलपानके बाद हमलोग संस्थागारमें पहुँचे। वहाँ सब लोगोका ओरसे देवमित्रजीने मेरेलिए प्रेमोद्गार प्रगट किये। साथ ही मुझे अष्ट-धातुके पत्रपर स्वर्णाक्षरोंमें मुद्रित एक काव्यमय अभिनन्दन-पत्र दिया गया। कवयित्री वही प्रियंवदा थीं। मैंने उत्तरमें ग्रामवासियोंके अकृत्रिम प्रेमके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा सन्तोष प्रकट किया।

अब सबके अभिवादन और प्रेममयी दृष्टिसे आप्लावित हो, सेवग्रामसे मैं और विश्वामित्र विदा हुए। साथमें हमारी मोटरपर इस्माइल-दम्पती, तथा देवमित्र भी चले। हमारे चलनेकी सूचना फोनद्वारा मोहनपुर पहुँच गई थी।

गाँवके बाहर ग्रामणी तथा अन्य सभ्य स्त्री-पुरुषोंने पहले हमारा स्वागत किया, और कहा, सब ग्रामवासी संस्थागारमें प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमलोग मोटरसे बिना उतरे, सीधे संस्थागारमें पहुँचे। मकानोंकी सुन्दरता और ढंग बिल्कुल सेवग्राम ही सा था, बल्कि देखनेवालेको एक ही ग्रामकी भ्रान्ति हो सकती थी। विश्वामित्रने बतलाया, स्थानके संकोच, जन-संख्याकी कमी-वशीसे गाँवकी लम्बाई-चौड़ाईमें भले ही फर्क पड़ सकता है, किन्तु श्रेणियाँ, सड़कें, संस्थागार आदि सबके नक्शे देशके सभी ग्रामोंमें एक-से होते हैं। जल-वायुकी विशेषतासे भी कुछ आवश्यक परिवर्तन रखा जाता है।

मोहनपुरके विषयमें मालूम हुआ, यहाँकी जन-संख्या सेवग्रामके ही बराबर है। यहाँ बर्फ बनानेका एक कारखाना है। और दूसरा व्यवसाय आस-पासके १४-१५ फलवाले गाँवोंके फलोंको भिन्न-भिन्न जगहोंपर चालान करना है। इस पर्वतके फल लंका और बर्मा तक जाते हैं। इतनी दूर तक जानेमें कोई भी फर्क न पड़े, इसलिए उनके रखनेकी गाड़ियोंमें चारों ओर बर्फ रखी रहती है। फलोंको ढानेवाली मोटरोंपर फल रखनेके लोहेके जालीदार बड़े-बड़े बर्तन रहते हैं। एक मोटरपर ऐसा एक ही बर्तन रहता है। फलोंके बोझसे नीचे-वाले फलोंको बचानेके लिए बीच-बीचमें दूसरी जाली रहती है। मोटरगाड़ीके स्टेशनपर पहुँचते ही, उठानेकी कल-द्वारा सारा बर्तन ही उठाकर रेलके डब्बे में रख दिया जाता है। रेलका डब्बा ऐसे नापका बना होता है, कि पाँच मोटरोंके माल उसमें बिल्कुल ठीक अँट जाते हैं। फलोंकी गिनती देना

बगीचोंवालों का काम है। इस प्रकार कोलम्बो (लंका) के लिए जानेवाला सेब एक ही गाड़ी में मोहनपुर से वहाँ पहुँच जाता है।

मोटर से उतरकर संस्थागार के रंगमंच पर पहुँचने पर, मांहनपुर के नर-नारियों ने वैसा ही हादिक स्वागत किया, जैसे कि सेबग्रामवालों ने किया था। वहाँ के ग्रामस्थान भी मेरे विषय में अपने मद्भाव ग्राम-वासियों की ओर से प्रकट किये। मैंने भी इसके लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद फूल-माला दी गई। पाँछे सबने भोजन का समय हा जाने से, भोजनागार में जाकर भोजन किया। सब जगह प्रेम और आनन्द का स्वतः उमड़ रहा था। समय न होने से यहाँ की ओर स्थानों को तो नहीं देख सका। संस्थागार और भोजनागार बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे कि सेबग्राम के। पूछने से पता लगा कि शिशु-उद्यान, चिकित्सालय भी वैसे ही हैं। द्वार भी नदी की ओर है और चिकित्सालय से थोड़ा दूर बर्फ का कारखाना है। ये बातें स्टेशन को चलते समय मुझमें कड़ी गई थीं। मैंने बार-बार उधर इस खयाल से देखा कि कारखाने की चिमनी तो दिखाई देगी; किन्तु मुझे यह स्मरण नहीं था कि काम तो बिजली में होता है; फिर चिमना का क्या प्रयोजन—धुआँ धक्कड़ का काम ?

स्टेशन पर पहुँचे। पहले से ही मालूम था कि गाड़ी के आने में दो मिनट की देरी है। अतः हमलोग थोड़ी देर अतिथि-विश्राम में बैठ गये थे; क्योंकि विश्वामित्र ने बतलाया था कि अब न स्टेशन पर पान-बीड़ी-सिगरेट और न मिठाइयों की दूकान, न 'कुली चाहिये', 'कुली चाहिये' का तूफान, न मुसाफिर-खानों की 'भेड़िया-धसान', और न भूखे-भिलखमंगों का 'जब जजमान' है। मैंने पूछा—खैर और न सही, किन्तु मुसाफिरखानों बिना तो मुसाफिरों की अवश्य तकलीफ होती होगी ? इसपर विश्वामित्र ने बताया तकलीफ काहेकी ? खाम-खाह तो कोई उतरता नहीं। जो जहाँ जाना होता है, वहीं तो उतरता है। गट्टर, बिस्तरे का तो कोई बखेड़ा है ही नहीं। अभीष्ट ग्राम समीप रहा, तो अतिथि-विश्राम में पैदल ही चलकर पहुँच गये। नहीं तो फोन में दो आदों बोलने पर तो मोटर आती है।

आखिर गाड़ी भी आ गई। आज पूरी दो शताब्दियों-बाद रेल की सूरत देखी। लाइन तो बड़ी लाइनसी थी; डब्बे भी बहुत अच्छे, सुन्दर रंग हुए

थे। नई बात यह मालूम हुई कि इंजन चिन्हाई ही नहीं पड़ता था। न धुएँ का फक-फक, न कालोमाईकेर इनेका आँधा होना। इंजनके आगेका आकार हवा-के धक्केको कम करनेके लिए नाकदार बना है। इंजनकी दूसरी पुरानी विशेषतायें नहीं हैं। यह सब काया-पलट बिजलीके कारण हुई है। अब कोयला-पानीसे भाफ बनानेकी तो आवश्यकता है नहीं। बिजली भीतर भरी रहती है। कुछ तो कोष बाहरसे लाकर रखा जाता है, और कुछ खुद रेलके पहियोंसे उत्पन्न बिजलीके सञ्चय करनेसे हस्तगत कर लिया जाता है। आज-कलकी दुनिया अर्थ-शास्त्रके तत्त्वोंपर बहस करनेमें, जहाँ बालकी खाल उतारती है, वहाँ श्रम एवं, व-तुको ज़रा भी फ़जूल नहीं जाने देती। मज़ाल क्या कि एक टुकड़ा सड़ा-गला लोहा, एक जरा-सा शीशीका फूटा टुकड़ा, एक मामूली चाँयड़ा, एक रद्दी कागज़की चिट व्यर्थ फेंक दी जाय। सभी चाँजे गाँवके गोदाममें जमा होती रहती हैं, पीछे वहाँसे उनके उपयोग करनेवाले कारखानोंमें भेज दी जाती हैं। हाँ, तो रेलमें बाहरसे नाम-मात्र ही बिजली लेनी पड़ती है, और पहियों-द्वारा उत्पन्न बिजलीसे ही गाड़ी चलाना, पंखा चलाना, रोशनी करना, भोजनकी गाड़ीमें रसोई बनाना, कमरे गर्म रखना, नहानेका पानी गर्म करना इत्यादि सब काम होते हैं। स्टेशनपर भी, न टिकटोंका है-है पट-पट न पुलिसकी फटकार। पुलिसके बारेमें तो इतना ही ज्ञात हुआ कि ग्राम-सभाके चुनावके साथ कुछ लोग इस कार्यके लिए चुन लिये जाते हैं। चोरी आदिका तो डर ही नहीं है। ऐसे तो शिक्षित-समाज अकारण मार-पीट आदिपर उतर नहीं आता, किन्तु यदि कुछ हुआ, या किसी अपराधी का पकड़ना, ले जाना हुआ, तो उस वक्त यह काम उन्हींको करना पड़ता है। वस्तुतः उन्हें पुलिस में कहना चाहिये। इनके लिए प्रयुक्त होनेवाला 'सेवक' शब्द ही ठीक है; क्योंकि वे अत्यन्त विनोत और सेवामें तत्पर होते हैं। रेलोंमें चढ़नेके लिए टिकटकी आवश्यकता न होनेसे 'टिकट बाबू' और 'टिकट-कलक्टरों'की आवश्यकता न रही। सब जगह सन्देश तारवाले टेलीफोन या बेतारवाले टेलीफोन-द्वारा भेजा जाता है। इसलिए 'टू-टक्' वाले बाबूका भी काम नहीं। समयपर लाइन साफ रखने तथा और प्रबन्ध करनेके लिए अन्य कर्मचारी होते हैं। किन्तु 'खलासी', 'पैट्रमैन' और स्टेशन-मास्टर सब बराबर ही हैं—

बल्कि सब एक-दूसरे का काम भी कर सकते हैं। कारवार के लिए यह कहनेकी तो आवश्यकता नहीं कि सब कुछ 'भारती'-भापा ही में होता है। फलोंकी चालानका एक केन्द्र होनेसे, यहाँ चढ़ाई-उतराई तथा ढोनेका काम बहुत होता है। इस मशीन-युग के यौवन काल में सब काम उन मशीनों ही द्वारा कराये जाते हैं, जिनकी नसोंमें विद्युत्का संचार है। मनुष्य तो सिर्फ हुकम देता है। सवारी गाड़ीके खड़े होनेके 'प्लेट-फार्म' से कुछ दूरपर मालगोदाम है, जिसके पास ही पीछेकी ओर बर्फका कारखाना है। प्लेटफार्म बहुत सुन्दर, चिकना तथा आस-पास फूलोंमें सज्जित है।

स्टेशन मास्टरसे भी परचय हुआ। गाड़ीके आते ही हमलांग सवार हुए। न मेरे पास कोई बिस्तरा था, न विश्वामित्रके पास। और भी कितने ही आदमियोंको सवार होते देखा, किन्तु मानों सबने कुछ न ले चलनेकी कसम खा ली थी। सब लोगोंके पास उतने ही कपड़े थे, जो उनके बदनपर—न बिछौना, न ओढ़ना, न तकिया, न टूट्टू, न लोटा-गिलास-थाली-तसला, न हुक्का-चिलम, न तम्बाकू।

सचमुच 'सलाई-टिकिया-दियासलाई', 'चाह गरम', 'कबाब रोटी', 'दातकी मिस्सी', 'सोडा-वाटर-बर्फ' आदि कोई भी पूर्व-परिचित शब्द मेरे कानोंमें न आये। गाड़ी क्या थी, छोटे-छोटे खिड़की जँगलोवाले जगमगाते मकान थे। फर्स्ट, सेकेण्ड, थर्ड क्लासका पता नहीं, बस, एक ही तरहकी गाड़ी, एक ही तरहका बिछौना—चाहे इसे 'फर्स्ट क्लास' कहिए, या 'थर्ड'। चढ़नेके लिए द्वार दूर-दूरपर थे। हमलोग इंजनके पास हीके डब्बेमें चढ़ गये। अब गाड़ीमें देर न होनेसे प्रियंवदा, इस्माइल, देवमित्र तथा मोहनपुरके सभ्य-जन विदा हुए। इंजन चलानेवाले महाशयकी मेरे चढ़नेकी खबर हो गया थी। उन्होंने घन्टी दे, गाड़ी छोड़ दी। मैं गाड़ीमें खड़ा हो देखता हूँ, गाड़ीके एक ओरसे रास्ता गया है, और उसकी दूसरी ओर सोने लायक बेंचें हैं, जिनपर मुनायम गद्दे लगे हैं। मैंने विश्वामित्रसे कहा—पहले बुड्ढेको तुम्हारी नई दुनियाकी गाड़ी देख लेने दो। हम लोग इंजनके पाससे चले। जिस गाड़ीमें जाते वही स्वागत होता है। स्त्री-पुरुष सब अपनी-अपनी बेंचोंपर बैठे थे। कोई पुस्तक पढ़ रहा था; कोई आजका ताजा

समाचार-पत्र ! समाचार-पत्रोंकी धूम अब भी कम नहीं । किन्तु 'बंक' और 'कम्पनियों'का इश्तिहार नहीं । अफसोस, अब 'जो चाहो सो पूछ लो', 'त्रिकाल-दर्शी आईना', 'असली मुमोरा', 'फायदा न करे तो दाम वापस', घर बैठे एक हजार रुपया महीना कमा लो', 'मुफ्त ! मुफ्त ! मुफ्त' इत्यादि शब्दावलिओंका पता नहीं । अखबारवालोंकी बड़ी बड़ी व्यर्थकी सुखियाँ भी नहीं । न 'खास संवाददाता' अथवा 'रुटर-द्वारा'का पता है । महत्त्व-पूर्ण समाचारोंपर सुखियाँ अवश्य हैं, किन्तु अब बाहरी तड़क-भड़क दिखलाकर ग्राहक-संख्या तो बढ़ानी नहीं है । पत्रोंके कलेवर भी भारी ओढ़ने-पहिनने लायक नहीं । विचारणीय विषय मासिक-पत्रोंमें आते हैं । दैनिक पत्र केवल संसारके दैनिक समाचारोंका संक्षेपमें संग्रह करते हैं । यह प्रत्येक प्रान्तके मुख्य स्थानसे उसके नामसे निकलते हैं । शायद यह कहनेकी आवश्यकता न होगी कि वह आवश्यकता के अनुसार स्थान स्थानपर उतनी संख्यामें भेजे जाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक नर-नारी उन्हें, आसानीसे पढ़ सकें । काम हो जानेपर, कागजके कारखानोंमें जाकर ये पुराने अखबार साढ़े कागज बन, फिर दूसरी बार अपने कलेवरको काला करानेको तैयार हो जाते हैं ।

मासिक पत्र बड़ी तड़क-भड़कसे, चित्रोंसे सुसजित होते हैं । फोटो-ग्राफीका भी अब यौवन है । इतना ही नहीं कि इससे आकृतिके साथ जैसे-का-तैसा रंग ही उतरता है, बल्कि अब चित्र भी एक सेकण्डमें बेतार-के-तार-द्वारा पृथ्वीके दूसरे छोर पर ज्यों-के-त्यों उतर कर समाचार-पत्रोंमें आ जाते हैं । मैं जिस दिन सेब-ग्रामके बागमें आया, उसी दिन मेरा चित्र संसारके समाचार-पत्रोंमें मुद्रित हो गया । प्रत्येक साइंसके पृथक्-पृथक् मासिक पत्र निकलते हैं ।

हम लोग अब रेलगाड़ीके पुस्तकालयमें पहुँच गये थे । यहाँ पत्रों और पत्रिकाओंका ढेर लगा हुआ था । यद्यपि दो-तीन आलमारियाँ पुस्तकोंकी भी थीं, किन्तु पत्र-पत्रिकायें ही अधिक । ज्योतिष, गणित, अध्यात्म, इतिहास, भाषा-विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य, विद्युत्, कृषि, आयुर्वेद, वनस्पति, प्राणि आदि, सहस्रोंकी पृथ्वीके भिन्न-भिन्न छोरसे निकलनेवाली पत्रिकायें वहाँ मौजूद थीं । नर-नारी कहीं किसी दार्शनिक तत्त्व पर आलोचना कर रहे थे; कहीं नवीन समाचारको लेकर आनन्द या शोक प्रगट कर रहे थे, कहीं

साहित्य-सिन्धुमें गोते लगा रहे थे, तो कहीं उपन्यास ही पढ़-सुन रहे थे; और कहीं सज्जीत मंडली जमी हुई थी। पुस्तकालयकी गाड़ीके बाद भोजनालय है। यात्रियोंको घरकी तरह यहाँ बना-बनाया भोजन मिलता है। भोजनका समय यात्रामें भी वहाँ है। घण्टा बजते ही लोग तैयार होकर बेंचों पर बैठ जाते हैं। भोजनालयमें लकड़ाके तख्तेपर भोजनकी सामग्रियाँ परोसी बिजलीके द्वारा सरकती हुई वहाँ पहुँच जाती हैं। भोजन खानेके बाद सब तख्ते बिजली-द्वारा ही लौटा लिये जाते हैं। पानी पीने तथा नहानेके नल जगह-जगह लगे हुए हैं। पायखानोंका प्रबन्ध गाड़ीके अन्तमें है। ये भी बड़े साफ हैं; किन्तु पहलेकी रेलोंकी तरह जहाँ-तहाँ पायखाना गिर नहीं पड़ता, उसके जगह होनेका स्थान है और खास स्टेशनोंपर पायखानोंके नलोंमें गिरा दिया जाता है। शांभक तो जल-देवता हैं ही।

भोजनालयके कमरेको पारकर, हमलोग आगे चले। कितनेही लोग बैठनेका अग्रह करते थे किन्तु मैं यह कह देता था कि जरा आपके युगकी गाड़ी तो अच्छी तरह देख लूँ। आगे चलकर एक गाड़ी बीमारोंकी थी। इसमें पाँच-छः बीमार बड़े आराममें निटायें गये थे। उनकी सेवामें दशमयी दाइयाँ तत्पर थीं। कोई किसानका पुस्तक पढ़कर सुना रही था; कोई बात-चातसे मन-बहलाव करती था। पायकी मेजपर गम रखनेवाले बर्तनोंमें दूध, और निकट ही सेब, अंगूर आदि ताजे-ताजे फल अच्छी तरह सजाकर रखे हुए थे। इन रोगियोंमेंसे दो तिब्बतसे आ रहे थे। चिर-रोगी हानेसे उनकी विशेष चिकित्साके लिए तक्षशिला ले जाया जा रहा था। तीन और रोगी नेपालगणके भिन्न-भिन्न स्थानोंके थे। उन्हें वैद्योंने समुद्र-यात्राकी सम्मति दी थी। चिकित्सा और सुश्रूषाका समुचित प्रबन्ध होनेसे रोगीकी आधी पीड़ा तो ऐसे ही भूल जाती है। भला यह आराम पहले जब बड़े-बड़े धनिकोंके लिए भी दुर्लभ था, तो सामान्य जनोको बात ही क्या !

सब गाड़ियोंकी एक बार सँवर करके हमलोग एक स्थानपर आकर बैठे। उस समय मुझे ख्याल आया कि एक यह समय है और एक वह भी समय था जब संसारमें सबसे ऊँची मिहनत करनेवालेको ही सबसे अधिक दुःख था। बेचारे परिश्रमी किसान-मजदूर रेलमें भी जब चढ़ते, तो उनके लिए

खड़े हानेके लिए पर्याप्त स्थान न था। लोग एक-पर-एक मेड़ोंकी तरह जेठकी कूड़ा गर्मीमें भी कस दिये जाते थे। उस भीड़में कहीं बच्चा दबना रहता था कहीं श्रांत। कुछ उग्र करनेपर कहा जाता—इतनी भीड़में जाते क्यों हो, दूसरी गाड़ीमें क्यों नहीं जात ? किन्तु दूसरी गाड़ी आने तक तो किसानोंका मुकदमा बगड़ता था किसानोंका लगन बाँतती थी, किसानोंका बन्धु मरता था और किसानोंका खर्चा खतम होता था। और यह सब सह भी लें, तब भी कौन जानता है कि अगली गाड़ी खाली आयेगा, जिसमें टाँग-पसारे साते जायँगे। यह बैठने-सोनेका आराम, यह पढ़ने-लिखनेका सुभाता, यह खाने पीनेकी बेफका पहले कहाँ नसीब था ? पैसेवालोंकी पाकेट भी तो चलते-चलते गायब हो जाती थी।

हमारे पासहीम एक मध्यमवयस्क महिला बैठी हुई थीं। पूछनेपर पता लगा, आप आन्ध्र-विश्वविद्यालयकी आचार्या हैं। आज छः मासके बाद एक बड़ा यात्रासे लौटी जा रही हैं। आपकी यात्रा समुद्र, आकाश, पृथ्वी तीनों द्वारा हुई है। आप मद्राससे जहाजमें सवार हुईं; वहाँसे लंकामें दो-चार दिन प्रसन्न-प्रसन्न स्थानोंको देखती हुई जावा और बाली-दोपोंको गईं; फिर आस्ट्रेलिया। मैंने उनसे पूछा, आस्ट्रेलियामें क्या केवल गोरे लोग बसते हैं ? उन्होंने कहा, अब कहीं केवल गोरे, या काले, या पीले, या लाल नहीं बसत। सभी जगह सब रंगके लोग बसते हैं। मुझे आपका परिचय है। मैंने 'ल्हासा'में आपका चित्र और वृत्तान्त पढ़ा था। आप बीसवीं शताब्दीकी बात करते हैं। उस समय भारतमें ऊँच-नीच भावोंसे भरी नाना जातियाँ थीं; वैसे ही, दूसरे देशोंमें भी स्वाथपूर्ण वण-भेद, वर्ग-भेद थे। अब उनका कहाँ पता है ? हमारे आन्ध्र प्रान्त, तामिल प्रान्त, अथवा केरल प्रान्तमें यदि पहलेकी बातें स्मरण करके पूछें—क्या अब भी तुम्हारे यहाँ 'परिया' हैं, अब भी तुम्हारे यहाँ 'थीया' हैं, अब भी वह 'अय्यर और 'नम्बूदरीपाद' हैं, जो 'थीयो'की छुआसे अपवित्र हो जाते थे ?

मैं—“तो क्या, आपके कहनेका मतलब यह ही नहीं कि अब यह बातें बिलकुल नष्ट हो गईं ?”

महिला—“नष्ट ही नहीं हो गईं, कबकी भूल भी गईं। अब वह बातें

इतिहासके जिज्ञासुओंके लिए पुस्तकोंमें रह गई है। अब आस्ट्रेलिया या किसी भी स्थानमें पुराना पक्षपात और दुराग्रह नहीं। सब जगह आगत अतिथिकी वैसी ही पूजा होती है, जैसी अपने देशमें।”

मैं—‘मैं आपको प्रायः हिन्दी अथवा ‘सुद्ध भारती’ भाषा बोलते देख रहा हूँ। आपके देशकी ‘इकड़े-तिकड़े’ वाली बोली तो इधरवालोंके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती थी। आपने यह भाषा कब, और कहाँ सीखी?’

महिला—“प्रत्येक भारतीयकी ‘भारती’ तो मातृ-भाषा है। मेरी भी वह मातृ-भाषा ही है।”

मैं—“तब क्या आन्ध्रवालोंकी ‘तेलगू’ मातृ-भाषा नहीं?”

महिला—‘यह नहीं कह सकती हूँ। तेलगू भी लोग जानते हैं। बहुत दिनों तक अर्थात् २०६६ ई० तक, उनका आग्रह था कि हमें तेलगूको मातृ-भाषा तथा सर्व व्यवहारोपयोगी बनाये रखना चाहिये। किन्तु सारे भारतकी उपयोगी राष्ट्रीय भाषा होनेसे ‘भारती’ तो पढ़नी ही पड़ती थी, नहीं तो मनुष्यको कूप-मूँडूक बन जाना पड़ता। लोगोंने इस दोहरे परिभ्रमके लिए सबका बहुत-सा समय बरबाद करना उचित न समझा। उधर जब सार्वभौम गण होनेसे पूर्व ही एशियाखालोंने एक राष्ट्र बनाकर सार्वभौमीको अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाई, तो लोगोपर और प्रभाव पड़ा। अब ‘भारती’के साथ सार्वभौमीका भी जानना प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य हो गया। इसलिए ‘भारती’ ही मातृ-भाषा हो गई। यह केवल वही, ‘तामिल’, ‘केरल’, ‘कर्नाटक’में भी।”

मैं—“तो क्या आपने अपनी प्राचीन मातृ-भाषाओंकी चिन्ताओंपर ‘भारती’का महल उठाया है?”

महिला—“भाषा तो अस्थिर होती है। कौन भाषा है, जो दो सौ वर्ष तक एक रूपमें रह गई? हमारे पड़ोसमें ही ‘तमिलनाडु’ है। वहाँ ८-१० शताब्दियोंसे भी पूर्व जो भाषा थी, वह आपकी बीसवीं शताब्दीका ‘तमिल’से बृहत् ‘शान्तमिल’ कही जाती थी। उस समयके लोगोंके बिना पूरा भ्रम और समय लगाये उसका समझना असम्भव था।”

मैं—“तो आपकी रायमें भाषा और उसके साहित्यकी रक्षाका प्रयत्न ही निरर्थक है !”

महिला—“नहीं, मैं यह नहीं कहती। भाषाकी भी यथावसर रक्षा होनी चाहिये। साहित्यको तो अक्षुण्ण रखना चाहिये। किन्तु केवल भाषाकी रक्षाके लिए मनुष्य जातिकी एकताका बलिदान नहीं किया जा सकता। उसको रक्षाका काम जातिके कुछ आदमी कर सकते हैं। जिनकी भाषा-विज्ञान, इतिहास अथवा विशेष साहित्यकी ओर स्वाभाविक रुचि हो; यह भार उनके ऊपर निश्चिन्ततापूर्वक छोड़ देना चाहिये। सैसारका उपकार अनेक भाषाओंको सुदृढ़ करनेमें नहीं है, बल्कि सबसे आधिपत्यको उठाकर एकके स्वीकार करनेमें है। जैसे अन्य हितके कामोंमें मनुष्योंका पूर्वका पक्षपात बाधक होता था, वैसे ही यह भी एक प्राचीन निरर्थक पक्षपात था। यह भ्रमपूर्ण पक्षपात ही तो था, जो भारत बीसवीं शताब्दीमें नाना जातियोंमें विभक्त हो आपसीमें कट-मर रहा था। यह वही अन्धविश्वास था, जिसके कारण इंग्लैण्ड ‘दशमलव’ तथा ‘मात्रिक’ मापोंको फ्रांसका समझ कर, उसे अधिक उपयोगी और शुद्ध होने पर भी उन्हें कबूल न करता था। अब उस पक्षपातका संसारमें स्थान नहीं। अब संसारके सभी स्थानोंमें अर्थ-शास्त्रीय दृष्टि एक है। एक समय था कि भारतमें ही हिन्दी-उर्दूका झगड़ा था। समय आया कि वह झगड़ा मिट गया और दोनोंकी प्रतिनिधि ‘भारती’ भाषा भारतकी राष्ट्रीय भाषा हुई। फिर बड़ी मुश्किलसे सारे प्रान्तोंने देवनागरी वर्णमालाको प्रान्तीय भाषाओंकी वर्णमाला होना स्वीकार किया। अन्तमें तो अब सबने ‘भारती’ भाषाको ही मातृ-भाषा बना लिया। पुरानी भाषा अब भी पढ़ी जाती है। अब भी उसके साहित्यका रस लिया जाता है किन्तु उस संकीर्णताके साथ नहीं। सभी तो साहित्य-सेवी नहीं होते। जिनकी रुचि होती है, उनके पढ़नेका पूर्ण प्रबन्ध है। इस समय कितनी आसानी है ! मुझे साबंभौमी भाषाके द्वारा आस्ट्रेलिया, सम्पूर्ण एशियामें घर-सा ही मालूम पड़ा।

मैंने उक्त विदुषीके इन भावोंकी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। पूछने पर मालूम हुआ कि आपका नाम गार्गी है। मैंने यात्राके बारेमें पूछा तो पता लगा कि आप आस्ट्रेलियामें कुछ दिन रहकर ‘बोर्नियो’ हाती हुई ‘निप्पोन’

(जापान) गई । मैंने पूछा कि आस्ट्रेलियामें आबादी कितनी है । उन्होंने बताया, १६ करोड़ । चीन, भारतवर्ष और जापानकी घनी आबादावा ने देशोंके बहुतमे लाग वहाँ जा-जाकर बस गये हैं । पहलेके इंग्लैण्ड, आर देशोंके बसे हुए भी लोग हैं, किन्तु उनकी संख्या इतनी आबादीमें बहुत कम है । यह भेद भी ऐतिहासिकोंके महन्वका है । वहाँवालोंके लिए तो कोई भेद ही नहीं । मैंने पूछा 'फूजीयामा'को भी निष्पानमें देखा ? वहाँ १९१३ के चन्द घंटोंके भूकम्पने सात लाखकी बलि ले ली थी ? उत्तरमें उन्होंने 'हाँ' कहा । पछे वह नानकिन चला आई । फिर पेइपिंगमे मंचूरियाके कई स्थानोंमें घूमती साइबेरिया पहुँची । वहाँ से उत्तरी ध्रुवका दर्शन करता हुई साइबेरिया, मंगोलिया, और तिब्बत होता अब अपने विद्यालयका लौट रहा हैं । ज्यातिष-शास्त्र और भूगोलसे आपका बड़ा प्रेम है । इन्हीं दोनोंके सम्बन्धमें आपने यह बड़ी यात्रा का है । हाँ साथमें आपके दो और अध्यापक रहे, जिनमें एक 'विश्वभारती'के प्राफेसर हक और दूसरे अलीगढ़ विश्वविद्यालयके प्रोफेसर विश्वनाथ । वह दोनों सजन भी सामनेकी बेंचों पर बैठे थे । पहले उन्होंने भी अभिवादन किया था, किन्तु मुझे कुछ मालूम न हुआ था । बात यह है, वल्ल तो अब सबके एकसे होते हैं, जब तक विशेष वार्तालाप न हो, अथवा कोई परिचय न कराये, तब तक कैसे जाना जा सकता है कि कौन क्या है ?

आज-कलके जेल भी दूसरे ही प्रकारके हैं । बीसवीं शताब्दीके जेलोंसे इनका मुकाबिला क्या ? क्या यहाँके कैदियोंकी जरा-जरा-सी बातमें गाली और जूतोसे पूजा होती है ? ऐसी बात सुनकर तो आजके लोग पहलोंकी बुद्धिपर अफसोस करेंगे । आजकल तो कहा जाता है, अपराध भी मनुष्य किसी मानसिक रोगके कारण करता है; उसकी चिकित्सा होनी चाहिये—उसको शिक्षा देकर सुधरनेका अवसर देना चाहिये । भला वह लोग क्या शिक्षा देंगे, जिन्हें कैदी अपने ही जैसा चोर-डाकू जानते हैं ? इसीलिए आज-कलके जेलर होते हैं अत्यन्त नम्र, मानस-शास्त्र और आयुर्वेदके पारंगत विद्वान् । कितने ही अपराधियोंके लिये शल्य-चिकित्साकी भी आवश्यकता पड़ जाती है । रोगीको जिस प्रकार सावधानी और शान्तिसे रखा जाता है, वैसे ही अपराधीको । दंड केवल इतना ही समझिये कि उसकी पूर्ववत् स्वच्छन्दता

नहीं रहती। भोजन वैसा ही सुन्दर वस्त्र वैसा ही बढ़िया, मकान-शिजा आदिका प्रबन्ध भी अत्युत्कृष्ट। वहाँ ऐसे शिक्षक-जेलरकी शिक्षामें रहकर बड़ा सुधर जाता है। पीछे फिर अपने कार्य पर जाता है। जैसे आजकल रोगियोंकी संख्या अत्यन्त अल्प है, अपराधियोंकी संख्या तो उसमें भी अल्प है। बात यह है कि धनी-गरीब तो कोई है नहीं। जो वस्तु, भोजन, वस्त्र और गृह-सामग्री एकके पास है वही दूसरेके पास भी है। जब पर्याप्त तथा वैसा ही सुन्दर कोंट-बमीज मेरे पास हों, जैसे कि दूसरोंके पास, तो मैं क्यों चुराऊँगा ? पेट भर खानेके लिए सभी स्वादिष्ट पदार्थ मुझे, मेरी स्त्री मेरी लड़की और मेरे लड़कोंको बिना चोरी या दगाबाज के मिलने हैं, तो मैं वैसा क्यों करने जाऊँगा ? कोई चीज चुराकर बेचूँ, तो पहले दुनियामें न खरादार ही है; न रुपया। रुपया लेकर भी क्या करना है ? बुढ़ापेके लिए ? सो तो राष्ट्रकी ओरसे वृद्धोंके लिए परिचारक तथा सब प्रकारके आरामका वैसा ही प्रबन्ध है, जैसा रोगियोंके लिए। फिर रुपयोंकी आवश्यकता ? बेटों-बेटियोंके लिए ? यह भी नहीं। तीन वर्ष तक राजकुमारोंका तरह उनके पाले जानेका वर्णन हो चुका है। तीनसे बास वर्ष तक भी उसी प्रकारके आरामके साथ उत्तम-से-उत्तम शिक्षासे भूषित होनेका प्रबन्ध राष्ट्रकी आरम्भ है ही। शिक्षा समाप्तके बाद योग्य विदुषी कन्यासे इच्छानुसार व्याह, बिना बाग़त, जेवर, दहेज आदिके भगड़ोंके हो जाता है। तब रुपयेसे मतलब !

इस प्रकार चोरी तो आजकलके शासनमें असम्भव है। जमींदारी, काश्तकारी, माल मिल्कियत किसीको है ही नहीं, सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। फिर दीवानी-अदालतोंका खात्मा ही है, साथ ही जमीनके दखल-बदखल आदिके भगड़े, मार-गट, खून खराबीका होना भी बन्द है। आवकारीका कानून, फैक्टरीका कानून, सिक्कोंका कानून, स्टाम्पका कानून, दायियारोंका कानून इत्यादि हजारों कानूनोंकी जड़े ही कट गई हैं। इनमेंसे बहुत भी चाँजोंका संसारसे ही नाम उठ चुका है। अब अपराध यह हो सकता है कि बातके लिए कहीं तकरार होकर भगड़ा हो जाय।

स्त्री-पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों का पति-पत्नीबंधन प्रेमका है पति का पत्नी पर उतना ही अधिकार है, जितनी कि पत्नी का पति पर। वह पुरुष होनेसे

उसपर कोई विशेष अधिकार नहीं रखता। ब्याह भी दोनोंके युवा होनेपर, सुशिक्षित तथा सुचतुर होनेपर, दोनोंकी पूर्ण स्वीकृतिपर, बिना किसी दबाव और बिना किसी धनादिके प्रलोभनके होता है। ऐसी अवस्थामें दोनोंका प्रेम स्थायी होना ही स्वाभाविक है। किन्तु यदि निर्वाह न हो सके—किसी कारणसे अथवा पहले जल्दी करनेसे भूल हुई—तो अब भी दोनों स्वतंत्र हैं। दोनोंके रास्ते खुले हैं। दोनों ब्याह-सम्बन्ध-विच्छेद करके अपना-अपना रास्ता ले सकते हैं। उनके वैसा करनेसे समाजकी ओरसे कोई बाधा नहीं।

इतना होनेपर भी यदि बदचलनीमें कहीं झगड़ा, फसाद या मार-पीटका मौका आ जाय, तो इससे भी जेलके लिए कैदी मिलते हैं। अनिवार्य तथा बहुत ताकीद करने पर राष्ट्रीय नियमोंको न पालन करनेपर भी मनुष्य जेल भेजा जा सकता है। संक्षेपमें अपराधी होनेके यही तीन-चार कारण हैं।

इनके देखने तथा बीसवीं शताब्दीके अपराधोंसे मिलानेहीसे ज्ञात होगा कि कैदी कितने रह जायेंगे। मालूम हुआ, नेपाल भरमें एक ही जेल है, जिसमें कुल ५० कैदी हैं। बिहारमें भी एक ही जेल है, जिसके कैदियोंकी संख्या कभी सौसे ज्यादा नहीं हुई। ऐसी बात भारतहीके प्रांतोंमें नहीं, दूसरे देशोंमें भी है। पुराने जमानेमें चोरीके लिए बड़े-बड़े दंड सुकरार किये गये थे, जिसका कि अस्तित्व ही आर्थिक-प्रणालीके दोष पर निर्भर था। दूसरोंके परिभ्रमकी कमाईको कानूनकी भूल-भुलैयामें डाल कर हड़प जानेवाले तो महाजन महापुरुष; और रात-दिन खून-ससीनेको एक कर अपने और अपनी सन्तानका पेट न भरनेसे लाचार होकर, उसी पराये मालके हड़पनेवालेकी लूटकी ढ़ेरोसे अपनी प्राण-रक्षा भरके लिए थोड़ा ले लेना बहुत भारी अपराध समझा जाता था। बात यह है कि उस समयकी धारणा ही दूसरी थी। दो-चार आदमियोंको लेकर दूसरेका धन हरनेवाले चोर, सो-पचास लेकर दिन दहाड़े लूटनेवाले डाकू, दस हजार लेकर दूसरोंकी जन्मभूमि छीन लेनेवाले विजयी—दिग्विजयी कहलाते थे। सिकन्दर और एक डाकूमें तात्त्विक दृष्टिसे तो कोई भेद नहीं; केवल परिमाणका भेद था। परिमाण के भेदसे तो कुछ और ही होना चाहिये

था, क्योंकि थोड़े पापावाला थोड़ा पापी, बड़े पापावाला बड़ा पापी होता है। इस तरह तो भिकन्दर आदि बड़े चोरोंकी बड़ी निन्दा होनी चाहिये थी, किन्तु वह दुनिया ही दूसरी थी। चोर कौन कहे, उलटे लोग उन्हें प्रतापी, महा-प्रतापी, दिग्विजयी, विश्वविजयी कहने लगे। सारांश यह कि उस समयके अनेक अपराध कृत्रिम तथा बलात्कारसे कराये जाते थे।

हमारी गाड़ी दनादन चली जाती थी। कहीं चढ़ाई और कहीं उतराई, वो कहीं पहाड़की सुरंगमें होकर रास्ता था। अभी आस-पासके पहाड़ों पर अनेक प्रकारके फलोंका ही बागीचा था। आखिर कुछ घंटों चलनेके बाद हमारी गाड़ीने पहाड़ छोड़ा। अब घने जंगलोंका रास्ता था। पुराने-पुराने शालक ऊँचे और मोटे वृक्ष थे। बीच-बीचमें और भी बड़े-बड़े दरखत थे। मुझे मालूम था ही कि इस तराईमें बाघ और हाथी कई तरहके जानवर होते थे। मेने उनके बारेमें पूछा। मुझे बतलाया गया कि इन जंगलोंमें उन हिमक जावका नाम नहीं। सारे जाव मार डाल गये हैं। उनके मूलका रक्षा प्राणि-संग्रहालयोंमेंकी जाती है; जो दो-चार नर और मादा रखे गये हैं, उनके खानेके लिए नकली मांसके टुकड़े दिये जाते हैं जिन्हें वह पहिचान नहीं सकते। हाथियोंका भी फँसा-फसाकर जंगल खाली कर दिया गया है। उनका भी जाति-उन्मूलन क्रियासे प्रायः विनाश-सा ही कर दिया गया है। अब केवल प्रदर्शनी तथा विद्याके उपयोगके लिए कुछ रखे गये हैं। अब यह जंगल निष्कटक हो गया है।

अभी दो-तीन कांस गये होंगे कि एक स्टेशन आया। यहाँके माल-गोदाम बहुत भारी तथा यहाँसे दो लाइनें जंगलोंकी ओर गई थी। उनके बारेमें पूछनेपर मालूम हुआ कि ये लाइनें दूर तक गई हैं। यहाँसे पूर्व, थोड़ी दूरपर, एक बड़ा भारी ग्राम है, जिसका नाम कागज-ग्राम है; जिसमें दस हजार लोग बसते हैं। बस्तियोंका ढंग दूसरे ग्रामोंका सा ही है। वहाँके निवासियों को भी किसी प्रकारकी सुख-सामग्रीसे वंचित होना नहीं पड़ता। कागज-ग्राममें कागजका बड़ा भारी कारखाना है। लकड़ियोंके काटने, टुकड़े करने, उठाकर कारखाने तक लाने, चीरने-फाड़ने, पकाने-गलाने, 'पल्प' तैयार करने, कागज बनाने, काटने, तह लगाने, आदि सभी कामोंके लिए बिजली-द्वारा

चलाई जानेवाली मशीनोंका प्रयोग किया जाता है। यहाँसे कागज तैयार होकर छापाखानों में जाते हैं। रद्दी क गज, मड़े-गले कपड़ों आदिसे भरे रेन के ढब्बे मैंने स्टेशनपर खड़े देखे जिनके बारेमें मालूम हुआ कि यह सब कागज बनानेके लिए जा रहे हैं। पता लगा कि कागज बनानेके सभी उपकरण बाँस, घास, लकड़ी आदि यहाँ प्रचुर पारमाण्यमें हैं। अतः यहाँ इसका कारखाना खोला गया है। वहाँसे आगे लकड़ीके भी कारखानोंवाले ग्राम हैं। जिनमें मशीनों-द्वारा लकड़ीके तख्तोंको चीरकर चौखट, किवाड़, चौकी, तिपाई आदि सभी काठके सामान बनाये जाते हैं।

अब हमारी गाड़ी और आगे चली। मैंने मन-ही-मन विचार किया, अब थोड़ी देरमें जङ्गलसे पार हो जायँगे। किन्तु इतनी देर होने पर भी देखा, अभी तक गाड़ी जङ्गलही में जा रही है। अब जंगलमें ज्यादा वृक्ष 'सागौन'के थे। मैंने पूछा, ऐसी लकड़ियाँ तो इधर नहीं देखा थीं। विश्वामित्रने कहा — यह लकड़ियाँ ही नहीं, पहले यहाँ खेत और गाँव बसे थे। यह सौ वर्षमें कुछ ऊपरकी बात है जब यहाँ सागौनका जंगल लगाया गया, अब तो इनसे लकड़ीकी चीजें बनानेवाले यहाँ कई ग्राम हैं। इस तराईके लकड़ा और कागजके कारखानोंके बने लकड़ा और कागजसे आगे भारत-वर्षका काम चलता है। इस जंगलसे वृष्टि होने और आगेके पहाड़ोंमें तरावट आनेमें भी मदद पहुँचा है। तराईके सागौन और शालकी लकड़ा बड़ा दृढ़ और सुन्दर होता है।

गाड़ी बाँचमें दो-दो तीन-तीन मिनट रुकती दनादन चली जा रही है। जहाँ-तहाँ स्त्री पुरुष मेरे आनेका समाचार सुनकर देखनेके लिए स्टेशनपर आये हुए हैं। उतरनेका तो कोई काम नहीं खिड़कीपर बैठा हूँ हुआ हूँ, सफेद बड़ी-बड़ी दाढ़ी खुद ही परिचय करा देती है। गाड़ी रुकते समय थोड़ा देरके लिए हमारी बात कट जाता है; नहीं तो बराबर गाड़ीकी तरफ वह भी चलता ही है। अब हम लोग जंगलोंके बाहर चले आये। अब सड़कके दोनों ओर हरी-हरी घासोंका मैदान है। मैंने पूछा—क्या जेठ मासमें भी अभी घासें हरी हैं। क्या तुम लोगोंने और चीजोंकी भाँति बादलोंका भी तो अपने काबूमें नहीं कर लिया? अध्यापक हकने कहा, हाँ, अब वृष्टि कराना

भी हमारे हाथमें हो गया है; आवश्यकता पड़ने पर विज्ञान-द्वारा वृष्टि कराई जाती है। किन्तु, यहाँ तो समय-समय पर हरी घासोंको जगह-जगह फैले हुए नलों में जलको खोलकर मीन दिया जाता है। वृष्टि ऊँचे, सूखे पर्वतोंको हरा करने के लिए कराई जाता है। नहीं देख रहे हैं, भूमि कैसी समतल, पानाँके तलब बराबर है ? मैंने पूछा, बरसातका पाना भूमिको काट-काटकर ऊमड़-खावड़ नहीं बना देता ? इसपर उन्होंने कहा, पानाँका चलती तो वह ऐसा करनेमें क्या चूकता, किन्तु अब उसका रास्ता निर्दिष्ट है। कितना ही पानी बरसे, उन पक्के रास्तो अथवा नलों-द्वारा बड़े नालोंमें ढाँकर नदीमें पहुँचा दिया जाता है। रेलकी सड़कको नदी देख रहे हैं, कदम-कदमपर लोहेके पुल देखे हुए हैं। जलक रास्तेपर कहीं ज़बदस्तो नहीं है।

अब गाँवोंके भुण्ड चारों ओर बिखरे हुये बड़े सुन्दर दिखाई देने लगे। अब तक तो सड़कके किनार तार नहीं गड़े थे, किन्तु अब तो तार भी बराबर गड़े हुए थे, जिनमें गायें चलती गाड़ीके आगे न आ जायें। बहुत ही सुन्दर और बड़ी-बड़ी गायें थीं। जनकी सूत देखते रहनेको ताबयत चाहती थी। गायोंसे बछड़े अलग करके दूर चराये जा रहे थे। हरी-हरी घासोंको बड़े प्रेमसे गायें चर रही थीं। मैंने कहा, अब दाना-खलीकी इन्हें क्या आवश्यकता ? इसपर अध्यापक विश्वनाथने कहा—तब भी खली, मक्काका दाना, कण, और चोकर इन्हे दिया जाता है। सायंकालको थानपर जाते ही इनको यह स्वादिष्ट व्यारु कराया जाता है। मैंने जगह जगह देखा कि लम्बे-लम्बे पक्के होजोंमें साफ पानी लबालब भरा हुआ है। पानी इनमें बराबर आता और निकलता रहता है। यहाँ गायें आकर पानी पाती हैं; जगह-जगह हरे-हरे वृत्तों की छाया है। कुछ गायें वहाँ भा बैठी जुगाली कर रही हैं। गायोंके भुंडमें कई भौमकाय साँड़ भा दिखाई दिये। इनमें कुछ चर रहे हैं, और कुछ 'अब-काँ' कर रहे हैं। साँड़ोंके देखते ही मुझे एक बात स्मरण आगई और मैंने अध्यापक हकसे पूछा, आप लोग खेत तो बिजलाँके ढलोंसे जोतते हैं; और गाड़ी भाँ बिजनीहोसे चलाते हैं; बैलोंके खानेवाले भी नहीं। साँड़ रखने को सौपर दो-तान बैलोंकी आवश्यकता पड़ती होगी, फिर इतने बछड़े, जो पैदा होते होंगे, किस काममें आते हैं ?

हक—कितने बछड़े ! हमलोग पैदा ही इतने बछड़े होने देते हैं, जितने बाड़ोंकी आवश्यकता है। बाकी बछियाँ हाँ पैदा कराई जाती हैं।

मैं—तो क्या अब आपने यह विद्या भी पा ली है ?

हक—हाँ, जो-जो आवश्यकता और कठिनाई मार्गमें आती गई, हमने परिश्रम किया और उसका हल भी मिल गया।

मैंने हँसते हुए कहा—भाड़े ! तुमने सब बातोंमें कमाल किया। सब कठिनाइयोंको सहल और असम्भवोंको सम्भव बना दिया। तुम शायद एक भी असम्भव बात न जानते होंगे ? यद्वा गायें हैं, जिनको लेकर २०वीं और और उससे पूर्व शताब्दियोंके हिन्दू-मुसलमान प्रलय तक एक दूसरेके खूनके प्यासे बन बैठे थे।

हक—वे हमारे पूर्वज चले गये, उनके लिए अब कुछ कहना तो ठीक नहीं, तो भी यह निरा अज्ञान था। दोनों अपना हमेशाकी भलाईकी ओर नहीं देखते थे। सोना लुप्त जा रहा था और कोयलोंपर लट्टमलट्ट करते थे। बचमुच आज-कल जब कभी हमलोग पुरानी बातोंको पढ़ते हैं, ताँ हँसी आये बिना नहीं रहती।

अब मालूम हुआ कि अगला स्टेशन गो-ग्राम है। मैंने गो-ग्राम के विषयमें बहुत कुछ दर्याफ्त किया, जिसका सारांश यह है—इस ग्राममें पाँच हजार आदमियोंकी बस्ती है। असलमें आदमियोंकी बस्तीको तो गो-ग्राम न कहकर गोपाल-ग्राम कहना अच्छा हागा; क्योंकि गाँवमें तो एक भी गाय नहीं रहती। गाँव स्टेशनसे लगा हुआ है। गायोंका गोष्ठ वहाँसे एक मीलकी दूरीपर है। चरनेका मैदान तो कई कोसमें है। इस मैदानमें जहाँ-तहाँ घासके ताड़ बराबर ऊँचे ढेर लगे हुए हैं। गाय-बच्चों मिलकर सब एक लाख तक पहुँच जाते हैं। इनमेंसे प्रायः आधी तो दूध देनेवाली गायें हो जाती हैं। भला, इतनी गायोंको कौन दुह सकता है ! किन्तु विज्ञानने जैम और कठिनाइयोंको सरल कर दिया वैसे ही इसे भी सरल कर दिया है। गायें पँतासे खड़ी रहती हैं; उनके बीचसे मोटे-मोटे नल गये रहते हैं; और इन नलोंसे निकले छोटें नल गायोंके नाचे जाते हैं; जिनमें लगी रबड़की नलियाँ स्तनोंमें

लगा दी जाती है। बस मशीन-द्वारा सभी दूध दूहकर बड़े नलों-द्वारा, रेलकी लाइनपर खड़े दूधकी गाड़ियोंके डब्बे में गिरता है। डब्बे भरने जाते हैं और जिन-जिन गाँवोंमें उनका खर्च है, वहाँ रवाना होते जाते हैं। यहाँ दूध बिना हवा देखे ही, डब्बोंमें बन्द हो जाता है। वहाँ भी उसे हवाका सान्नात्कार नहीं होता। बड़े बतनसे छोटे बर्तनोंमें भाँ ऐमे ही नलोंके द्वारा उमे ले जाया जाता है। खचवाले गाँवोंमें जाकर भी बन्द ही उसको विज्ञान की आँच से गर्म कर दिया जाता है। पानेके वक्त ही वह दूध जरा देरके लिए हवाका मुख देखता है। गो-ग्राममें दूध गर्म करने आदिका कोई बखेड़ा नहीं। यहाँवालोंका काम है गौओंकी हिफाजत करना, उनका अच्छी सन्तान पैदा करना, दूध निकालना, स्थान-स्थानपर आवश्यकतानुसार भेजना और बम। ब्याई, बिन ब्याई, बच्चे, सबके लिए चरने और रहनेके पृथक् पृथक् स्थान हैं, जहाँ से बिना मर्जीके अपने आप वह इधर-उधर नहीं आ-जा सकते। गाय, भैंस, भेड़, बकराके गाँवोंमें कुछ घोंड़े भी पाले जाते हैं। चरवाहे घाड़ोंपर चढ़कर इच्छानुसार अपने गल्लेपर शासन करते हैं। बीमार, बुड़े पशुओंके आराम और चिकित्साका वैसा ही प्रबन्ध है, जैसा कि मनुष्योंके लिए। गाँवके लोग अपनी ड्यूटीके अनुसार आ-आकर काम करते हैं। गो-ग्राम खेतीवाले ग्रामोंको लाखों मन खाद देता है। यह खाद बराबर रेलोंपर लादकर पहुँचाई जाती है।

अगला स्टेशन भैंस-ग्रामका था। चरनेका वही मैदान आगे भी बहुत चला आया था। जैसी सुन्दर और विशाल गायें देखी थीं वैसा ही भैंसें भी दिखाई पड़ीं। इनके सामने हाँनी-हिसारकी बीसवीं शताब्दाकी भैंसें तुच्छ हैं। काली-काली देड़। इनके स्तन बोटलकी भाँति फलकते थे; जिनका देखनेहीसे मालूम होता है कि यदि एक मन नहीं, तो कुछ ही कम दूध देती होगी। भैंस-ग्रामके विषयमें मालूम हुआ कि यहाँ भी उतना भैंसें हैं, जितनी पिछले गो-ग्राममें गायें। हकका उत्तर सुनकर मैंने फिर न पूछा - साँड़से अधिक भैंसोंका कश होता है? भैंसोंको पानीमें बैठनेसे बड़ा प्रेम है; इसके लिए स्थान-स्थानपर चौड़े-चौड़े कुण्ड बने हुए हैं, जिनमें पानी आता और निकलता रहता है। खाने-पाने, रहने, दवाई-दर्पन सबका प्रबन्ध गा-ग्राम-सा ही

है। किन्तु भैंस-ग्राममें दस हजार आदमी बसते हैं, जिनके लिए काम भी विषय है। बात यह है कि गायोंका भीत भैंसोंका दूध नहीं भेजा जाता। भैंसोंका दूध बैद्यकी सम्प्रतिम कहीं थोड़ा बहुत भेजा जाता है। नहीं तो सब दूध मशीन द्वारा मथन करके दुहनेके बादहा, मक्खन निकाल लिया जाता है। यह मक्खन बर्फमें रक्षित गाड़ीके डब्बोंमें बन्द करके स्थान स्थानपर भेजा जाता है। आवश्यकताके अनुसार मक्खनसे घी बनता है।

“कन्तु; क्या मक्खन निकालकर हजारों मन दूधका अश्लिष्ट भाग रोज फेंक दिया जाता है?”

“नहीं, यहाँ बटनोका बड़ा भारी कारखाना है। दूधका सफेद घन भाग रासायनिक प्रक्रियासे पृथक् करके उनमें नाना रंग विरंगके बटन बनते हैं। बटन ही नहीं, दरवाजों, मशानों आदिके सफेद हैंडलोंके लिए भी इसका उपयोग होता है, जिसमें आदमीका हाथ छूनेमें काला न हो। एक और बिजलाने धूँएँका संसारसे विदा कर दिया तो दूसरा और इधर हमने हाथका काला होना भा बन्द कर दिया आज क्या फैक्टरीके आदमीका रंग काला होता है? आर्ट पेपरपर चिकनाई लानेके लिए भी इस सफेदी का प्रयोग होता है। अब हाथी-दाँत तो पैदा नहीं होता किन्तु यह निस्सार दूध उसके कामके साथ और बहुत-से काम भी कर डालता है।”

घासोंके टाल तो मैंने जगह-जगह देखे थे, किन्तु पयाल, भूमाका गंज कहीं न मिला। पूछनेपर मालूम हुआ कि धान और गेहूँ आदिके डंटे भी यद्यपि कल-द्वारा काटे जाते हैं, किन्तु साथ ही बाली थोड़े डंटेके साथ काटकर एक ओर रखा जाता है; और डंठलका बोझा अलग बँधता जाता है। यह डंठल और पयाल पीछे गाँठें बाँध-बाँधकर कागजके कारखानोंमें भेज दिये जाते हैं, जहाँ उनसे कागज बनाया जाता है। गाय-भैंसोंके खानेके लिए हरी और सूखी घास ही काफी होती है।

अब साढ़े तानके तोपकी आवाज पासके किसी गाँवसे आई। हमारी गाड़ीवाले सभी लोग तैचोंपर आकर बैठ गये। थोड़ी देरमें हँवोंमें छतके तारके सहारे तैयत हुआ हमारे जलपानका तख्ता सामने आ गया। इस वक्त भोजन कुछ और ही नियामत थी। एक छोटी तस्तीमें काली मिर्च लगाकर

बीमें तले, नैमकीन, हरी मटर तथा हरे चनेके दाने थे। दूधमें मिला हुआ एक एक गिलास गन्नेका कच्चा रस अलग रक्खा हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ फल भी थे। मालूम हुआ आजकलके लो। पुगने गाँवोंकी इन नियामतोसे भी महरूम नहीं हैं। बताया गया कि ऐसे ही सभी मौमिमकी चीजें बच्चे-बूढ़ों, पुरुष स्त्रियोंके पास पहुँचा करती हैं। मक्काके दिनोंमें भुट्टे इसी तरह जलपानके समय पहुँच जाते यदि हम उस समय सफर करते। हमारे गाढ़ाके परिवारने जन्मपान किया। मेरे मनमें उस समय यह ख्याल आता था कि इसी युगके बागमें बासवीं शताब्दीके हिन्दू कहा करते थे, आगे घोर कलियुग आयेगा। पृथ्वी नरक हो जायगी। यह तो सभी दृश्य स्वर्गके मालूम होते हैं। शायद उस युगके स्वार्थियोंके लिए समस्त भूमंडल-वासियोंका इस प्रकार आनन्द भोगना नरक प्रतीत होता था।

हाथ-वाय धाकर, सामने खिड़कीसे देखा। निचले खेतोंमें कोसों तक चनोंकी हरियारा लहरा रही है। चनोंके सिवाय दूसरी कोई चीज ही नजर नहीं आती। पूछनेसे ज्ञात हुआ, अगला स्टेशन शालिग्राम है। वहाँ सिर्फ धान और चनोंकी खेती होती है। धानोंकी फसल कट जानेपर उन्हीं खेतोंमें चने बो दिये जाते हैं। पचास-पचास बीघोंका एक-एक क्यारी जिनके चारों ओर ऊँची भेंड़े थीं। बासमती, किंसुनभोग, कनकजीरा आदि उत्कृष्टतम धानोंका छाड़कर मांटे धानोंकी तो अब खेती ही एक तरहसे बन्द है। विद्यालयोंमें उनको मूल-रक्षा तथा परिचयके लिए थोड़ा बोया जाता है। बाकी खानेके लिए तो सब अच्छे-ही-अच्छे चावल हैं। यह शालिग्राम भी १० हजार आदिमियोंका ग्राम है। यहाँ खेती के अतिरिक्त चावल अलग करनेका भी कारखाना है। धान-कुटाईका काम भी बस मशीन हीसे। चावल तैयार होते जाते हैं, और स्थान स्थानपर गाड़ियोंमें भर-भरकर रवाना होते रहते हैं। चनोंकी दाल और बेसन बनाकर तथा साबित भी चालान किया जाता है। पयाल तो कागजके कारखानोंहीमें चला जाता है। हाँ, धानकी भूसी तथा और कूड़े-करकटको खड्डोंमें सड़ाकर, खाद बनाई जाती है। बाक़ी खाद गो-ग्राम, भैंस-ग्रामसे आती है। कितने ही पशुओंके ग्रामोंमें ढड्डी पीसनेके कारखाने हैं। मुझे पशुओंका, पहले बता दिया गया है, कोई धमड़ा नहीं

उतारता। उन्हें गाड़ दिया जाता है। पीछे सड़ी मिट्टी तो खादके स्थानपर भेज दी जाती है, और हड्डियाँ कलमें पीसकर चूर्ण कर दी जाती हैं। यहाँ उनसे बहुत-सी फास्फोरस भी निकाली जाती है, जिन्हें दियासलाई बनाने आदिके काममें लाया जाता है। यद्यपि सिग्रेट के बन्द हाने तथा आगके स्थानपर बिजलाके उपयोग होने पर दियासलाईयोका खर्च बहुत कम क्या, नहीं के बराबर है; तब भी एकाध कारखाने दियासलाईके रखे गये हैं।

शालिग्रामका खेलका मैदान स्टेशनके पास ही सड़कके किनारे था। देखा, सदस्यों स्त्री-पुरुष वहाँ जमा हुए हैं। 'फुटबाल' खेला जा रहा है। बड़े-बड़े जवान खेलमें लगे हुए हैं। आँह अभी एक गोल हुआ—सारी दर्शक-मंडलाने प्रसन्नता प्रकटकी। आगे इधर कबड्डी जमी हुई है। दूरी घासपर जैधिया और बनियाइन बंदिने खिलाड़ा खेल रहे हैं। स्थान सड़कसे लगा हुआ है, और माड़ा भा स्टेशनके पास आनेसे बहुत धीमा पड़ गई है; इसलिए इनके पुष्ट, सुन्दर और स्वस्थ शरीर खूब दिखलाई पड़ रहे हैं।

रेलोंकी सड़कोंके नीचेसे जगह-जगह नहरें जाती दीख पड़ती। विश्वा-मित्रने कहा—अब गण्डक, गंगा आदि नदियोंकी धारा उतनी मोटी नहीं मिलेगी, जितनी कि पहले थी। सारे देशमें नहरोंका जाल बिछा हुआ है। इन नदियोंके पानीका बहुत-सा भाग तो ऊपरसे ऊपर ही नहरोंमें ले लिया जाता है। सभी ग्रामोंमें यद्यपि अपने कारखानोंकी भाफके लिए पानीकी आवश्यकता नहीं है किन्तु सब कुछ हरा-भरा और साफ रउनेके लिए उसकी बड़ी आवश्यकता है। खेती और बगीचेवाले गाँवोंका ताँ सींचनेकी भी हर वक्त आवश्यकता पड़ती रहती है। पानी और बिजली यही दोनों आजकलके संसारके प्राण हैं; बल्कि बिजला भी तो पानीहासे तैयारकी जाती है; इसलिए पानी आजकल सब कुछ है। इसका जैसा ही बड़ा भारी खर्च है, वैसा ही व्यर्थ व्यय भी न होने देनेकी ओर ध्यान है।

जंगल छोड़ते ही भूमि बराबर आ गई थी। अब पहाड़ भी दूर धँचले बादलोंकी भाँति दाँख पड़ते थे। चारों ओर मैदान-ही-मैदान था। बस्तीके पास ही वृक्ष थे प्रन्थया वृक्षोंका कहीं नाम न था। खेतोंमें खाद ले जाने तथा अनाज ढोनेके लिए छोटी-छोटी गाड़ियोंकी पतली-पतली लाँहेके कड़ियाँ

दिखलाई पड़ती थीं। चनोमें यद्यपि फल लग गये थे, किन्तु अभी पके न थे—वह बिल्कुल हरे-हरे दिखलाई पड़ते थे, तो भी कहीं रखवालोंकी भोप-डियाँ न दिखाई देती थीं। शालिग्राम स्टेशनसे कोसों आगे तक चनोके खेत चले आये थे।

अब भूमि ऊँची आई। चनोकी जग.पर बड़ी-बड़ी बालियोंवाले गेहूँके खेत हैं। सड़ककी दोनों तरफ जहाँ तक दृष्टि जाती है, हरे-हरे गेहूँ ही दिखलाई पड़ते हैं। हवाके झोकोसे धिलते हुए ये प्रशान्त सागरमें हल्की तरंगोंके समान मालूम देते हैं। गेहूँओंके स्वाद और आटेकी सफेदीके बारेमें क्या कहना है ! किन्तु मुझे गेहूँके दाने अभी देखनेको न मिले थे। मैंने विश्वामित्रसे पूछा कि क्या हमारे समयके पूसा नं० ३से भी यह दाने अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा—पूसा १०२ विद्यालयके संग्रहालयमें रखा हुआ है; वह भला इन गेहूँओंका क्या मुकाबिला कर सकता है ! खेतकी जुताई, कटाई, हवाई आदि सभीके बारेमें तो इकट्ठा ही सुन चुका था कि बिजलीकी कलों द्वारा होती है। एक-एक मोटर हलमें दस-दस फाज पाँतीमें लगे रहते हैं, जो एक-एक साथ गहरी भूमि खोदते चलते हैं। पीछेसे लगा पटेला (सिरावन) ढेलोंको फोड़ता और भूमिको बराबर करता जाता है। बानेका काम भी मशीनों ही द्वारा होता है। पकी खेतीका काटना, बाँधना, ढोना आदि सभी काम कलें ही करती हैं। अच्छी खाद और पर्याप्त जलकी अनुकूलतासे फसल वैसी चाहिये वैसी ही होती है। गेहूँके खेतोंमें सालमें दो फसलें होती हैं, बरसातमें मक्का और बाजरा बोया जाता है, फिर यह गेहूँ। मक्का और बाजरेको आजकल आदमी केवल भुष्टा और होलाके तौरपर ही मौसिममें दो-चार दिन खाते हैं; बाकी इन्हें गाय-भैंसोंको दिया जाता है। इनके डंठल भी कागजके कारखानोंमें जाते हैं। हरा होनेपर पासके किसी पशु-ग्राममें भी स्वाद बदलनेके लिए मेज दिये जाते हैं।

इस गेहूँ-ग्राममें आटा पीसनेका बड़ा कारखाना है। यद्यपि सभी गेहूँके ग्रामोंमें खेतीके साथ-साथ पीसाई भी होनेका नियम नहीं है। किन्तु नजदोकमें और कोई ऐसा कारखाना न होनेसे इसकी आबादी दस हजार करके यहाँ कारखाना भी रखा गया है। आटा-मैदा सब यहाँसे तैयार होकर चालान होता है।

गेहूँ-ग्रामकी सीमा पार होनेपर ग्राम-लोकी आदिके वृक्ष दिखलाई देने लगे। पूछनेपर ज्ञात हुआ, अब हम मोतीहारीके पास आ गये। यह बगीचा एक विद्यालयका है। पहले बतलाया जा चुका है कि तीन वर्षके बाद लड़के-लड़कियाँ माता-पिता तथा जन्म-स्थानसे अलग करके विद्यालयमें भेज दिये जाते हैं। प्रत्येक ३०-४० ग्रामके बीचमें एक ऐसा विद्यालय रहता है, जिसमें दस-पन्द्रह हजार या कभी इससे भी अधिक बालक-बालिकाएँ पढ़ते हैं। इनमें प्रायः सब प्रकारकी साधारण शिक्षा देनेका प्रबन्ध होता है। सत्रह वर्ष तक बालक-बालिकायें इन्हींमें पढ़ते हैं। असाधारण प्रतिभाशाली-तथा किसी विद्याकी ओर विशेष प्रवृत्ति रखनेवाले बालक बीचमें भी एक विद्यालयसे दूसरे विद्यालयको—जहाँ उस विद्याका समुचित प्रबन्ध होता है, भेज दिये जाते हैं। अध्यापकों या विशेषज्ञोंकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए यहाँसे किसी अन्य विद्यालयमें जाना पड़ता है, नहीं तो साधारणतया यहींसे शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी कार्यक्षेत्रमें उतरते हैं। सभी विद्यालयोंकी शिक्षा-दीक्षा और रक्षाका ढङ्ग एक-सा ही है। बिस्वामित्रजीने विशेष पूछनेपर कहा, यह सब बातें तो नालन्दामें आँखोंके सामने ही आयेंगी।

अब मोतीहारी नगर आया। क्या अब उसे पुराने दर्शक पहिचान सकते हैं? बिल्कुल उलट-पुलट गया है। आबादी तो अब दस हजार आदमियोंकी ही है; किन्तु आजकी स्वच्छता, सुन्दरता और एक-रूपता पहले कहीं थी? पहाड़ पार करनेके बाद ही हम मल्लमें आ गये थे। मोतिहारी मल्लका एक जिला है। प्रान्तोंके नामोंमें इधर बहुत-कुछ परिवर्तन हुआ हीख पड़ता है। पुराना सारनका जिला भी इसी प्रान्तमें है। उसके पश्चिम काशी-कोसल लखनऊसे आगे तक चले गये हैं। उसके बाद कुरु-पाञ्चाल-मत्स्य-शूरसेन देशोंके इसी नामके गये हैं। दिल्ली अब भी भारतकी राजधानी वा राष्ट्रधानी है। इस प्रकार देशों तथा गणोंके नाम पुराने रखे गये हैं। पिछली शताब्दियोंके इतिहास-सम्बन्धी स्थानोंके नाम भी ज्यों-के-त्यों रहने दिये गये हैं। यहाँ मोतिहारी नगरमें जिलाकी पंचायतका कार्यालय रहता है। सभापति और कार्यकारिणीके सदस्य अपने निर्वाचन-अवधि भर यहाँ ही रहते हैं। जिलाकी उत्पत्ति तथा आवश्यकताओंके अनुसार चीजें बाहर

भेजने तथा 'मँगाने' आदिका काम एक प्रधान कर्त्तव्य है। जिलाके हिसाब-किताब तथा अन्य प्रकारके कागज-पत्रोंके साथ पुराने कागज-पत्रोंका भी यहाँ संरक्षणालय है। इसके और जिला आफिसके अतिरिक्त दूसरे सारे ही मकान बिना कोठेके हैं। गाँवों और शहरोंके घर द्वार, रहद-सहन खाना-पीना किसी बातमें भी कुछ भेद नहीं। अब वह पुरानी सड़ी गलियाँ और गन्दे मकान कहीं नहीं दिखाई पड़ते। जिलाकी पंचायतकी बैठकका यहाँ एक बृहद् भवन है। नगरवालोंका संस्थागार इससे अलग है। नगरमें एक छापाखाना है। जिला भरके आवश्यक कागज-पत्र यहीं छपते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कारखाना मशीनोंके सुधारने तथा पुरजोंके बदलनेका है।

आगे बढ़नेपर सड़ककी दोनों ओर दूर तक बाग-ही-बाग दिखलाई देने लगे। मैंने जलपानमें अमरूद और बेरके टुकड़े खाये। एक-एक बेर एक-एक छटाँकके थे, तिसमें तारीफ यह कि गुठलीका पता नहीं। अमरूदोंमें भी, सारा फल दूढ़नेपर कहीं एक बीज मिल पाता था। मिठास और सुगन्धके लिए क्या कहना है? विश्वामित्रने बताया, यह फल भी वैसे ही होते हैं। अब घटिया वस्तु पैदा ही नहीं की जाती। यह सारा बाग बेर-ग्रामका था। इस ग्राममें यही काम होता है। फल बारहों मास होते रहते हैं, अतः लोगोंको काम भी सदा मिलता रहता है। दूसरी तरफ़ इस ग्राममें जामुनका भी बाग है। इसमें भी बेरहीकी भाँति जादू किया गया है। अर्थात् आकार बहुत बड़ा; मिठास-सुवास अनूप; किन्तु गुठलीका पता नहीं।

बागोंके बाद एक बार फिर खेत-ही-खेत दिखलाई देने लगे। कितने ही खेतोंकी फसल तो कट गई थी; किन्तु ऐसे भी खेत थे, जिनमें कोसों कलियोंसे लदी सरसों थी। मालूम हुआ, यह तेलग्राम है। यहाँ इन खेतोंमें पहले तिल्ली उत्पन्न की जाती है, पीछे सरसों बो दी जाती है। यहाँ तेल निकालनेका बड़ा भारी कारखाना है। खाने तथा सिरमें लगानेका तेल प्रदान करना यहाँवालोंका काम है। मैंने कहा—तब तो चाहे बिजली हीसे काम क्यों न किया जाता हो, किन्तु तेलसे कपड़े तो अवश्य रँगें जाते होंगे। विश्वामित्रने कहा—नहीं, पहले तो काम करनेके बक्तकी पोशाक ही सबकी दूसरी होती है; दूसरे, काम भी दूर-ही-दूरसे करना होता है। सभी काम तो मशीन और नख

करते हैं। इन तेलोंके ले जानेवाली बहुत-सी गाड़ियाँ भी मैंने स्टेशनपर देखीं, जो पुराने समयके मिट्टीके तेलकी गाड़ियोंसे बहुत कुछ मिलती-जुलती थीं। मैंने पूछा—सुगंधित तेल तो यहाँ नहीं बनता होगा ? इसपर बतलाया गया कि सुगंधित तेलोंके कारखाने गाजीपुर, कन्नौज आदि नगरोंमें हैं। वहाँ आस-पास कोसों दूर तक इसके लिए फूलों की खेती होती है। तिल वहाँ दूसरे स्थानोंसे जाता है, जिससे वहाँके लोग तेल तैयार करते हैं। ऐसे ही मालूम हुआ, साबुन तैयार करनेके ग्राम हैं, जहाँ साबुन ही-साबुन तैयार किया जाता है।

अगले स्टेशनपर अँचार-ग्राम लिखा दिखाई पड़ा। यहाँ अँचार और घुरब्बेके सिवाय कोई काम ही नहीं होता। अँचारके लिए फल, तेल; इसी प्रकार घुरब्बोंके लिए अपेक्षित सामग्रियाँ उन-उन चीजोंके ग्रामोंमें आती हैं। यहाँ वाले मशीनोंसे फलोंको काट, सुखा-पकाकर, अँचार तैयार करके अपने बड़े गोदाममें चीनी मिट्टीके बड़े-बड़े होजोंमें रखते हैं। जब खाने लायक हो जाता है तो फिर जगह-जगह उसी प्रकार सावधानी-पूर्वक ले जानेवाली गाड़ियोंमें भेजा जाता है। यहाँके लोग अँचार बनानेकी गियामें बड़े पटु हैं। उनका इस विषयकी विशेष शिखा मिलती है। कटहल, बड़हल, आम, जामुन, आवला, कदम्ब आदि सब चीजोंका अँचार बनता है। इन वस्तुओंके उत्पन्न करनेवाले अलग-अलग ग्राम हैं। और सभी वस्तुओंके आकार-प्रकार, गुणोंमें विज्ञानने आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया है।

आगे हमें सड़कके किनारे दर्जी-ग्रामके अतिरिक्त दाल-ग्राम पड़ा। दाल ग्राममें वर्षाकी फसलमें खेतीमें उड़द मूँग और जड़ेंमें अरहर पैदा की जाती हैं। इनसे यहाँ दाल बनानेका बड़ा भारी कारखाना है। बाकी सब ढंग अन्य ग्रामोंसा ही है। इसके बाद कई-एक गाँव मिले, लेकिन सबमें कलमी आमों तथा लीचियोंका धाम हा था। यह बागोंका सिनसिला मृजफ्फरपुर होते गंगाके किनारे तक लगातार चला गया था। फलोंके रूप-गुणमें तो आश्चर्य-जनक परिवर्तन हुआ ही है, साथ ही फसल बार-बार मास तैयार होती रहती है। कितने ही बागोंके पृष्ठ-पार्श्वमें दो बार फल देते हैं। लाली और आमके फलोंमें गुठली अब बहुत छोटो-छोटी देखी जाती है; ऐसे भी फल तैयार किये जाते

हैं जिनमें गुठली एकदम नहीं होती। सारा बिहार एक तरह आमों और लीचियोंका बाग है। अंग, मगध, विदेह इसके तीनों प्रदेशोंमें सबसे अधिक पैदावार इन्हीं दो फलोंकी है। यह फल यहाँसे भारतमें ही नहीं, यूरोप, अमेरिका तथा एशियाके सभी भागोंमें भेजे जाते हैं। बर्फकी गाड़ियोंमें वह इस प्रकार भेजे जाते हैं कि महीनों रखने पर भी नहीं बिगड़ते। आमोंका आमरस भी तैयार किया जाता है; और उसके बनाने और रखनेकी ऐसी क्रिया और प्रबन्ध है कि खानेपर ताजे आमोंका स्वाद आता है।

दाल-ग्रामसे कुछ ही आगे आये थे कि अँधेरा हो गया। फिर मैं कुछ आगेके ग्रामोंकी बात पूछता और सुनता रहा। आठ बजेके भोजनको समाप्त कर थोड़ी देर और वार्तालाप किया। अब सारी ट्रेन बिजलीके प्रकाशसे जगमगा रही थी। इसके बाद मैं सो गया। चार बजेका समय था, जब हमारी गाड़ी गंगाका पुल पार करने लगी। हमने अब मगधमें प्रवेश किया। यह पटना देवानाम्पय पियदस्सी राजाकी पुरी आई। मैंने एक बार जो अपनी यात्राके अब तकके दृश्योंको अपने सामने फिर रखा, तो विचार हुआ, अबके लोग बड़े चतुर हैं। पहलेका प्रत्येक आदमी चाहता था कि संसारकी सभी वस्तुएँ वहीं पैदा कर ले। इस प्रकार एक ही गाँव अपनी आवश्यक सभी सामग्रियोंको पैदा करने की कोशिश करता था। अब तो एक गाँवके हजारों आदमी एक ही चीज पैदा करते हैं। दर्जोग्राम कपड़ा तैयार करनेवाले ग्रामोंसे कपड़ा लेकर जूनी-पुरुष-दलोंके लिए तरह-तरहके नापके वस्त्र तैयार करता और आई हुई माँगोंके अनुसार वहाँ-वहाँ खाना करता है। उसके कुछ आदमियों को रसोई बनाना पड़ता है; किन्तु उसे न अनाज पैदा करनेसे सम्बन्ध; न आटे-चावलके भावसे प्रयोजन; न लाठाले गाय-भैंस चराने का काम; न आबू-बैंगन-गोभी बोलनेसे मतलब; न ऊख पेलकर चीनी-गुड़ तैयार करनेका प्रयास; अर्थात् उसके लिए अपेक्षित अन्य सभी वस्तुएँ दूसरे ग्राम तैयार करते हैं, जिनकी कि कपड़ोंकी आवश्यकता वह पूरा करता है। इकट्ठा बहुत-सी चीजें रज्जो-द्वारा तैयार करनेमें श्रम और समय कम लगता है। कहीं पहले लोगोंके दिन-रात लगे रहनेपर बड़ी मजल थी कि यदि सिर ढँका तो पैर नंगा, यदि पैर ढँका तो सिर नंगा। किन्तु यहाँ हफ्तेमें पाँच दिन और

रोज चार ही घण्टे प्रत्येक व्यक्तिको काम करना पड़ता है और इतने हीमें स्वर्ग-सुख भोगनेकी सभी वस्तुयें प्रस्तुत हो जाती हैं । पहलेकी सारी जिन्दगी जिन्दगी हीके लिए थी । आदमी रात-दिन लगे रहकर तब अपने और अपने बाल-बच्चोंका पेट भर, तन ढाँक, जीवन रक्षा करता था; दूसरे कामके लिए मुश्किलसे समय निकलता था । यहाँ मैं उन आदमियों को नहीं गिनता हूँ, जिनका जीवन परायेकी मेहनतपर निर्भर था । उस समय मनुष्य कैसे अपने जीवनका कोई उच्च लक्ष्य रख सकता था; जबकि इस प्रकारकी आपत्तियों में उसे पड़ा रहना पड़ता था ? किन्तु अब तो अवस्था ही दूसरी हो गई है । ४ घंटे काम; बाकी २० घंटे सोना, पढ़ना, नृत्य-गान, सत्संग, विद्याव्यसन, परोपकार-चिन्तन, साहित्य-सेवा आदि सभी कामोंके लिए बचा हुआ है । इतनी सुखकी सामग्रियोंसे घिरे रहनेपर भी उसके लिए अपने जीवनका सर्वांश अर्पण नहीं करना पड़ता । प्रबन्ध कैसा है ? वर्षमें नौ मास अपना कर्तव्य पालन करके आप तीन मास सैर-सपाटा भी कर सकते हैं; चाहे पृथ्वीके किसी भागमें भी स्वतंत्रता-पूर्वक घरकी भाँति सानन्द रेल, जहाज या विमान-द्वारा विचर आ सकते हैं । अपने-अपने कार्यक्षेत्रके चुननेमें भी स्वतंत्रता है । केवल योग्यता होनी चाहिये । फिर भारतीय अंगूरकी खेतीका जानकार फ्रान्समें जाकर बस सकता, रह सकता है ।

पटनामें नालन्दा जानेवाली गाड़ी तैयार मिली । हमारी गाड़ीकी यही तक पहुँच थी । अन्य साथियोंसे विदा हो मैं और विश्वामित्र नालन्दाकी गाड़ीपर जा बैठे ।

नालंदामें स्वागत

अब हमारी गाड़ी दनदनाती नालन्दाके पास जा रही थी । प्रातः-कालका समय था । भगवान् भुवन-ज्योति यद्यपि अभी पूर्वके क्षितिजपर दिखाई नहीं पड़ते थे, किन्तु उनके आनेका संवाद उषःकालीन रक्तिमा दे रही थी । दूर कृषि-विद्यालयके वृत्तोंके ऊपरसे यह लालिमा वैसे ही दोख

पड़ती थी जैसे अँधेरी रात्रि में दूर से दिखलाती दावाग्नि । मानों भास्कर संसार के अन्धकार के दग्ध करने में अभी रुके हैं । यद्यपि अभी उनका साक्षात् आगमन नहीं हुआ, किन्तु उनकी अवाईकी सूचना पाये हुए-से पक्षिगण इधर-उधर उड़-उड़कर बैठ रहे हैं । रेल-लाइन की दोनों ओर फलों के भार से लटके हुए चनों के पौधे दूर तक दिखलाई पड़ते हैं, जिनमें कहीं-कहीं पतली-पतली खेतों में जानेवाली लाइनें दिखलाई पड़ जाती हैं । मैंने कहा, और तो सब है, किन्तु आज के लोगों को चने का होला तो न मुयस्सर होता होगा, किन्तु पीछे मेरा यह विचार भी गलत निकला । मैंने स्वयं पीछे होला खाया था । मेरे साथी भी शौचादि से निवृत्त हो बैठे थे । गाड़ी में कहीं कुछ लोग पुस्तक पढ़ते हुए दीख पड़ते थे—कुछ लोग गा रहे थे, बाकी लोग भी चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे अपने-अपने विचारों में मग्न थे । उस भीतरी सन्नाटे में वही गाड़ी की षड़धड़ाहट कानों में आ रही थी । मैं भी शौचादि से निवृत्त हो, स्नान-कोठरी से स्नान करके आ बैठा । अब हमारी गाड़ी विद्यालय-भूमि में प्रविष्ट हुई । चारों ओर दूर तक खेतों से घिरा एक तीनतला सुन्दर मकान है । उससे थोड़ी दूर पर एक ऊँचा चार महलका मकान है; जिसमें चारों ओर के मकानों के बीच में एक बड़ा भारी चौखुटा आगन है । मकान के बाहर फूलों की शोभा निराली है । विश्वामित्र ने बतलाया, वह कृषि-विद्यालय है; और यह उसका छात्रावास । ऐसे ही और भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर विद्यालय निलते गये । आखिर ठीक साढ़े छः बजे गाड़ी नालन्दा के बड़े स्टेशन पर पहुँची । नालन्दा का घेरा बहुत भारी है । यहाँ चार स्टेशन हैं, जो समीपस्थ विद्यालय के नाम से पुकारे जाते हैं । इस बड़े स्टेशन का नाम है नालन्दा प्रधान ।

प्रत्येक ट्रेन में अन्य प्रबन्धों के साथ बे-तारका टेलीफोन भी लगा रहता है । पिछले स्टेशन पर फिर विश्वामित्र ने हमारे आने की सूचना आचार्य को दे दी थी । हमारी गाड़ी के स्टेशन पर पहुँचते ही विद्यालय ने धर्म सूचना का बिगुल दिया । पटना में चढ़ते वक्त हमलोग दरवाजे के पास ही बैठे थे । अतः गाड़ी खड़ी होते ही उतर पड़े । प्लेटफार्म पर आचार्य तथा पचास प्रधान-प्रधान उपाध्याय खड़े थे । मेरे उतरते ही सबने 'स्वागत' किया, और गले में

फूलोंकी माला डाली। स्टेशनसे बाहर यद्यपि मोटर खड़ी थी, किन्तु मैंने कहा, इतनी दूरके लिए इसकी आवश्यकता नहीं; दूसरे मार्गमें खड़े बच्चोंमें मित्रनेमें भी कठिनाई उपस्थित होगी। अब हमलोग 'वसुवन्धु'-भवनकी ओर चले। सड़ककी दोनों ओर पाँतीसे विद्यालयके छात्र खड़े थे। यह सब बड़ी श्रेणियोंके छात्र थे। एक-एक विद्यालयके छात्रोंकी पक्ति एक ही जगह थी। पहुँचनेके साथ ही उस-उस विद्यालयके प्रधान आचार्यका परिचय कराया जाता था। इस प्रकार आखिर 'वसुवन्धु'-भवनका बड़ा हाल आ गया।

'वसुवन्धु'-भवनकी शोभा अपूर्व है। चारों ओर दूर तक घासका हरा मैदान है। मकान बहुत ऊँचा, सफेद संगमरमरका-सा दीखता है। इसके चारों ओर संगमरमरकी छतरियोंके नीचे पुराने और बने हुए कितने ही आचार्यों एवं प्रसिद्ध महापुरुषोंकी मूर्तियाँ हैं। मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि यहाँ विद्याव्रतकी भी एक विशाल-मूर्ति स्थापित है। यह वही यशस्वी पुरुष है, जिन्होंने नालन्दाके पुनरुद्धार करते वक्त सर्व-प्रथम अपना सर्वस्व दिया था। सब स्थावर और जंगम सम्पत्ति उनकी पत्नीम लाखकी थी। इन्हें कोई सन्तान न थी। इन्होंने विद्यालय हीको अपना पुत्र बना, सर्वस्व अर्पण कर दिया। विद्याव्रतने सचमुच उस समय असाधारण साहस और स्वार्थ-त्यागका परिचय दिया था। मुझे स्मरण है कि जिस समय मेरे हृदयमें विद्यालयके पुनरुद्धारका विचार उठा, तो स्वयं इस प्रकारका भी सन्देह उठता था, कि क्या मेरे ऐसा अकिंचन, अयोग्य व्यक्ति ऐसे भारी कार्यको उठा सकता है। मेरी हार्दिक इच्छा होती थी, कोई इसके सदृश ही महान् पुरुष इस कामको अपने हाथमें लेता तो मुझे भी उसके पीछे चलकर सब प्रकारसे सेवाय तैयार रहनेमें कितना आनन्द होता। किन्तु दुर्भाग्यसे महान् पुरुषोंको इस महत्त्वपूर्ण कार्यका स्मरण न था, अथवा उपेक्षा थी। यही देख और सर्वथा अपनी अयोग्यता जानकर भी मैंने इस काममें हाथ डाल ही दिया। किन्तु इस काममें अनेक विद्वानोंके अतिरिक्त बहुत धनकी भी आवश्यकता थी। धनवालोंका अभाव न था, किन्तु उनमेंसे बहुत तो इसका महत्व ही नहीं समझते थे। जो समझ भी सकते थे, उन्हें ऐसा होनेपर विश्वास न था।

अन्य जगहों में घनादि प्रदान करने में पदवियों और खिताबों की वृष्टि की सम्भावना थी, वह यहाँ नहीं थी; फिर ऐसी अवधामें कौन धनपात्र आगे बढ़ता !

मैंने बाल्य ही से यद्यपि भिक्षु-आश्रम ग्रहण किया था, किन्तु भिक्षा माँगने का अभ्यास नहीं था। यह और भी एक कठिनाई थी। खैर, किसी-किसी तरह मैंने अपने आपको इसके लिए तैयार किया। उत्साही पुरुषों ने मेरी झोली में पड़ना आरम्भ किया। किन्तु फिर वही कठिनाई। यह सभी उत्साही पुरुष ऐसे थे जो अपने उत्साह के बराबर धन देने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। तो भी उनके उत्साह से मुझे बड़ा बल मिलता था। ऐसे समय में विद्याव्रत के हृदय में प्रेरणा हुई। यह मेरे लिए अपरिचित व्यक्ति थे। इसके पूर्व कभी इन्होंने ऐसे कार्यों में हाथ नहीं डाला था। परन्तु, न जाने हृदय में एकदम क्या आया कि इन्होंने अपने सर्वस्व का दानपत्र मेरे पास भेज दिया। आज दो शताब्दियों के ऊपर की बात मेरे लिए कलकी सी है। मेरे नेत्रों के सामने अब भी मेरे वह सहयोगी फिर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की विद्यालय की आधार-शिला के नीचे डाला था। उस समय के हम लोगों ने उनका सम्मान किया—किन्तु उतना नहीं, जितने के वे पात्र थे।

षष्ठ्यन्धु-भवन अर्द्धचन्द्राकार है। इसमें सवा लाख आदमियों के बैठने का स्थान है। बैठने की गैलरियाँ रंग-मंच के सम्मुख से आरम्भ हो धीरे-धीरे ऊँची होती चली जाती हैं। यद्यपि वह रंग-मंच के सम्मुख अर्द्धचन्द्राकार दूर तक चली गई है किन्तु इस प्रकार बनाई गई है, कि सभी दूर और नजदीक के आदमी रंग-मंच को देख सकते हैं। इन गैलरियों के नीचे-ऊपर तीन तहें हैं। बैठने के लिए लम्बी-लम्बी कुर्सियाँ हैं। स्थान-स्थान पर बिजली के लैम्प और पंखे लगे हुए हैं। रंग-मंच की धीमी-सी आवाज को भी सबसे आखीर वाले श्रोता तक के कान में बराबर पहुँचने के लिए बीच-बीच में शब्द-प्रसारक यंत्र लगे हुए हैं। यह शब्दों को श्रोतव्य बनाते हैं। प्रत्येक तल में वायु और सूर्य-प्रकाश के आने-जाने के लिए प्रयाप्त रोशनदान और वातायन है। दीवारों पर भूमंडल के प्राचीन और अर्वाचीन महापुरुषों के चित्र और सुनहरे अक्षरों में श्लोक लगे हुए हैं। इन चित्रों में अधिकांश विद्यालय के ही छात्रों और अध्यापकों के बनाये हुए हैं। छात्रों और छात्राओं, दोनों के बैठने के लिए

भवनमें स्थान हैं । बैठनेकी जगहोंपर पहुँचनेके लिए सीढ़ियाँ बाहरसे लगी हुई हैं केवल रंग-मंचपर जानेका मार्ग सामने पड़ता है । रंग-मंचकी बगलमें नेपथ्य-शाला है, जहाँ नाटक करनेके समय पात्र नेपथ्य-परिवर्तन करते हैं ।

विद्यालय-परिवार समूह-रूपसे मेरा स्वागत करनेके लिए भवनमें बैठा हुआ था । इसलिए आचार्यने वहाँ चक्करनेके लिए मुझने कहा । अब जलपानका समय समीप था, इसलिए रंग-मंचपर दो शब्दोंमें विद्यालयकी ओरसे अभिनन्दन करते हुए उन्होंने मेरे गलेमें फूलोंका हार डाला । मैंने भी दो ही शब्दोंमें इसके लिए कृतज्ञता प्रकट की; और कहा कि अब तो मैं फिर अपने प्यारे विद्यालयके लिए आ ही गया हूँ ।

वहाँसे मैं सीधे विद्यालयके अतिथि विश्राममें ले जाया गया । यह अतिथि-विश्राम बहुत बड़ा पाँच तलोंका मकान है । इसमें हजार आदमियोंके आरामसे ठहरनेका स्थान है । कोठरी-आदि, सबका प्रबन्ध वैसा ही था, जैसा कि सेव-ग्राममें । किन्तु यह एक बहुत लम्बे-चौड़े मैदानगले आँगनके चारों ओर बना हुआ है । ऊपर चढ़नेके लिए भिजलीके भूले हैं जिनपर बैठकर आदमी अपने विश्राम-स्थानके तलपर शीघ्र जा पहुँचना है । भिजलीके पंखों और दापकों, तथा पानीके नलोंका पूरा प्रबन्ध है । अतिथियोंकी सेवा और आव-भगतके लिए बहुत-से पुरुष और महिलायें नियुक्त हैं । अतिथियोंके लिए यहीं एक बड़ी पाकशाला और भोजन-शाला है । तैरकर स्नान करनेके लिए एक बड़ा कुण्ड भी है । उपयुक्त पुस्तकोंका एक पुस्तकालय और अस्वस्थ अतिथियोंके लिए पृथक् चिकित्सालय भी है । इस प्रकार यह अतिथियोंका अच्छा खासा गाँव है । अतिथि-विश्रामके द्वार पर ट्राम हैं, जो गज-एक तक फैले हुए भिन्न-भिन्न कालेजों तक चली गई हैं । अतिथि जि. कालेज को जाना चाहते हैं, वस, दर्वाजे हीपर वहाँ जानेवाली ट्रामपर बैठ जाते हैं ।

विद्यालयकी इस प्रकारकी श्री-वृद्धि देखकर मेरे आनन्दकी सीमा न थी । मेरे समयसे अब बहुत फर्क हो चुका था । विश्राम-स्थानपर पहुँचकर वहाँ जलपानके लिए रथ-कुछ तैयार पाया । मैंने त्रिशामित्र, आचार्य वशिष्ठ तथा अन्य प्रधान अध्यापक अध्यापिकाओंके साथ जलपान किया । जलपानके बाद आजका प्रोग्राम शिशु-कक्षा देखना निश्चित हुआ ।

शिक्षा-पद्धति : शिशु-कक्षा

• दूसरे अध्यापक तो जलपानके बाद अपने-अपने स्थानपर चले गये थे; सिर्फ मैं विश्वामित्र, आचार्य वसिष्ठ और शिशु-कक्षाकी प्रधानाध्यापिका एवं विद्यालयकी उप-चार्या वीरा साथ चलनेको रह गई थीं। बालकों और बालिकाओंकी कक्षामें सूचना दी जा चुकी थी। निकलते वक्त निश्चय हुआ, कि पहले शिशु-कक्षामें चलना चाहिये। द्वारसे निकलकर हम लोग ट्रामपर जा बैठे। शिशु-कक्षा यहाँसे एक कोसपर थी। रास्तेमें जहाँ-तहाँ मैदान, बाग और अन्य-अन्य विषयोके विद्यालय भी पड़े। आज विद्यालयमें छुट्टी का दिन था। बालक-बालिकायें जहाँ-तहाँ घूमते तथा बैठे हुए दीख पड़ते थे। हमारी गाड़ामें और भी कितने ही लोग चढ़े हुए थे। यह लोग प्रायः सब विद्यालयके अतिथि थे; जिनमेंसे कोई अपने लड़के, लड़की, या किसी सम्बन्धीसे मिलने आया था; कोई ऐसे ही अपनी वार्षिक छुट्टियोंमें मनोरञ्जनके लिए आया हुआ था। कोई किसी विद्या-सम्बन्धी जिज्ञासासे आया था।

आखिर ट्राम बालक-बालिकाओंके उद्यानके मुख्य द्वारपर पहुँच गई। हम लोग नीचे उतरे। अध्यापिका-वर्गने द्वारपर स्वागत किया। द्वार तथा उसकी सोधमें तीन-तल्ला मकान स्वच्छता-सुन्दरतासे परिपूर्ण है। भातर मकानोंके अतिरिक्त, एक बड़ा भारी बाग वैसा ही लगा हुआ है जैसा कि सबग्रामके शिशु-उद्यानमें; फर्क यही है, कि बालकोंकी संख्या अधिक हानेसे यह एक स्वतन्त्र ग्राम-सा मालूम होता है। सोनेके कमरोंके अतिरिक्त पाक-शाला, भोजनागार, चिकित्सालय तथा भाण्डार-घर हैं। भातर बच्चोंको खुले पानीमें तैरने और नहानेके लिए बहते पानीका एक पक्का कुण्ड है, जिसमें डुबाव पाना नहीं रहता। जगह-जगह बागमें फव्वारे और तलायह बने हुए हैं। खेलनेके लिए हरी घाससे सुशोभित बड़े-बड़े मैदान हैं। जाड़ेके दिनोंमें स्नानके लिए एक बड़े मकानके भातर गर्म पानीका कुण्ड है।

शिक्षा देनेवाली सभी महिलायें ही हैं। शिशु-कक्षामें प्रत्येक बालक-बालिकाको तीन वर्ष रहना पड़ता है। पहले बतलाया जा चुका है, कि राष्ट्रीय

नियमके अनुसार सभी बालक-बालिकायें तीन वर्षकी अवस्थाके बाद माता-पितासे अलग करके विद्यालयोंमें भेज दिये जाते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा तीन कक्षाओंमें विभक्त है। शिशु-कक्षा चौथे वर्षकी अवस्थाके आरम्भ होती है। आरम्भ होकर छवें वर्षकी समाप्तिके साथ समाप्त होती है। बाल-कक्षा ७वें से शुरू होकर १४वें वर्षमें समाप्त होती है। इसके बाद तरुण-कक्षा १५से २०वें वर्ष तक होती है। शिशु-कक्षामें शिक्षा प्रायः एक सी होती है। पुस्तकों द्वारा शिक्षाका अधिक व्यवहार नहीं है, यद्यपि छात्र इसी कक्षामें अच्छर और अंकको पहिचानने लगते हैं। शिशु-कक्षाके अन्तिम वर्षमें उन्हें लिखना-पढ़ना भी पड़ता है। किन्तु ज्यादातर शिक्षा मौखिक होती है। प्रत्येक शिक्षा-स्थाय विषयको मनोरंजक बनाकर इस प्रकार बच्चोंके सम्मुख रक्खा जाता है, कि वे स्वयं उसको जाननेके लिए उत्कण्ठित हो जाते हैं। जिस विषयमें जिस बच्चेकी उत्सुकता अधिक देखी जाती है, उसीकी ओर अध्यापिका-वर्ग भी उसका अधिक ध्यान दिलाता है। जितना ध्यान बालकोंकी शान-वृद्धिकी ओर दिया जाता है, उतना ही उनको शारीरिक उन्नतिका भी ख्याल रक्खा जाता है। यद्यपि छात्रोंके कुरतीके लिए छप्परोके नीचे कई-एक आखाड़े बने हुए हैं, जहाँ नियत समयपर यह छोटे-छोटे पहलवान ताल ठोक-ठोक, अपने करतब दिखलाते हैं, किन्तु अधिकतर दौड़-धूपके खेलों-वाग इन्हें हड़ और परिश्रमी बनाया जाता है। कबड्डी, फुटबाल आदि कई प्रकारके खेल होते हैं। इन खेलोंके नियम बतलाकर उन्हें स्वयं प्रबन्ध करनेको छाड़ दिया जाता है। अध्यापिका-वर्ग केवल मार्ग दिखलाता है।

अपने कार्योंमें अधिक योग्यता प्रदर्शित करनेपर बालक अपनी श्रेण में ऊपरके नम्बरमें गिने जाने लगते हैं। उनकी योग्यताका पुरस्कार यह तथा गुरुजनोंकी शाबाशी है। वस्तु आदिके रूपमें दूम्मे प्रकारके पारितोषिक नहीं दिये जाते। दस-दस बच्चोंकी टोली होती है, जिसमें एकको वह अपना नायक स्वयं चुनते हैं। एक-एक टोलीके लिए एक-एक सोनेका कमरा है।

रात्रिमें जब बालक-बालिकायें अपने-अपने बिस्तरों पर लेटते हैं, तो अध्यापिकायें इतिहासके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुरुषोंकी कथायें सुनाती हैं। इन कथाओंमें सन्-तारीख नहीं रहते। हाँ, यह बता दिया जाता है, कि अशोक बुद्धके बाद

हुए थे—चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य उनके भी बाद। कथाओंकी भाषा सरल, तथा भाव बही लिये जाते हैं, जिन्हें बालक आसानीसे समझ सकें। यह कथायें इतिहास, भ्रमण और विज्ञान आदि सभीके सम्बन्धमें हुआ करती हैं। कभी-कभी छात्र इन्हें स्वयं भी दुहराया करते हैं। कभी-कभी अध्यापिका और विद्यार्थी-वर्ग कोई-कोई गीत भी मिलकर गाते हैं। बालकोंको स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी नियम भी बड़े ध्यान-पूर्वक बतलाये जाते हैं। उन्हें अपने ही नहीं, अपने आसपासको स्वच्छ रखने-रखवानेकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें भली प्रकार बतला दिया जाता है, कि केवल तुम्हारी ही स्वच्छता पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे अड़ोस-पड़ोसमें भी स्वच्छता होनी चाहिये। अपने यहाँ सफाई करके कभी अपने कूड़ा-ककटको दूसरेके यहाँ न फेंक दो। किसी जगह इस प्रकार कुछ पड़ा हुआ देखकर स्वयं उसे हटा दो, या उपयुक्त व्यक्तिको उसकी सूचना दे दो। उन्हें बड़ोंका आदर और छोटोंसे प्रेम-भाव रखना सिखला दिया जाता है। बालक संसारके लिये जीवन उत्सर्ग करनेवाले पुरुषोंकी कथाओंको बड़े प्रेमसे सुनते हैं। अध्यापिकायें उन्हें बड़े मधुर और हृदय-ग्राहक शब्दोंमें कहती हैं। बालक कितनी ही बार सुनते-सुनते कण्ठाभिभूत हो आसू बहाते देखे जाते हैं।

बड़ी-बड़ी मूर्तियों और चित्रोंके अतिरिक्त महापुरुषोंकी जीवन-घटनाओंके फिल्म बोलते वायस्कोपों द्वारा भी दिखलाये जाते हैं। बालक इन चञ्चली-फिरती बोलती तस्वीरोंको बड़े प्रेमसे देखते सुनते हैं। खेलमें बालक घर बनाते; फुलवाड़ी लगाते और पंचायत करते हैं। प्रभिद्ध नक्षत्रों और राशियोंका उन्हें परिचय कराके उनकी दूरी आदिके सम्बन्धमें मनोरञ्जक कथायें सुनाई जाती हैं। पृथ्वी तथा सौर परिवारके अन्य ग्रहों, उपग्रहोंका खगोलमें भ्रमण उन्हें दिखाया जाता है। इन कथाओंसे मनुष्य-मात्रके प्रति भावत्व उनके हृदयस्थ करा दिया जाता है।

मृत पशु-पक्षियोंके संग्रहालय-द्वारा भी यहाँ बहुत-सी प्राणिशास्त्रकी बातें बतलाई जाती हैं। कितने ही समय बालकोंको प्राणिशास्त्र के मियालयके जन्तु-संग्रहालयमें ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें जीवित प्राणी दिखलाये जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार विद्याके अनेक विभागोंमें बालकोंके प्रवेशका मार्ग खोला

जाता है, किन्तु यह पूरी तरहसे ध्यानमें रक्खा जाता है, कि बालक उसमें मानसिक श्रम न अनुभव करे। इन्हीं मनोरञ्जक रीतियोंसे गणितका आरम्भिक ज्ञान भी उन्हें करा दिया जाता है। व्याकरणका नाम भी न लेकर भाषाके शुद्धा-शुद्धका भी इन तीन वर्षोंमें पर्याप्त ज्ञान करा दिया जाता है। कथा-प्रोक्तो मनोरञ्जकताके तारतम्यसे उन्हें भीतर-ही-भीतर भाषाकी सरसता और नीरसताके पहिचाननेका अभ्यास भी हो जाता है। शिशु-उद्यानके भीतर बालकोंकी अपनी गवर्नमेंट है। बालक हमके कार्य-निर्वाहके समय अनेक अद्भुत बुद्धिचातुर्य प्रदर्शित करते हैं। शिशु-कक्षाके छात्रोंकी पोशाक जाँघिया, मोजा, जूता, और कोट या कुर्ता है। जाड़ेके दिनोंमें सिर ढाँकनेका गुलुबन्द भी पहिनते हैं। कहीं किसी प्रकारके आभूषणका वहाँ नाम नहीं होता, किन्तु बख्श, श्रुतुके अनुकूल तथा सुन्दर होते हैं। इस पोशाकमें बालक-बालिकायें बड़े फुर्तीले दीख पड़ते हैं।

हमारे जानेपर अपने-अपने नायकोंको सामने किये हुए सब टोलियाँ खड़ी थीं, शिशु-पार्लियामेंटके प्रधान और मंत्रियोंने शिशु-समाजकी ओरसे हमारा स्वागत किया। मेरे कहनेपर अखाड़ेका खेल देखना निश्चित हुआ। बालकोंने स्वयं अपनी-अपनी जोड़ी चुनी। ऐसी दस जोड़ियोंको मैंने निश्चय किया। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभा वर्षोंके बालक थे। अखाड़ेपर पहुँचकर पहला जोड़ा प्रथम वर्षके लड़कोंकी छोड़ी गई। इनका नाम कृष्ण और इब्राहीम था। अखाड़ेमें पहुँचनेसे पहले ही इन्होंने कपड़ा उतार कुश्तीका जाँघिया चढ़ाया। पहले तो दोनों दूरसे दाव तकते रहे आखिर गुत्थमगुत्थी हो गई। लड़नेके कायदे भा बतलाये गये हैं कि सफल होनेपर भी किन-किन अंगोंपर चोट करने या पकड़नेसे हार हो जाती है। इब्राहीमने कृष्णको आखिर नीचे कर ही दिया, किन्तु कृष्ण भी एक था। इब्राहीम चित्त करते-करते हार गया, तो भी वह चित न हुआ। जब वह हममें लगा हुआ था, तभी अवसर देख कृष्णने ऐसी झपट मारी, कि इब्राहीम चारों खाने चित। दर्शक शिशु-समाजने आनन्द-ध्वनि की। अब दोनों अलग-अलग खड़े हो गये। इब्राहीमने एक बार और आँख देनेको प्रार्थना की। कृष्णने कहा—भाई इब्राहीम ! कोई परवाह नहीं। एक बार तो चित कर ही दिया है। यदि

अबकी तुमने पछाड़ भी दिया; तो भा। हम बराबर ही रहेंगे। अब दोनोंने फिर ताली बजा, भिड़न्त शुरू की। अबकी इब्राहीमने सचमुच कृष्णको ले धरा। आखिर दोनोंकी जोड़ी बराबर गिना गई। बादको और जांड़ियोंने भी एक-एक करके अपने-अपने करतब दिखलाये। इसके बाद दौड़ और फुटबाल मैच हुआ। कुछ लड़कोंने तैराकी भी दिखलाई। अब हम लोग बागकी उस ओर गये, जिधर महापुरुषों की मूर्तियाँ थीं। मैंने प्रथम वर्षके बालक ज्ञानमे पूछा—तुम्हें मालूम है, इनमें मार्क्स कौन हैं। उसने भट जाकर हाथसे पकड़ बता दिया—यह हैं। तब मैंने पूछा—तुम्हें इनके बारेमें क्या जानते हो? उसने संक्षेपसे बालकोंके समझने योग्य किननी ही घटनायें बतलाई। सारांश यह कि, इन्होंने मानव सेवाके लिए अनेक कष्ट सहे, किन्तु उसे न छोड़ा। एक बालिकासे फिर मैंने डार्विनके बारेमें पूछा। उसने भी हाथ रखकर, डार्विनकी कथा कह डाली। इसी प्रकार वनस्पति और पशुओंके बारेमें भी प्रश्न किये। उत्तर बहुत सन्तोषजनक मिले। सबसे बढ़कर बात यह देखी, कि बालकोंमें किसी प्रकारका भय या संकोच न था। बालकोंके सोनेके कमरे देखकर भोजनागार और चिकित्सालय आदिकों भी देखा। आज मध्याह्न भोजन भी शिशु-मंडली हीमें हुआ।

हमने बड़े प्रेमसे उनके गीत और किस्से सुने।

इनकी शिक्षा हरी-हरी घासों, फल फूलसे लदे वृक्षों और पशु-पक्षियोंके संप्रदालयोंमें होती है। बालिकाओंका स्वच्छता, सुन्दरता और निर्भीकता देखकर मैं कहता था, क्या इन्हींकी भाँति बीसवीं शताब्दीकी भी स्त्री-जाति थी। पुरुष-जानिने इनकी शक्तिको बिकसित होनेसे रोक दिया था। उनको यह न मालूम था कि इससे उनकी आत्मा भी हानि है। मैंने कहा—इन्हींमें आखिर उन अस्पृश्योंकी भी सन्तानें हैं, जिन्हें उस समय लोग यदि मनुष्य कहते थे, तो मानों बड़ी कृपा करते थे। अन्यथा उन्हें पशुओंने भी बदतर समझा जाता था। कुत्तेको गोदमें बिठानेमें संकोच न था, किन्तु मजाल क्या कि किस्मतके मूरे वह पुरुष राहमें फटक सके। ओह! कितने करोड़ ऐसे मनुष्योंके अमूल्य जीवन बरबाद कर दिये गये? अन्धधायका कुछ ठिकाना था? उन अभागोंको गाँवमें कुआँ रहनेपर भी कण्ठका पानी पानेको नसीब

न होवा था। और दोषोंके साथ उनपर सबसे बड़ा दोष यह लगाया जाता था, कि वे मैत्रा साफ करते हैं—वह मुर्दे पशुओंको ले जाते हैं, इत्यादि। किन्तु उन दोष-दर्शकोंको यह न सूझता था, कि समाजकी ऐसी सेवाके लिए—जिसे कि करनेके लिये और लोग तैयार न थे, तथा जिसपर समाजकी सुस्थिति निर्भर है—उनका कृतज्ञ होना चाहिये, न कि उल्टा उन्हें तिरस्कारका पात्र बनाना चाहिये। खैर! वह भी एक स्वप्नका समय था, यद्यपि वह स्वप्न हजारों वर्षों लम्बा-चौड़ा था। आखिर मनुष्योंने समझा—एक दूसरेको छोटा बनानेसे हमें स्वयं नीच बनना पड़ता है। संसार फिर उस स्वप्नको न देखे, उस नशे या मोह-निद्रामें न पड़े।

इस प्रकार आज शिशु-कक्षाका निरीक्षण समाप्त हुआ। अभ्यापिकायें सभी उत्तम योग्यताकी हैं। साथिन बीरा जिस प्रकार कन्याओंके लिए आदर्श हैं, वैसे ही बालकोंके लिए सच्ची निर्माता माता हैं। सब देखकर प्रायः तीन बजे हमलोग अतिथि-विश्रामको लौट आये। कलके लिए बाल-कक्षाका देखना तै पाया। इसके बाद बहुत देर तक विद्यालयके दो शताब्दियोंके इतिहासके बारेमें बार्तालाप होता रहा।

शिक्षा-पद्धति : बाल-कक्षा

आज सबेरे ट्रामपर सवार हो, हमलोग बाल-कक्षाकी ओर चले। यह और भी दूर, अर्थात् दो कोसपर थी। पहले कहे अनुसार बाल-कक्षा ८ वर्षकी अर्थात् ६ से १४ तककी है। इसमें दो-दो वर्षकी उपकक्षाएँ बनाई गई हैं, जिनके लिए पृथक्-पृथक् निवासोद्यान हैं। बाल-कक्षामें संक्षेपमें साहित्य, गणित, भूगोल, व्याकरण, संगीत, आलेख्य, कृषि, गोरक्षा आदि विषय हैं। किन्तु यह सभी प्रत्येक छात्रको पढ़ना आवश्यक नहीं है। विद्याओंकी ओर प्रलोभन-द्वारा प्रवृत्ति कराकर उधर बालका स्वाभाविक रुझान नहीं देखा जाता, उधर बल नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ इस श्रेणीमें प्रविष्ट हो, तीसरेसे पाँचवें वर्ष तक प्रत्येक बालकको संस्कृत आदि किसी भाषाके सिखाने

की प्रथा है। इन भाषाओंके सिखानेका वातावरण इस प्रकारका बनाया गया है, (यह पहले सूचित किया गया है) जहाँ बालकको छोटे शिशुओंकी भाँति भाषा सीखनेकी अनुकूलता रहती है। जबदस्ती मस्तिष्कपर लादनेका प्रयत्न नहीं किया जाता। किन्तु देखनेपर जब मालूम हो जाता है, कि बालक की उधर रुचि नहीं है, तो फिर बल नहीं दिया जाता। बाल-कक्षामें दाखिल होनेके साथ ही बालकोंको उनके नित्य-कृत्य बतला दिये जाते हैं।

बाल-कक्षामें पहुँचते ही वहाँ भी अध्यापक-अध्यापिका-वर्ग तथा विद्यार्थी-समाजकी ओरसे हमारा स्वागत हुआ। सब बालक-बालिका श्रेणीसे खड़े थे। पोशाक सबकी जाँधिया और कुर्त्ता था। जाड़ेमें सिर ढाँकनेके लिए गर्मे बख, एवं जूता-मोजा भी मिलता है। एक-एक उपकक्षाका एक-एक गाँव बसा हुआ है, जहाँ भोजनालय, संस्थागारके अतिरिक्त भाँडार भी रहता है। यहाँ भी तैरकर नहानेका कुण्ड है तथा अखाड़ों और खेलोंके मैदानोंका पूरा प्रबन्ध है। मकान तीन-महले हैं। ऊपर जानेके लिए बिजलीका भूला है। लिखने-पढ़ने, प्रकाश, पुस्तक रखने आदि सबका प्रबन्ध है। निद्रासे उठकर शौचादि जाना पाँच ही बजे जाता है। स्नान आदिसे निवृत्त होकर बालक कलेवा करते हैं। भोजनके लिए जो चार समय नियत हैं, वही बाल-कक्षाके लिए भी हैं—शिशु-कक्षाका भाँति छः बार नहीं। अध्यापनके लिए यहाँ पृथक् पाठशाला है। बैठनेके लिए बेंचे हैं।

यद्यपि बाल-कक्षासे नियमानुसार पढ़ाई शुरू होती है, तो भी विषयको रुचिकर बनानेकी ओर खूब ध्यान रहता है। इस समय मनोहर भाषामें लिखी पुस्तकों, नाटकों और वायस्कोपों-द्वारा इतिहासकी शिक्षाको भी जारी रक्खा जाता है। नाटकोंका बालक स्वयं अभिनय करते हैं। विज्ञान और व्योतिष-सम्बन्धी जिज्ञासाओंकी पूर्तिके लिए उत्कंठा होनेपर दूरवीक्षण, एवं प्रयोग-शालाओंका भी सहारा लिया जाता है। कृषि, गो-रक्षा आदि विद्यार्थे क्रिया-त्मक ही अधिकतर सिखाई जाती हैं, जिसके लिए खेत तथा गोशाला आदिका प्रबन्ध है। बाल-कक्षाके प्रथम दो वर्षोंको समाप्तकर विद्यार्थियोंको सार्वभौमी भाषाकी शिक्षा दो वर्ष तक दी जाती है। इस समय और विषय पूर्ववत्

ही मातृ-भाषामें चलते रहते हैं। सिर्फ बालकोंका निवास सार्वभौमी छात्रा-वासमें होता है, जहाँ सब लोग केवल वही भाषा बोलते हैं।

यह सार्वभौमी भाषा क्या है? एस्पेरेंटो भाषाका और भी परिमार्जित रूप है। एस्पेरेंटोमें प्रयुक्त होनेवाले आर्टिकल्स (Articles) को उड़ा दिया गया। बिल्कुल पन्द्रह नियमोंमें इसका सारा व्याकरण समाप्त होता है। लिंग, विभक्ति, प्रत्ययमें अटल नियम हैं, जिनका अपवाद कहीं नहीं होता। जैसे वचन दो ही हैं—एक वचन, बहुवचन। लिंग तीनों हैं, किन्तु निर्जीव पदार्थोंमें सभीके लिए नपुंसक लिंगका प्रयोग होता है स्त्रीलिंगवाले सभी शब्द आ, ई, ऊ, अन्तवाले होते हैं तथा केवल सजीव हीके लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही अन्य स्वर-अन्तवाले शब्द सजीवके लिए आनेपर पुल्लिंग होते हैं। क्रियारूपोंके लिए सीधे-सीधे चार काल हैं, अर्थात् भूत, भविष्य, वर्त्तमान और आज्ञा। वचन यहाँ भी दो हैं। बाकी पुरुष ज्यों के त्यों हैं। धातुओंका चुनाव खास तौरसे हुआ है। पहले पाली, प्राकृत जेन्द्र, और संस्कृत भाषाओंमें जो धातु एक-से हैं, उन्हें छाँट लिया गया है, अब इन धातुओंसे ग्रीक, लैटिन, एवं ट्यूटानिक (Teutonic), रोमन (Roman), स्लाव (Slav) और केल्टिक (Celtic) भाषाओंकी धातुओंसे तुलना करके जो धातु बहुत-सी भाषाओंमें सम्मिलित हैं, उन्हें चुन लिया गया है। सार्वभौमीमें इन्हीं धातुओंसे बने शब्दों और क्रियाओंको लिया गया है। वैज्ञानिक शब्द जो अब तक यूरोपीय भाषाओंमें प्रचलित थे, वही स्वीकार कर लिये गये हैं, केवल उनके अन्तमें उनके लिंगके अनुसार प्रत्यय लगा दी गई हैं। अपने जीवनमें राष्ट्रीय आवश्यकता या भ्रमण आदिके लिए इस भाषाकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बाल-कक्षामें नवें और दसवें वर्षमें इसकी शिक्षा अनिवार्य-स. है। सार्वभौमी छात्रावासमें जानेपर मुझे सभी बालक उसीमें वार्तालाप करते मिले। उस समय दसवें वर्ष वालोंने मेरे आनेके उपलक्षमें अपनी प्रसन्नता इसी भाषामें प्रकट की। जिसके बहुतसे शब्द मुझे समझमें आने लगे थे। लोगोंने बतलाया, यह भाषा मूमडल-नासियोंकी प्रायः सभी मातृ-भाषाओंका पूर्ण बोजर होनेमें सभीके लिए आसान है। चीन, जापान, स्याम, तिब्बत, बर्मा आदि देशोंमें भी इसका खूब प्रचार है। ✕

× × × × × × × भारतमें सभी जगह भारती भाषा इस समय मातृ-भाषा है। पेशावरसे बगदाद तक बोली जानेवाली फारसी भी इसके कुलकी है। यूरोपकी भाषाओंकी भी वही दशा है, जिनका प्रचार यूरोप ही नहीं, अफ्रिका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा भूमंडलके अन्य द्वीपोंमें है।

यह पहले कहा जा चुका है, कि आजकलकी शिक्षा-प्रणालीका मूल सूत्र है बालककी स्वाभाविक जिज्ञासा रखनेवाली बुद्धिको उसकी अभीष्ट-प्राप्तिमें मदद पहुँचाना। इसीलिए परीक्षा करके जिस ओर बालककी स्वाभाविक रुचि होनी है, उधर ही उसकी शिक्षाका मार्ग खोला जाता है। दो शताब्दियों के अनुभवने बतला दिया है कि यही वास्तविक शिक्षा है। जबर्दस्ती ठोकर-पीटकर बैद्यराज बनानेवाले विचारने अनेक स्थानोंपर बाधा पहुँचाई थी। पुराने समयके लोग भी खूब थे—खासकर २०वीं शताब्दीके। जिस प्रकार माता-पिता पुत्रकी इच्छा और उद्देश्यको देखे बिना बालकपनही में उसका जोड़ा उसके गले बाँधते थे, वैसे ही यह भी निश्चय कर डालते थे कि मेरा लड़का वकील होगा, मेरा डाक्टर इत्यादि। फल इसका यह होता था कि कितनी ही बार बालकको अपनी विद्या, रोचक कौन कहे, क्वीनैनकी गोली से भी कड़वी मालूम होती थी, और उसका कोई सुपरिणाम न होता था। किन्तु अब मामूली शिष्टाचार और लोकव्यवहारका उपयोगी ज्ञान तो बालकोंको देखते-देखते और सुनते सुनते हो जाता है। और विद्याकी बात उनकी प्रवृत्ति पर आरम्भ होती है। इस प्रकार गणित और ज्योतिषकी ओर प्रवृत्ति रखनेवाले बालक उतना ज्ञान बाल-कक्षा हीमें सम्पादन कर लेते हैं, जितना बीसवीं शताब्दीके उस विषयके एम० ए० भी नहीं जानते थे। अंकगणित, रेखागणित, बांजगणित, त्रिकोणमिति, अक्षमिति, चलन-कलन आदि सभी गणितकी शाखाओंमें उनका पूरा अधिकार हो जाता है। वह अपने पाठ्य-विषयमें नित्य नैन उत्सुकता और उत्साहके साथ संलग्न रहते हैं। उनका पठित विषय बहुत कुछ उपस्थित रहता है। साधारण ज्योतिषकी शिक्षा तो उनकी प्रथम हीसे आरम्भ रहती है। अगले मार्गमें जहाँ-जहाँ बिन्दु जिस गणितकी आवश्यकता प्रतीत होती है, उधर बड़े आनन्दसे वह प्रवृत्त होते हैं। साहित्य,

भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भी यही बात है, यद्यपि कोई बालक इन विद्याओंके साधारण ज्ञानसे भी सर्वथा अनभिज्ञ नहीं रहता । कारण, उसके नित्यके व्यवहारमें, बात-चीतमें, संसर्गमें, उनकी आवश्यकता पड़ती है । भविष्य-जीवनमें भी उनका साधारण ज्ञान अनिवार्य मालूम होनेसे वे उधर भी थोड़ा-बहुत परिश्रम स्वयं कर डालते हैं; किन्तु प्रकृतिके अनुकूल न होनेसे वह अधिक दूर तक उसमें नहीं जाते । बीसवीं शताब्दीमें जैसे खास-खास ही पाठ्य पुस्तकें रख दी जाती थीं, वैसा अब नहीं है । कौन-सी पुस्तक अब पढ़नेको देनी चाहिये, यह उस अध्यापककी इच्छापर निर्भर है, जो अपने विद्यार्थीकी प्रकृतिका बराबर निरीक्षण कर रहा है । समान प्रकृतिशाले छात्रोंकी टोलियाँ बनी रहती हैं, जिनके लिए प्रकृत विषयका मर्मज्ञ अध्यापक रहता है । विद्याके लिये अपेक्षित सभी सामान मौजूद रहते हैं । इस प्रकार शिक्षामें आजकी चाल आकाश-विमानोंही की भाँति तेज है ।

बाल-कक्षाकी सभी वस्तुओंको हमने घूम-घूमकर देखा । सिर्फ़ इसी एक कक्षाके पाँच बड़े-बड़े ग्राम हैं । हरएक ग्राममें निवासियोंकी आवश्यकताके सभी सामान मौजूद रहते हैं । अन्यत्र जैसे मैंने सब जगह यह नियम-सा देखा था कि मकान कोठेवाले नहीं होते, यहाँ विद्यालयमें सभी मकान तीन-महला, चार महलासे ऊपर हीके हैं ।

विद्यार्थियोंको पुस्तकें तथा अन्य सामान रखनेके लिए अलग-अलग आलमारियाँ हैं । पढ़नेके लिए पृथक् पाठशालाका विशाल भवन है । खेलने-कूदने, लड़ने, तैरने आदिके बड़े-बड़े मैदान तथा तालाब हैं । बालकोंका शरीर देखने हीसे पता लगता है कि उनकी शारीरिक उन्नतिपर कितना ध्यान दिया जाता है । सब बातोंका पूरा निरीक्षण करके दोपहरका भोजन भी हमने यहीं ग्रहण किया ।

चौदह वर्ष हीका अवस्थामें बालिकाओंको इतना ज्ञान हो जाता है, गो कि २०वीं शताब्दीमें पर्याप्तने भी कहीं अधिक कहा जाता । बालकोंका अपेक्षा बालिकायें संगीत, आलेख्य, चिकित्सा और नाट्यमें अधिक रुचि रखतीं तथा योग्य भी निकलती हैं । बालिकाओंकी अवस्था दशकुर बासवीं शताब्दीके वे आदमी भी अपने विचार धरल डालते, जिन्हें कई निर्बलतायें छा-जातिमें

स्वाभाविक मालूम होती थीं। मुझे यहाँके शिक्षण और योग्यताको देखकर निश्चय हो गया कि आजकलके मानव-जगत्को बहुत-सी न्यायमें इसीकी बदौलत है। एक ओर तो हजारों भगड़ों और आपत्तियोंकी जड़ पारस्परिक असमानता उठा दी गई और दूसरी ओर ऐसी सर्वगुण-भूषित शिक्षा; फिर क्यों न मनुष्यलोक पुराने ख्याली देवलोकसे भी अच्छा हो जाये ?

शिक्षा-पद्धति : तरुण-कक्षा

पूर्व क्रम हीसे मैं नित्य विद्यालयके एक-दो विभागोंका निरीक्षण करता रहा। और १२ दिन ऐसा करते रहनेपर एक बार सरसरी तौरसे सबको देख सका। शिशु-कक्षा और बाल-कक्षाकी शिक्षा जिस प्रकार अनेक विषयोंमें होती है (यद्यपि उसमें विद्यार्थीका स्वाभाविक प्रवृत्तिका पूरा ध्यान रखा जाता है) वैसा मिश्रशिक्षण तरुण-कक्षामें नहीं है। संसारके व्यवहारोंको अच्छी तरह चलाने, तथा मनुष्यकी वैसी जिज्ञासा भी होनेसे, प्रथम दो कक्षाओंमें कुछ सर्वतोमुखी-सी शिक्षा दी जाती है, किन्तु तरुण-कक्षामें शिक्षा पानेवालोंके लिए अनेक विद्यालय हैं, जो विद्याकी एक शाखाकी शिक्षा देते हैं। विद्यार्थी अब केवल उसी विद्याका अध्ययन करता है, जिसकी ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और जिसे उसने पिछले वर्षोंमें भी मुख्य तौरसे, औरोंकी माग रखते हुए, पढ़ा है। यद्यपि ऐसे बालकोंकी संख्या बहुत कम होती है, किन्तु हैं ऐसे भी विद्यार्थी, जो व्यवहारोपयोगी ज्ञानसे इसलिए अनभिज्ञ रह जाते हैं, कि उनकी रुचि न होनेसे उधर उनको परिश्रम नहीं कराया जाता।

नालन्दा विद्यालयमें पृथक्-पृथक् विषयोंके पन्द्रह विद्यालय हैं, जो भाषा-पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, संगीत, आलेखन, वास्तु (सिविल इंजीनियरिंग) आयुर्वेद, वनस्पति, प्राण, कृषि, यांत्रिक एवं चिकित्सा विद्या-लयांक नामसे प्रसिद्ध हैं। अध्यापक अपने-अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता हैं। भाषा-पुरातत्व विद्यालयमें इतिहासकी मौलिक सामग्रीसे परिचय एवं उसके

एकत्रित करनेका ढंग बतलाया जाता है। यह बीसवीं शताब्दी नहीं, बाईसवीं शताब्दी है। भूमि, बालू अथवा समुद्रोंके नीचे पड़ी हुई सामग्रियाँ बहुतायतसे इधर मिली हैं। अनेक पुरानी जातियोंके धर्म, आचार-विचार तथा इतिहास पर इधर बहुत प्रकाश पड़ा है। भारत, मिश्र, अरु, कल्दान, ईरान, मेक्सिको, ब्राजील आदि अनेक देशोंकी प्राचीन सभ्यताकी परिचायक अनेक सामग्रियाँ हाथ लगी हैं। राष्ट्रने इन सामग्रियोंके प्राप्त करने और रक्षित रखनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी है। जहाँ प्राचीन खँडहरोंको खोदने, चीनोंकी रक्षाके लिए सुरक्षित स्थान बनानेमें लाखों आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ हजारों विद्वान् दिन-रात उनके रहस्यके खोलनेके लिए भी परिश्रम कर रहे हैं। भारतकी प्राचीन सभ्यता और इतिहासके लिए मध्य-एशिया, तिब्बत हिमालय, जावा, बाली, स्याम, सुमात्रा और लंका (सीलोन) तक छान मारा गया है। इस काममें नालन्दा-विद्यालयका हाथ सबसे अधिक क्या, बिल्कुलके करीब है। पुरातत्व-विद्यालयके साथ यहाँ इतिहासकी इन सामग्रियोंका एक बड़ा भारी संग्रहालय है इसमें प्राचीन भारत ही नहीं, अरु, मिश्र, मेक्सिको आदि देशोंके इतिहासकी सामग्री भी है। संसारके दूसरे संग्रहालयोंमें जो वस्तुयें इस प्रकारकी हैं, उनकी भी यहाँ प्रतिकृति रखी गई है। इसमें स्वयं नालन्दा-विद्यालयकी भी पुरानी बहुत सी वस्तुएँ एकत्रित की गई हैं। यहाँकी ऐतिहासिक सामग्रियाँ, जो पहले दूसरे संग्रहालयमें चली गई थीं, वह भी अब यहाँ लौट आई हैं। संग्रहालय-भवन आठ तलोंका, बड़ी दूर तक फैला हुआ है। भाषाओंकी शिक्षाका नवीन ढंग ऐसा सरल निकला है कि जिससे और भी बहुत-सी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। पुरातत्व और इतिहासके मौलिक जिज्ञासु विद्यार्थियोंका पहले उनके अभीष्ट विभागमें अपेक्षित भाषाओंका ज्ञान कराया जाता है।

ज्योतिष-विद्यालय राजगृहमें है। इसके साथ एक बहुत भारी वेधशाला है, जो वहाँके 'वैभार गिरि' पर बनी है। वैभार गिरिकी कायापलट हो गई है ऊपर जानेके लिए बहुत अच्छी सड़क है, जिसके अगल-बगल वृक्ष लगे हैं। वेधशालामें अनेक दूरदर्शक यंत्र हैं, जिनमें एक तो संसारके तीन सबसे बड़े दूरबीनोंमेंसे है। जिसमें ग्रहोंकी साधारणतया देखी जानेवाली

आकृति लाखों गुनी बड़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार वर्णवीक्षण (Spectroscope) यंत्र भी बहुत भारी ताकतका है। तार-रहित तारका यहाँ ही एक बड़ा अड्डा है। अब मंगलके विषयमें बहुत अधिक ज्ञान हो गया है। वहाँसे ऐसे ही वार्तालाप होने लगा है, जैसा कि भूमंडलमें एक जगहसे दूसरी जगहपर। पहले एक दूसरेकी भाषा समझनेमें कठिनाई हुई थी, किन्तु अब वह भी जाती रही। यद्यपि दिन-प्रति-दिन वृष्टि और जलकी कमी होती जाने एवं मंगलगर्भीय उष्णता—जीवन-शक्ति का हास होते जानेसे वहाँके लोग चिन्तित हैं, तो भी उन्होंने इसकेलिए बहुत-सा उपाय किया है। जहाँ एक ओर नहरोंका जाल-सा बिछा दिया है, वहाँ अपने यहाँकी जन-वृद्धिको भी रोक दिया है—रोक ही नहीं, बल्कि कम करना आरम्भ किया है। यद्यपि लोग भी इसके प्रयत्नमें हैं, कि किसी नये ग्रहमें जायँ, किन्तु अभी तक इसका कोई उपाय नहीं सूझा है। भूमंडलके लोग भी, उनकी कठिनाइयोंको देखकर चुप नहीं हैं। वह भी इसका हल ढूँढ़ रहे हैं। कोई-कोई इस बातकी भविष्यद्वाणी भी करने लगे हैं, कि वह समय समीप है, जबकि मनुष्य एक ग्रहसे दूसरे ग्रहमें जा सकेंगे। यदि ऐसा हो सका, तो हमारा अपने रहन-सहनका संसार तथा भाई-बन्धुपन और भी बढ़ जायगा। एक-एक ग्रहके ठंडा होनेपर लोग पहले हीसे दूसरे ग्रहमें चले जा सकेंगे। वैमारगिरिपर वेधशालाके काम हीके लिए दूर तक मकान बन गये हैं। पानी और बिजलीका ऊपर ही खूब अच्छी प्रबन्ध हो जानेसे वह और भी अधिक आनन्दका स्थान हो गया है।

दर्शन-विद्यालय यहाँसे दो कोस पीछेकी ओर है। यहाँ भारतीय सेश्वर-निरीश्वर दर्शन ही नहीं, भूमंडल भरके दार्शनिक विचारोंका अध्ययनाध्यापन होता है। आचार्य वसिष्ठ इस विषयके स्वयं अपूर्व विद्वान् हैं। उनका बहुत समय इसीके पठन-पाठनमें व्यतीत जाता है। सभी विद्यालय एक दूसरेसे दूर-दूरपर हैं। उनके बीचमें या तो मैदान है, या आम-लीची आदि फलोंके बगोंका लम्बे बाग। सभी विद्यालय पुस्तकालय तथा अपेक्षित अन्य सामग्रियोंसे युक्त हैं। जहाँ विज्ञान-विद्यालय रसायनशाला तथा प्रयोगशालासे सुसज्जत है; वहाँ वनस्पति और प्राणशास्त्रके विद्यालयोंके साथ बड़े-बड़े

बनस्पति-उद्यान एवं प्राणि संग्रहालय हैं। इस प्रकार सभी विद्यालय सांगोपांग विद्या-वितरण कर रहे हैं। उनके पास हीमें उन-उन विद्यालयोंके छात्रावास हैं। छात्रावास क्या है, एक-एक ग्राम है। बालकों और बालिकाओंके छात्रा-वास तथा विद्यालय इकट्ठे ही हैं। स्त्री-पुरुषका भेद ही उठा सा दिया गया है।

विद्यालयकी बस्तियोंमें भोजन बनानेवाले तथा स्वच्छता एवं मशीनों आदिके सुधारके लिए कुछ और लोग नियुक्त हैं, जिनके निवास-स्थान अलग बस्तियोंमें हैं। लड़कोंके वस्त्र धोने एवं कपड़ा सीनेके गाँव भी पृथक् हैं। इसी तरह गोपाल-ग्राम भी पाया, किन्तु विद्यालयको सीमाके बाहर है। पुस्तकोंके छापनेके लिए जो 'नालन्दा प्रेस' पहले खोला गया था, अब उसका काम बहुत बढ़ गया है। भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके यहाँसे कई मासिक पत्र निकलते हैं। नालन्दाके पुराने स्तूपों और इमारतोंको पूरा सुरक्षित रक्खा गया है। भैरवजीके नामसे २०वीं शताब्दीके ग्राम्यजनोंमें प्रसिद्ध बुद्धकी मूर्तिपर अब एक बहुत अच्छी छतरी लग गई है। वह विशालकाय, सुन्दर, शांत मूर्ति अब और भी अधिक मनोहर मालूम होती है। उसके पासका बड़ा स्तूप अब नया सा मालूम होता है। सूर्यनारायण और उसके पासका वह गाँव अब नहीं है।

विद्यालयकी तरुण-कक्षा, एवं विद्यालयकी शिक्षा समाप्त कर और अधिक पढ़नेवाले विशेषज्ञोंकी श्रेणीमें भारतसे बाहर लंका, बर्मा, स्याम, जावा, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशोंके विद्यार्थी बहुत अधिक संख्यामें हैं। इन देशोंके आचार्यों में आजकल नालन्दाके शिक्षितोंकी काफी संख्या है। संसारमें कोई विद्या नहीं, जिसकी उच्च शिक्षा विद्यालय न देता हो। ऐसे ही संसारका शायद ही कोई कोना होगा, जहाँ नालन्दाका छात्र न हो।

शासन-प्रणाली

नालन्दामें रहते हुए और कामोंके साथ मैंने उचित समझा, कि आज-कलकी शासन-प्रणालीका भी ज्ञान प्राप्त करूँ। इस कार्यमें उपाध्याय विश्वा-

मित्रने बड़ी सहायता की। अब-तकके वर्णनसे यह मालूम ही हुआ होगा, कि भूमंडलमें सभी जगह अब समताका राज्य है। धर्म के नामपर, ब्राह्मण-राजपूत-शेष-सथ्यद जातियोंके नामपर, धन और प्रभुताके नामपर, गोरे और कालेके नामपर, जो अत्याचार पहले होते थे, कितनी ही मानव-सन्तानें दूसरोंके पैरोंके नीचे आजन्म कुचली जाती थीं, उन सबका अब नाम नहीं। अब मनुष्य-मनुष्य बराबर हैं, स्त्री-पुरुष बराबर हैं। सभी जगह श्रम और भोगका समत्व मूल-मन्त्र रखा गया है। न अब भूमंडलमें जमींदार हैं; न सेठ-साहूकार हैं, न राजा हैं, न प्रजा; न धनी हैं, न भिखन; न ऊँच हैं, न नीच। सारे भूमंडलके निवासियोंका एक कुटुम्ब है। पृथ्वीकी सभी स्थावर-जंगम सम्पत्ति उसी कुटुम्बकी सम्पत्ति है। दैनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जिन-जिन पदार्थोंकी आवश्यकता है, उनके उत्पादन और संग्रहके लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार सभी सचेष्ट होते हैं। श्रम कम और उत्पत्ति अधिक होनेके लिए कार्यों और श्रमोंके बहुत-से विभाग कर दिये गये हैं। बीसवीं शताब्दीके लोगोंको आजकलका विभाग विचित्र-सा मालूम होता। अब तो जीवनकी एक भी आवश्यक वस्तु शायद ही एक कोई गाँव, बिना दूसरेकी सहायताके, उत्पन्न करता हो। जहाँ पहलेका एक ग्राम अनेक प्रकारके अनाज, साग-तरकारियोंके अतिरिक्त कितने ही छोटे-छोटे शिल्पोंका भी व्यवसाय करता था, वहाँ आजका ग्रह विचित्र गाँव है, जो आकार, संख्या और खर्चमें उससे कई गुना बड़ा होनेपर भी एक भी चीज पूरे तौरसे पैदा नहीं करता। यदि गेहूँ पैदा करता है, तो आटा दूसरी जगह पीसा जाता है; यदि ऊख पैदा करता है, तो चीनी दूसरी जगह बनती है; यदि दूध पैदा करता है, तो घास-दाना दूसरी जगहसे मँगाता है; यदि सिलाई करता है तो कपड़ा दूसरी जगहसे मँगाना होता है। मशीनोंकी ढलाई-सुधराई तो खैर दूसरी जगह पहले भी होती थी। आज-कलका सारा मनुष्य-समाज जिस प्रकारकी जीवन-सामग्रियोंसे परिपूर्ण है, उन सबकेलिए यदि ऐसा न किया जाता, तो बहुत समयकी आवश्यकता होती। आज जिस प्रकार कुल चार घण्टे काम करके ही मनुष्य सारी आवश्यकताओंका प्राप्त कर बाकी बीस घण्टे जीवनके अन्य आनन्दोंके उपभोगमें लगाता है, वैसा वह कब कर सकता था? यन्त्रोंका न उपयोग करते,

तो इतना भोग प्राप्त करना असम्भव था, चाहे सारा भी समय उसीके लिए न्यों न समर्पण किया जाता। यन्त्रोंके उपयोगको भी अधिक लाभदायक बनानेके लिए यह भ्रम-विभाग उपयुक्त सिद्ध हुआ है। ऐसे पहले भो भ्रम-विभाग कुछ तो हुआ ही था, किन्तु आजकलके लोगोंने इस सूत्रको और भी विस्तृत अर्थमें प्रयोग किया है।

पहले शासनोमें रचनात्मक कार्योंकी अपेक्षा ध्वंसात्मक कार्यों हीकी मात्रा अधिक थी। जब कभी लड़ाई छिड़ जाती, तब तो मानों इसका ज्वालामुखी फूट निकलता था।

इस विषयमें और कहनेसे पूर्व उचित प्रतीत होता है, कि वर्तमान शासन-व्यवस्थाके ढाँचेका कुछ जिक्र कर दिया जाय। सारे भूमंडलकी शासन-व्यवस्थाका मूल-ढाँचा ग्रामकी शासन-व्यवस्थाको समझिये। ग्राम-शासन-सभा—या जिसे संक्षेपमें ग्राम-सभा कहते हैं—में अपनी जनसंख्याके अनुसार सैकड़े पीछे एक पञ्च चुननेका अधिकार है। यदि किसी गाँवमें पाँच हजार आदमी हैं, तो वहाँकी ग्राम सभाके पचास सभासद् होंगे। इस चुनावमें सम्मति देने तथा खड़ा होनेके लिए उस ग्रामके प्रत्येक नर-नारी समान भावसे योग्य हैं, यदि कोई मानसिक अथवा शारीरिक असमर्थता इसमें बाधक न हो। यह सभासद् फिर अपना सभापति या ग्रामणी, तथा × × × × सोलह सभासदोंकी कार्य-कारिणी समिति बनाते हैं। × × × × × × × × × × × इसी कार्यकारिणीके हाथमें ग्रामकी आवश्यकता और उत्पत्तिके देख-रेख तथा प्रबन्धका भार रहता है। पहले एक बार कहा जा चुका है, कि ग्रामकी प्रत्येक श्रेणीका एक नायक होता है। यह नायक सौ परिवारों-द्वारा चुना जाता है, जिनमें अधिक-से-अधिक दो सौ व्यक्ति हो सकते हैं। दो सौसे कम इसलिए हो सकते हैं कि शायद कुछ पुरुष-स्त्री अविवाहित हों। ग्राम-कार्य-कारिणी समिति इन नायकोंसे अपना बहुत-सा कार्य कराती है। शान्ति-भंग तथा अन्य आवश्यक समयमें यों तो सभीका कार्य शासन-सभाकी सहायता करना है, किन्तु इन नायकोंका उस समय यह प्रधान कर्तव्य होना है। पूर्व-कालकी पुलिसका कार्य इन्हींके द्वारा लिया जाता है। किसी कार्यके कारण अनुपस्थित होनेपर इनके स्थान-

पर ग्राममें सहायक नायक कार्य करते हैं। ग्रामके सभी व्यक्तियोंको भिन्न-भिन्न कार्यपर नियुक्त करना ग्राम-सभाकी सम्मति-अनुसार कार्यकारिणीका काम है। यह आवश्यकतानुसार वैद्य, धाय, पुस्तकाध्यक्ष, भोजनाध्यक्ष, भण्डारी आदि सभी विभागोंके प्रमुखोंको नियुक्त करती है। ग्राम-सभाके एक बारके चुने सभासदोंकी अवधि अधिक-से-अधिक तीन वर्ष है। यही अवधि यहाँसे सार्वभौम सभाके सभासदों तककी है। किन्तु शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओंके लिए चुने गये व्यक्तियोंके लिए यह नियम लागू नहीं है। इस प्रकार किसी शिक्षकको आजन्म अपने पदपर रहनेका अधिकार है, यदि उसने जनताकी दृष्टिमें कोई अक्षम्य अपराध न किया हो।

ग्रामोंके बाद बहुत-से ग्रामोंको मिलाकर पहले तहसील या सब-डिवीजन सभायें तथा कहीं-कहीं थाना सभायें थीं। किन्तु उनके टूटे सौ वर्षसे ऊपर हो गये। ग्रामोंके सुन्दर प्रबन्ध, बिजलीकी सवारी-गाड़ियों तथा टेलीफोनोका प्रति ग्राममें उत्तम प्रबन्ध होनेसे वस्तुतः जिलाकी दूरी अब तहसील हीके बराबर रह गई है। जिस प्रकार प्रत्येक सौ आदमियोंपर एक आदमी ग्राम-सभाका सभासद् चुना जाता है, वैसे ही बीस हजारपर एक आदमी जिला-शासन-सभाका सभासद् चुना जाता है। जैसे पटना जिलामें दस लाख आदमी रहते हैं और यहाँकी शासन-सभामें पचास सभासद् हैं। प्रत्येक पाँच सभासद् पर कार्य-कारिणीका एक सभासद् चुना जाता है। इस प्रकार पटना जिलाकी कार्य-कारिणीके दस सभासद् हैं जिनके हाथमें क्रमशः निम्न दस विभाग हैं—

१. शिक्षा;
२. स्वास्थ्य, जन-संख्या-सावधानीकरण;
३. शान्ति-व्यवस्था, न्याय;
४. अर्थ;
५. दूसरे जिलों तथा स्थानोंसे लेन-देन;
६. कृषि, शिल्प-व्यवसाय;
७. यंत्र-युद्धादि-निर्माण और सुधार;
८. डाक, तार, रेल, विमान;

६. पुरातत्व-इतिहास-संरक्षण;

१०. प्रेस ।

चुनाव होनेसे पहले जिला की ग्राम-सभायें तथा जन-साधारण-द्वारा उम्मेदवारोंके नाम आते हैं, जिन्हें जन-साधारण तो अभिज्ञता और विचारके लिए चुनाव-तिथिसे पूर्व ही प्रकाशित कर दिया जाता है। पीछे उनके विषयमें प्रत्येक ग्राममें एक ही दिन, एक ही समय वोट लिया जाता है; फिर बहु-सम्मतिसे निर्वाचित पुरुषों तथा स्त्रियोंका नाम प्रकाशित कर दिया जाता है। किसी प्रकार अयोग्य सिद्ध होनेपर उस सभासदको स्थानसे च्युत करनेका अधिकार उसके निर्वाचकोंको है। एक सभासदके निर्वाचनका हल्का पृथक्-पृथक् होता है। पटनामें, ऐसे-ऐसे पचास हल्के हैं। जिलेका जिस जगह सदर रहता है, वहाँके लोगोंका प्रधान काम जिला-शासन-सम्बन्धी कार्योंका करना है। लिखने-छापने आदिका काम, पुराने कागज-पत्रोंको सुरक्षित रखनेका काम, शासनके अनेक विभागोंके काम, सभी वहींपर होते हैं। यद्यपि प्रति तीसरे वर्ष जिला-शासन-सभाके सभासदोंका परिवर्तन हो जाता है, किन्तु भिन्न-भिन्न विभागोंके दफ्तरोंके कार्यकर्ता, तथा अन्य कार्य-निर्वाहक पूर्ववत् ही बने रहते हैं। कार्य-कारणीके सभासद अपनी अवधि भर जिलाके प्रधान स्थानपर निवास करते हैं।

जिलाके विभागोंमें प्रथम, द्वितीयका कार्य तो नाम हीसे स्पष्ट है। शान्ति-व्यवस्था-न्याय-विभाग शान्ति-स्थापन, अदालत और अपराधियोंको उचित दंड और सुधारका काम करता है। किसीकी व्यक्तिगत कोई सम्पत्ति न होनेसे अब तो दीवानोंका शब्द ही उठ गया है। इसलिए कचहरी कहनेसे सिर्फ फौजदारी कचहरी ही समझना चाहिए। जैसे संसारसे और दूकानें उठ गईं, वैसे ही गवर्नमेंटको स्टाम्पफरोशी, अमनोंकी पान-सुपाड़ी, वकीलोंका मिहनताना भी उठ गया। उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दीके इस प्रतिष्ठित पेशेका तो एकदम ही पता नहीं है। अदालतका कमरा खुला ढाल होता है, जिसमें न्यूनातिन्यून दो विद्वान् विद्वद् अनुभवी जज बैठते हैं। प्रत्येक अभियोग अपने ग्रामकी न्याय-पंचायत—चौ—ग्राम-सभा-द्वारा संगठित की गई एक मामति होती है—से होकर आता है, जिसमें या तो ग्राम-सभा अपना फैसला दे दिये

रहती है, या आरम्भिक अनुसन्धानके बाद जिलाकी अदालतमें भेज देती है। वादी, प्रतिवादी गवाह सभी होते हैं। न्यायाधीश स्वयं हर बातकी गहराई तक पहुँचनेका प्रयत्न करते हैं। अभियोगोंकी संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए कचहरियोंकी चहल-पहल नहीं है। मुकदमें अपमान, मार-पीट अथवा खून इन्हीं तीन दफ्ताओंमें खतम हो जाते हैं। फाँसी या प्राण-दंडकी सजा ही अब एकदम उठा दी गई है, उसके स्थानपर अपराधियोंको किमी टापूमें मनुष्य-समाजके आनन्दसे वञ्चित करके रखा जाता है, जहाँ उसके भली प्रकार इलाज, शिक्षण आदिका प्रबन्ध होता है। किन्तु जब यह सिद्ध हो जाता है कि अब उसके स्वभावमें परिवर्तन हो गया, अब वह समाजके लिए खतरनाक नहीं है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरे अपराधोंके बन्दियोंके लिए प्रत्येक प्रान्तको एक जेल रखना पड़ता है जहाँ उन्हें रखकर सुधारा जाता है।

पाँचवें विभाग-द्वारा जिलामें उत्पन्न वस्तुयें आवश्यकतावाले बाहरी स्थानोंमें भेजी जाती हैं, और दूसरे जिला तथा प्रान्त आदिसे आवश्यक वस्तुयें भँगाई जाती हैं। यह मानो जिलाके भीतर और बाहर वस्तुओंके बदलनेका द्वार है। बाकी दूसरे विभाग नाम हीसे स्पष्ट हैं।

कई जिलोंके ऊपर प्रान्तीय शासन-सभा होती है। प्रत्येक दो लाख मनुष्योंपर इसका एक सभासद् चुना जाता है। निर्वाचनसे पूर्व नामजद करनेका तरीका नीचेसे ऊपर तक एक-सा ही है। बिहारमें दो करोड़ स्त्री-पुरुष सम्मति देनेवाले हैं। इस प्रकार प्रान्तीय सभामें यहाँ एक सौ सभासद् हैं। इसकी कार्य-कारिणीमें भी पूर्ववत् दस विभागोंके दस सभासद् या मन्त्री हैं। इनके कार्य भी पूर्ववत् ही हैं किन्तु क्षेत्र विस्तृत है। प्रान्तका न्यायालय अपीलका अन्तिम स्थान है। यहाँ भी कार्यकारिणीके सभासदों तथा सभापतिका प्रान्तके मुख्य स्थानमें अपनी अवधि भर रहनेका नियम है। अन्य सभासद् केवल सभाका बैठकोंके समयमें ही आते हैं।

प्रान्तोंके ऊपर देश-सभा है। इसके लिए प्रति दस लाख एक पर प्रति-निधि चुना जाता है। भारतमें इस समय बीस करोड़ सम्मति-दाता स्त्री-पुरुष रहते हैं, बाकी पाँच करोड़ बीस वर्षसे कम तथा विद्यार्थी अवस्थामें हैं।

भारत-शासनकी कार्य-कारिणीमें भी वैसे ही दस आदमी कार्य-कारिणीके सभासद् होते हैं, जिन्हें अवधि-भर दिल्ली हीमें रहना होता है। किन्तु दो शताब्दी पूर्वके समान शिमला-निवास इन बेचारोंके भाग्यमें नहीं है। विभाग पूर्ववत् ही हैं, कार्य-क्षेत्र विस्तृत है।

इसके ऊपर सार्वभौम सभा है, जिसके लिए पचास लाखपर एक सभासद् चुना जाता है। इस समय भूमंडलकी मनुष्य-गणना एक अरब अठ्ठासी करोड़ है, जिसमें अड़तीस करोड़ तो विद्यार्थी आदि हैं बाकी डेढ़ अरब स्त्री-पुरुष सम्मतिदाता हैं। सार्वभौम सभाके तीन सौ सभासदोंमेंसे चालीस भारत मेजता है। सार्वभौमकी कार्य-कारिणीमें पन्द्रह सचिव हैं। सार्वभौम सभाके सभापतिको राष्ट्रपति कहते हैं। सार्वभौम सभाका स्थान दक्षिणी अमेरिकाके ब्राजील देशकी नारंग नदीके किनारे ठीक भूमध्य-रेखापर है। यहाँ हीकी अक्षांश-रेखा शून्य मानी जाती है। इस नगरका नाम सार्वभौम नगर है। इसे बसे आज सौ वर्ष हो गये। जिस दिन सार्वभौम शासन स्थापित हुआ, उसी दिन एक सार्वभौम संवत् भी चलाया गया। आजकल संवत् १०१ चल रहा है। सार्वभौम सभाके सभासदोंकी यात्रा वायुयानों द्वारा हुआ करती है। राष्ट्रपति तथा कार्यकारिणीके सभासद् अथवा सचिव अपनी अवधि भर सार्वभौम नगरमें रहते हैं। सार्वभौम सभाकी कार्यवाही सार्वभौमी भाषामें होती है। सार्वभौम नगरमें पचास सहस्र स्त्री-पुरुष रहते हैं। इनमें सभी देशोंके आदमी हैं, जो भिन्न-भिन्न विभागोंके दफ्तरों तथा अन्य कार्योंमें नियुक्त हैं। सार्वभौम सचियोंके हाथमें निम्न विभाग हैं—

१. शिक्षा
२. स्वास्थ्य
३. शान्ति-व्यवस्था
४. अर्थ
५. लेन-देन, निबन्धन
६. कृषि
७. शिल्प-व्यवसाय
८. यंत्र

६. गृह-पशु-निर्माण आदि

१०. डाक-तार

११. बान-विमान

१२. मुद्रण

१३. जन-संख्या-नियंत्रण

१३. पुरातत्त्व-संग्रहालय

१५. रेकॉर्ड-इतिहास

मनुष्य-गणनाको अधिक बढ़ने न देनेका पिछली दो शताब्दियोंमें बहुत प्रयत्न हुआ है और उसमें पूर्ण सफलता हुई है। इस विभागका सम्बन्ध ऊपरसे ग्राम तक है। प्रत्येक दसवें साल मनुष्य-गणना तो होती ही है, इसके अतिरिक्त, जहाँ दो माससे ऊपरका गर्भ हुआ, उसको सूचना और गणना भी इस विभाग-द्वारा बराबर पत्रोंमें निकलती रहती है। दो उद्देश्योंको लेकर यह विभाग कायम हुआ था, जन-संख्याकी वृद्धिको रोकना, और चिर-रोगी, राजरोगी-द्वारा सन्तान न उत्पन्न होने देना। दोनों ही उद्देश्योंको इसने पूर्ण किया है। आजकल जो एक भी कुष्ठ, मृगी, उपदेश, बवासीर आदि रोगीवाले आदमी नहीं मिलते, उसका कारण उक्त प्रयत्न ही है। ऐसी छूतकी बीमारियोंवाले रोगियोंको साधारण जन-समाजसे पहले अलग करके आरामके साथ रखने तथा उनकी चिकित्साका भी पूर्ण प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार उन्हें अपने संसर्गसे रोग फैलानेका मौका नहीं दिया जाता। दूसरे, आगे सन्तान न हो; इसके लिए उनकी जनन-शक्तिको विशेष निर्धारित उपायोंसे नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य जातिके चिर-शत्रु इन बीमारियोंका उन्मूलन किया गया है। इतनेपर भी देखा गया, कि यदि कोई रुकावट न डाली गई, तो मनुष्य-संख्या बेतहाशा बढ़ती ही जा रहा है। विशेषज्ञोंकी समितिने पृथ्वीकी औसत वार्षिक आम-दनी निकाल बतवाई। मालूम हुआ इससे पौने दो शताब्दोंसे कुछ ही अधिक आदमी सानन्द जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फिर क्या था ? यह भी हिसाबसे मालूम हो गया कि इतनी पैदाइशमें इतने तो मरनेवालोंकी जगह पूरा करते हैं। बाकी इतने केवल वृद्धि करते हैं। यदि प्रत्येक विभाजित द-पति दो या

तीन सन्तान ही उत्पन्न करें, तो यह वृद्धि रोकी जा सकती है ! इसपर फिर बड़ी जनन-शक्ति नाश करनेकी प्रक्रियाका प्रयोग किया गया । प्रत्येक स्त्री-पुरुषके बुढ़ापेके आरामका जिम्मा तो अब राष्ट्रपर है, इसलिए सन्तान उत्पन्न करनेकी बड़ी लालसा तो ऐसे भी कम हो गई है । और उक्त प्रक्रियासे केवल जनन-शक्ति मात्र हीका हास होता है, बाकी सब तो पूर्ववत् ही रहता है । इसे इसलिए लोग स्वयं पसन्द करते हैं । पहले अनेक पुरुष इसके विरोधी थे । उनका कहना था कि वृद्धि तो अवश्य रोकी जानी चाहिये, किन्तु कृत्रिम उपायसे नहीं, संयम नियमसे । दूसरे विचारवालोंका कहना था कि संयम इतना सरल कार्य नहीं, जिसे राष्ट्रके सभी जन पालन कर सकें । जब यह बात है, तो इसपर ढील देना एक प्रकारसे जनवृद्धिको ही पुष्ट करना है । राष्ट्र इस मृगतृष्णाके भरोसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेसे नहीं रुका रह सकता । अस्तु । इसका फल अब यह हो गया है, कि और कामोंकी भांति जन-संख्याका घटाना-बढ़ाना भी राष्ट्र-कर्णधारोंके हाथमें वैसे ही है, जैसे बिजली-बत्तीका जलाना और बुझाना ।

नालन्दासे प्रस्थान

नालन्दामें पूरे एक पखबारे तक निवास करनेके बाद मैंने अपनी अगली यात्रा आरम्भ की । विश्वामित्रको वर्तमान और भूत जगत्का पूर्ण परिचय था, और वह मेरे भी पूर्ण परिचित हो गये थे । इसलिए मैंने अपनी यात्रामें उन्हें ही साथी चुना । उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार किया । आते समय यद्यपि पटना पड़ा था; किन्तु रात्रिका समय था, हमलोग वहाँ उतर न सकते थे, इसलिए उसके बारेमें कुछ न जान सके । अब अपनी यात्रामें नालन्दासे प्रथम रैपटना ही चलना निश्चित हुआ । यात्रा दिनमें की गई, इसलिए मार्गकी भू-रेखे दृश्य भी खूब दिखाई पड़ते थे । विश्वामित्र इधरके गाँव-गाँवसे परिचित थे । वह बीच-बीचमें गाँवोंके बारेमें बहुत-कुछ बतलाते जाते थे । नालन्दा पटनासे साधारण ट्रेन-द्वारा दो घण्टेका रास्ता है ।

रास्तेमें आमोके बाग बहुत देखनेमें आवे। मैंने विश्वामित्रसे कहा, कि पटनाके मालदह लँगड़ा आम पहले भी बहुत मशहूर थे। उन्होंने बतलाया, अब आकार और स्वाद, दोनोंमें और भी उत्तति हुई है। यहाँके आम कुमेरु (उत्तरीय ध्रुव) से कुमेरु (दक्षिणीय ध्रुव) तक पृथ्वीमें चारों ओर भेजे जाते हैं। विदेह, मगध और अंग, तीनों ही खंड संसारके आमों और लीचियोंके बगीचे हैं। इनकी अधिक भूमि तथा निवासियोंका अधिक अंश इन्हींकी खेतीमें लगा रहता है। तारीफ यह है, कि अब यह दोनों ही फल बारह मास तैयार होते रहते हैं, हर वक्त हजारों रेल-गाड़ियाँ इनसे लदी, बर्फसे सुरक्षित, एशिया और यूरोपके भिन्न-भिन्न भागोंमें दौड़ती रहती हैं। रेलोका जाल तो एकमें एक लगा, आस्ट्रेलिया तथा और द्वीप-समूहोंको छोड़, सारे भूमंडलमें बिछा हुआ है। काठमाण्डव (नेपाल), दार्जिलिंग और सदिया इन तीनों रास्तोंसे हिमालयको पारकर रेल तिब्बतमें घुसी है। तिब्बतमें बहुत दूर तक रेल है। अब तिब्बती लोगोंमें वह मलिनता नहीं रही। वह क्या, अब तो भूमंडलका कोई भी मनुष्य पुत्र स्वच्छता, सम्यक्ताके मानव-गुणोंसे वंचित नहीं है। सभीके लिए शिक्षा और सुख-सामग्री आवश्यकतानुसार वितरण की जाती है। तिब्बतसे मंगोलियामें ताँता बिछाती रेलवे लाईन अल्ताई पर्वतको पारकर साइबेरिया पहुँच जाती है। मंगोलियासे मंचूरिया और चीनके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें रेलें गई हैं और फिर वह युन-नान् होती यनाम स्याम और बर्मामें फैल गई हैं। बर्माका सम्बन्ध फिर रेलोंसे चटगाँव और आसाम प्रान्तसे हो गया है। यही नहीं, बर्मासे मलाया होते समुद्रमें सुरङ्गमे सिंगापुर और सुमात्राको भी मिला दिया गया है।

तिब्बतसे पश्चिमकी ओर तुकिस्तानके यारकन्द, काशगर होती ताश-कन्द, समरकन्द, फिर अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरबमें रेलोका जाल बिछा है। ऊराल पर्वतको कितने ही स्थानोंपर पारकर रेलें रूसमें घुसी हैं। इधर कुस्तुन्तुनियामें समुद्रोंपर सुरङ्ग बना, एशिया और यूरोप मिला दिये गये हैं। फ्रांस और इंग्लैण्डके बीचमें भी समुद्रमें सुरंगवाली रेल-लाइनें बिछी हैं। स्वेज नहरकी सुरंगवाली रेलसे एशिया-अफ्रीका जोड़ दिये गये हैं। अफ्रीकामें

भी सब जगह रेलोंका जाल है। इधर पिछली शताब्दियोंमें 'सहरा'की बालुका-मय भूमिको अपार जल-राशिसे भरकर एक समुद्र तथा उसके आस-पास लाखों मीलकी मरुभूमिको हरी-भरी कर देना एक बड़ा आश्चर्यमय कार्य हुआ है। अफ्रीकाकी जनसंख्या भी पहलेसे बहुत बढ़ गई है। आधा यूरोप वहाँ पहुँच गया है, इसके अतिरिक्त एशियाके भी बहुतसे आदमी वहाँ चले गये हैं। किन्तु अब वह पुराना वर्णन भेद और देश भेद नहीं। सब एक कुटुम्बकी भाँति रहते हैं। इन्शी, यूरोपियन, एशियाई सभी शिक्षा-दीक्षा आदिमें समान हैं और रङ्ग आदिमें भी समान होते जा रहे हैं।

इस प्रकार तो रेल-मार्ग पूवीय गोलार्द्धमें बिछा हुआ है। साइबेरियासे बेरिंग समुद्र-स्रोतको सुरंग-द्वारा पार करती हुई गाड़ी उत्तरीय अमेरिकाके अलास्का प्रान्तमें पहुँच जाती है। फिर तो कनाडा, संयुक्त-राष्ट्र, मेक्सिको होती, पनामा नहरको सुरङ्गसे पार करती हुई गाड़ियाँ दक्षिणी अमेरिकामें घुम जाती हैं, और कोलम्बिया, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीनाइन, उरुग्वे, पटागोनिया आदि सभी खंडोंमें फैली हुई हैं।

यद्यपि इस प्रकार पृथ्वीका अधिक भाग क्या, आस्ट्रेलिया और अन्य छोटे टापुओं तथा जापानको छोड़ सभी भू-प्रदेश रेलोंसे जोड़ दिया गया है, किन्तु आसानीके साथ जहाज भी चीजोंके पहुँचानेमें बड़ा काम करते हैं। इनके अतिरिक्त दूर-दूरकी यात्रायें वायुयानों ही द्वारा होती हैं। मुख्य उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुवोंपर बस्ती हो गई है, जहाँ गर्मी या ठंड महीने वाले दिनमें लोग रहते हैं। ज्योतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ तथा भौतिक तत्त्ववेत्ता वहाँ अधिक जुटते हैं। यात्रा वायुयान-द्वारा होती है। आजकलके लोग स्काटके आत्म-बलिदानकी कथायें भले ही पढ़ लें, किन्तु क्या उस समयकी कठिनाइयोंका ठीक अनुमान वे कर सकते हैं ?

मगध और पटनाकी यात्रा करते, बीचमें प्रसंग-वश यह भी बातें आ गईं। इसके कारण : गधके आम और लीची ही हैं। इन लगातार आम और लीचीके बागोंमें जरते हमलोग आखिर पटना पहुँच ही गये। सूचना पहलेसे पहुँच गई थी। मगध-शासन-सभाके सभापति साथी यूसुफ कतिपय अन्य सभासदोंके साथ स्टेशन हीपर स्वागतके लिए आये थे। स्वागतके बारेमें

एक ही बार लिख देना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्थानवालोंने एक दूसरेसे बाजी ले जानेका प्रयत्न किया। जब मैंने नगर देखा तो मालूम हुआ कि पाटली-दुत्र तो अलग रहा, पटनाका भी वह पूर्ववाला आकार बिल्कुल उलट-पलट गया है। सारे पटना शहरमें केवल पन्द्रह हजार आदमी रहते हैं। अब उन तङ्ग गलियों और सड़कोंका नाम निशान नहीं, न उन चौतल्ले-तितल्ले मकानों हीका कुछ पता है। सभी रहनेके मकान ग्रामोंकी तरह हैं। फुलवाड़ी और वृद्धोंका भी वैसा ही शौक है। इससे जिस जगह पहले हजार आदमी रहते थे, अब मुश्किलसे पचाससे सौ आदमी तक रहते हैं। पटना मगध-प्रजातन्त्रका सदर है। यहाँ बहुतसे राष्ट्रीय दफ्तर हैं। छापाखाना बहुत भारी है। बिना-तारके-तारका बड़ा स्टेशन है। वायुयानोंका भी बड़ा अड्डा है। यहाँ के सभी निवासियोंका प्रधान काम इन्हीं विभागोंमें काम करना है।

यद्यपि रहनेके घर सभी एक-महले हैं; तो भी दफ्तर कई-कई तलों वाले हैं। कागज-पत्रोंका जो रेकॉर्ड-आफिस है, वह तो पूरे पचास तलोंका है। नीचेसे सबसे ऊपरवाले तलपर पहुँचना परिश्रमका काम है, इसीलिए यहाँ वही बिजलीका झूलाढोल ऊपर नीचे जानेके लिए है। इस कार्यालयमें देशका प्रत्येक कागज बड़े यत्नसे रक्खा गया है। कागजोंको आग आदिसे बचानेका पूरा प्रबन्ध है। इस दफ्तरमें मगध-सम्बन्धी अंग्रेजी शासन हीके कामज नहीं, मुसलमानकालकी भी बहुत-सी सनदें आदि इकट्ठीकी गई हैं। पटनाकी सबसे सुन्दर इमारत अशोक-भवन है। इसका नकशा नालन्दाके वसुबन्धु-भवन हीकासा है, किन्तु इसकी शोभा उससे और अधिक है। इसमें सोने और संगमरमरका काम खूब देखनेमें आता है। विस्तार भी इसका 'वसुबन्धु-भवन' के इतना ही है। रंग-मंचके ऊपर बड़े-बड़े स्वर्णाक्षरोंमें लिखा है, 'एषे च मुखमुते विजये देवनं-प्रियस यो ब्रम विजयो।'।

भारतके प्रजातंत्र

पटनासे चलकर, यद्यपि मैंने वर्तमान भारतके सभी प्रजातंत्रमें दो-दो चार-चार दिन दिये, किन्तु सभी जगहोंकी बस्ती, रहन-सहन एक-सा ही

देखा। यद्यपि मैं रोज अपने रोजनामचेमें अने आस-पासकी चीजोंके विषयमें लिखता गया हूँ, किन्तु, यहाँ उसका उद्धरण करना पुनरुक्त मात्र समझ छोड़ देता हूँ। अपनी यात्रा-क्रमसे, केवल सरसरी तौरसे मोटे-मोटे परिवर्त्तनों हीका संक्षिप्त विवरण देता हूँ।

पटनाके साथ ही मगध प्रजातंत्रको छोड़ मैं काशि-प्रजातन्त्रके बनारसमें गया। और परिवर्त्तनोंके साथ बनारसने भी बड़ा परिवर्त्तन खाया है। न वह काशीकरवटकी करवट है; न कचौड़ा-गलो न, उसकी कचौड़ी। गलियोंका तो एकदम नाम ही नहीं है। बड़ी चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं। खुली हवादार जगहोंमें वही मकानोंकी शोभा है, जा पढ़ले बतलाई जा चुकी है। यदि आज कोई आदमी बीसवीं शताब्दीके किसी मकानको ढूँढ़ना चाहे, तो नहीं मिल सकता। मुझे और भी उदासी मालूम हुई, जब मणिकर्णिका, दशाश्वमेध आदि पूर्वके गुंजान घाटोंपर गया। यद्यपि स्नानके अवसरपर अब भी बहुत-से स्नान करनेवाले आते हैं, सीढ़ियाँ पहलेसे भी पुनर और साफ हैं; विजलांकी ताकतसे चलनेवाली कुल्ला नावें भी गंगामें सगटे मारती दिखाई पड़ती हैं, किन्तु अब वह घाटियों और पण्डोंकी चहल-पहल कहाँ? अब वह 'गुरु'-'गुरु' की कहनाई और कुँडी-लोटेकी रगड़ाई कहाँ? नाह्यो और मालियोंका भी पता नहीं। पता कैसे हो, इस समय तो जब पैसादेव हीका पता नहीं, तो उनके अनुचरोंका ठिकाना कहाँ? न अब दशाश्वमेधकी सट्टी है, न विश्वेश्वरगंजका गोला, न साँड़ों-मुष्टंडोंका पता। न अब तत्कालीन समाज-की-मारी हतभागिनी क्रियोंके दालमंडोके कोठे। लोगोंके रहनेके मकान वही एक-महले। ऐतिहासिक स्थानोंके चारों ओर खूब हरी-हरी खुली जगह दिखलाई पड़ती है मंदिरोंको अब एक ऐतिहासिक चिह्न समझ सुरक्षित रक्खा गया है। रुपये पैसोंका तो चढ़ावा सम्हालना नहीं है। सारे बनारसमें इस समय केवल पच्चीस सहस्र नर-नारी निवास करते हैं, जो यदि पुराने मकान होते, तो एक कोने हीं आ जाते, किन्तु चौड़ी सड़कों और एक-महले मकानों और फूलों आदिक कारण पुराने बनारस रमें फैले हुए हैं।

बनारसके पास दो और प्रसिद्ध बस्तियाँ हैं, एक तो बरना उस पार ती कोसपर 'ऋषिपतन मृगदाव'—जिसे पहले सारनाथ कहा करते थे—दस हज़

आदिमियोंकी बस्ती है। यहाँ अतिथि-विभ्राम बहुत दूर तक बने हैं। बुद्धवादी बुद्धिके सर्व-प्रथम यहीं उपदेश करनेसे इसका माहात्म्य भारी है। सारे भूमंडल-के नर-नारी यहाँ आते हैं। स्थान अब बहुत रमणीय हो गया है। पुराने ध्वस्तप्राय स्तूप बिल्कुल नये बन गये हैं। दूसरा स्थान है अस्सी उस पार काशी-विश्व-विद्यालय। पहलेसे बहुत दूर तक इसका विस्तार है : अब पुरानी पाठशालायें तथा पंडितोंकी गृह-पाठशालायें तो हैं नहीं, किन्तु इससे विद्या-प्रचारमें कोई कमी नहीं है। सभी विद्याभ्रांका अध्ययनाध्यापन पूर्वसे भी अधिक व्यवस्थित रूपमें काशी-विश्वविद्यालयमें होता है। इसकी गणना भूमंडलके उच्च श्रेणीके विश्व-विद्यालयोंमें है। साहित्य और दर्शनमें उसकी बढ़ी ख्याति है।

काशी प्रान्तकी राजधानी बनारस है। गेहूँकी खेती तथा आम, अमरुद, वैरके बागोंकी यहाँ अधिकता है। खासकर बनारस जिलेमें उपरोक्त फल बहुत होते हैं।

इसके अतिरिक्त चीनी भी इन प्रान्तमें बहुत होती है। पहलेसे नहरें यहाँ बढ़ गई हैं, किन्तु आबादी घट गई है।

इन्द्रप्रस्थ, वत्स, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, कुरु स्वतंत्रगण हैं। सुरसेन और मत्स्यमें बीसवीं शताब्दीकी अनेक रियासतें भी सम्मिलित हैं। अब उन रियासतोंका कुछ भी चिह्न नहीं रहा। भारतकी राजधानी दिल्ली है; किन्तु खास शहरमें पचास ही हजारकी बस्ती है। स्वच्छता-सुन्दरतामें बढ़ी-चढ़ी है। पुरानी इमारतें खूब सुरक्षित अवस्थामें हैं। गेहूँ, चीनी, धी यहसि और जगहोंमें भी जाता है। तराईकी और कागजके बहुतसे ग्राम हैं।

पंजाब, कश्मीरमें भी अनेक प्रजातंत्र हैं। एक की राजधानी लाहौर है। तत्कालीन विद्यालयने फिर अपनी प्राचीन कीर्तिको लौटा पाया है। आयुर्वेद शास्त्रमें उसकी ख्याति सम्पूर्ण भूमंडलमें है। गेहूँ तथा और अनाज, एवं चीनीके अतिरिक्त ये देश मेवे बहुत पैदा करता है। उत्तर तरफ पर्वतीय जन-पदोंमें मेहँडोंके बहुत-से ग्राम हैं। ऊनी कपड़ोंके हुतसे बड़े-बड़े कारखाने हैं। इसी और बिजली उत्पन्न करनेके भी बहुतसे स्थान हैं।

राजस्थान। इसमें पुराने राजपूतानेकी सारी रियासतोंके देश सम्मिलित

हैं। सबसे भारी परिवर्तन, अनेक रियासतोंके एक होनेके अतिरिक्त, मरु-भूमिका हरे-भरे मैदानके रूपमें परिणत होना है। सिन्धकी बड़ी नहरने, बीकानेरके पानी बिना जलकर बालू हो गये कलेजेको ठंडा कर यह परिवर्तन किया है। अजमेर इसकी राजधानी है।

सिन्धु। पैदावार फल और अनाज दोनोंहीकी है। राजधानी कराँची, जहाज और विमान दोनोंका बड़ा अड्डा है। यहाँसे मैं सौराष्ट्र, गुजरात, मालव, विदर्भ और महाराष्ट्रमें गया। तीनोंमें कपासकी खेती बहुत अधिक होती है। कपड़ोंके कई बड़े-बड़े कारखाने हैं। पुरानी हैदराबाद रियासत, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र इन चार प्रान्तत्रोंमें बँट गई है। इन प्रान्तोंमें भी कपास और कपड़ोंके कारखाने हैं। किन्तु चावल, चीनीकी पैदावार बहुत है। द्रविड़ और केरलके अतिरिक्त लंका भी अब भारत हीमें सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त उत्कल, बंग, आसाम और हिमालय आदि गण भारतके हैं। सभी जगहोंको व्यवस्था-अवस्था बहुत ही सुन्दर है। निवासी आनन्दित तथा वसुन्धरा वसुन्धरा है। जगह-जगह बहुतसे विद्यालय और विश्व-विद्यालय हैं।

वर्तमान जगत्से उठ गई चीजें

पहले किसी प्रकार भी धनी बननेकी बीमारीका बड़ा प्रकोप था। उस समय लोगोंको ऐसा करनेकी स्वाधीनता भी थी। उस समय किसी वस्तुका मूल्य राष्ट्रीय आवश्यकतापर निर्भर नहीं था। धनकी इच्छावाले धनिक इस बातकी कब परवाह करने लगे थे, कि अमुक व्यवसायसे देशका श्रम तथा जीवन बर्बाद होगा, या हानिकारक ? वह तो यह देखते थे कि बाजारमें माँग किस चीजकी है। बस, उसीके तैयारीके लिए बड़े-बड़े कारखाने खोल देते थे, जिनमें लाखों आदमी काम करते थे। शराब, सिगरेट, अफीम यद्यपि हानिकारक वस्तुयें थीं, किन्तु उनकी उपजके लिए लाखों आदमी और लाखों बीघे भूमि बन्नी

रहती थी। भला आजकल वह बात कहीं चन सकती थी ? यहाँ तो सिद्धान्त ठहरा, जीवनकी सभी आवश्यक अहानिकारक, आनन्दप्रद सामग्रियोंके यथेष्ट संग्रहमें जहाँ तक हो सके कम-से-कम समय लगाया जाय, ताकि अवशिष्ट समय को लोग अपनी इच्छानुसार, अपने ईप्सित कार्योंमें लगा सकें। पहले जैसे दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलोंकी बहुत-सी भूमि तम्बाकू पैदा करनेमें लगी रहती थी, अब वहाँ तम्बाकूका नाम नहीं। सिगार मिगरेट बीड़ियोंके कारखानोंका पता नहीं। शराब, अफीम ही नहीं, गाँजा, भाँग, चरस, ताड़ो आदि कितनी ही वस्तुयें आजके संसारमें पढ़कर तथा वस्तु-संग्रहालयों हीमें जाकर देखी जा सकती हैं। चाय, काफ़ो, कहवा भी अब व्यर्थका व्यसन समझा जाकर विदा हो चुका है। खानेमें छोटे बड़े आदमीका भेद न होनेसे, साँवा, कोदों, मँडुआ (रागी), मोटे चावल आदि कितने निम्न श्रेणीके अन्न नहीं बोये जाते। खानेके लिए फल, फ़नाज जो कुछ भी पैदा किये जाते हैं, उत्तम श्रेणीके। कपड़े-लत्ते, घर-द्वार, सवारी, बार-बरदारीमें भी यही बात है।

पैसेका नाम उठ जाने तथा वैयक्तिक सम्पत्तिके न रह जानेसे फल-फूल, खेत-बारी, कल-कारखाना सब कुछ राष्ट्रीय है, और इसीलिए अब उतने कानूनोंकी भी भरमार नहीं। इन्कमटैक्सका कानून, बन्दोबस्त कानून, कोर्टफीस, आबकारी, काश्तकारी, लगान, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी, आदि-आदि सैकड़ों कानूनोंका अब काम ही नहीं है। दीवानी मामलोंकी जड़ ही खतम हो गई, क्योंकि धन-घरती किसी व्यक्तिकी है ही नहीं। फौजदारीके कानूनका आकार भी बहुत घट गया है, क्योंकि धन-घरतीके अपहरण विषयक चोरी-डकैती आदि अपराध अब सम्भव ही नहीं। एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिको शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचानेका कारण अब नाम-मात्र ही रह गया है, क्योंकि इन सबकी जड़ वही व्यक्तिगत स्वामित्व था। शिद्धाका उत्तम प्रबन्ध, रोगोंकी उत्कृष्ट चिकित्सा, नीरोग दृष्ट-पुष्ट माता-पिताकी वैसी सन्तान होना इत्यादि वह कारण हैं, जिनसे जिन कोनोंसे पाले कितने, अपराध हो भी पड़ते आज अपराध वहीं नहीं या नहींके बराबर होते हैं। अब अपराधोंके दो ही मुख्य कारण हैं, मनुष्य-प्रकृतिकी जब तबहा उद्धतता और अज्ञानता, तथा स्या-पुरुषके सम्बन्ध। किन्तु इनसे भी पहलेकी अपेक्षा शतांश भी अप-

राध नहीं हो पाते; कारण है—मनुष्य-प्रकृतिका बहुत भारी सुधार हो जाना, तथा स्त्री-पुरुषोंका एकदम बराबर समझा जाना। आजकल स्त्रीपर पुरुषका उतना ही अधिकार है जितना पुरुषका स्त्रीपर। दोनों केवल प्रेमके बन्धनसे बँधे हैं। जिस प्रकार दाम्पत्य बन्धन प्रेमके ही द्वारा बँधा है, वैसे ही वह तभी तक स्थिर भी समझा जाता है, जब तक कि वह प्रेम है। प्रेमके अभावमें इस बन्धनका सर्वथा उच्छेद हो जाता है। जब पति-पत्नीको एक-दूसरेकी आर्थिक पराधीनता नहीं, समाजके विरोधका भय नहीं, तो फिर वह कब और कितने दिनों तक देखलावेके दम्पति बने रह सकते हैं? इसका एक यह भी फल हुआ है कि अब पहलेकी तरह गुप्त व्यभिचारकी अधिकता नहीं।

आजकलके संसारमें कितने ही पेशोंका भी अस्तित्व नहीं है। वकील, मुख्तार, सोख्तार, बैरिस्टर ही नहीं, मोची, भंगो, रंडी (वेश्या), भिखमंगे, पंहे, भाँट, मुजावर, कसाई, दूकानदार आदि भी अब नहीं रह गये हैं। खिदमतगार, लौंडी, आका भी नहीं। बाल-विवाह, अनमेल-विवाह का भी पता नहीं। तिलक-दहेज, नाच-तमाशा, बड़ी-बड़ी बारात, हाथी-घोड़े-पालकी, आतिशवाजी आदि कुछ भी नहीं। देवताओं और पीरोंके हटकों, पूजा, बलि-दान और कुर्बानियोंका भी निशान नहीं। जाति-भेद, रंग-भेद भी नहीं। पैतृक बीमारियाँ तथा राजरोग, कुष्ठ, दमा, बवासीर, पागलपन, राज-यक्ष्मा, उपदंश, आदि सुननेमें नहीं आते। इन बीमारियोंसे पिछली शतान्दीमें राष्ट्रको बहुत बुद्ध करना पड़ा है, तब विजय मिली। ऐसे सब रोगियों (नर-नारी दोनों)को औषधादि प्रयोगसे सन्तानोत्पत्तिके अयोग्य बना दिया गया था, और उन्हें हटाकर पृथक् रक्खा गया था। यह काम बहुत कठिन था, और हुआ भी एकदम नहीं। किन्तु जब एक बार राष्ट्रने अपने हितकी बातको समझ उसे करने की ठान ली, तो भला वह काम हुए बिना कब रह सकता है? यह राष्ट्रहीके प्रयत्नका फल है, कि पृथ्वीपर अन्धे, लूले, लँगड़े, बहरे, गूंगे, काने, बुद्धि शून्य तथा विकृत-इन्द्रिय व्यक्ति खोजे नहीं मिलते।

